संस्थापक अधिवेशन के अनुमोदन हेतु प्रारूप — अभी अंगीकृत नहीं
DRAFT FOR FOUNDING CONVENTION APPROVAL — NOT YET ADOPTED

अटल जनोदय पार्टी

ATAL JANODAY PARTY (AJP)

पार्टी का विस्तृत द्विभाषी संविधान

COMPREHENSIVE BILINGUAL CONSTITUTION

एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक एवं जवाबदेह राजनीतिक संगठन

A Democratic, Constitutional and Accountable Political Organisation

"अंत्योदय से राष्ट्रोदय तक" | "जनभागीदारी • नीति • परिवर्तन"

"From Antyodaya to Rashtrodaya" (Upliftment of the Last Person to National Resurgence) • "People's Participation • Policy • Transformation"

दस्तावेज़ संदर्भ / Document Ref.	AJP-CONST-2026-BILINGUAL-V1 (Draft Version 1.0 (Pre-Adoption Review Edition))
अंगीकरण स्थिति / Legal Status	**संस्थापक अधिवेशन के अनुमोदन हेतु प्रारूप — अभी अंगीकृत नहीं** DRAFT FOR FOUNDING CONVENTION APPROVAL — NOT YET ADOPTED
प्रभावी तिथि / Effective Date	[प्रभावी तिथि: संस्थापक अधिवेशन द्वारा औपचारिक अंगीकरण के पश्चात ही अंकित की जाएगी] [Effective Date: To be inserted only after formal adoption by the Founding Convention]
राष्ट्रीय मुख्यालय / Headquarters	लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत (सटीक डाक पता ईसीआई पंजीकरण से पूर्व परिसर के अंतिम विधिक सत्यापन पर अद्यतित किया जाएगा) Lucknow, Uttar Pradesh, India (Exact street address to be updated upon final premises verification prior to ECI filing)
संरचना / Constitutional Architecture	उद्देशिका (Preamble) + २२ अध्याय (अनुच्छेद १–१०२) + १३ अनुसूचियाँ + द्विभाषी विधिक शब्दावली Preamble + 22 Chapters (Articles 1–102) + 13 Schedules + Bilingual Legal Glossary
वैधानिक मानदंड / Compliance Framework	Representation of the People Act, 1951 (Sec. 29A / 29B / 29C), ECI Internal Election Cycle (<=4 Yrs & <=1/3rd Nominated Rule), Income Tax Act Sec. 13A, DPDP Act 2023 & Section 5 Ethical Firewall
आधिकारिक पोर्टल व संपर्क / Website	https://ajp.atalfoundation.ind.in | Helpline: 0522 2061000 central@ataljanoday.org | legal@ataljanoday.org | finance@ataljanoday.org | privacy@ataljanoday.org

सत्यापन सूचना / Verification Notice: इस दस्तावेज़ में कोई काल्पनिक पंजीकरण संख्या, अपुष्ट चुनाव चिह्न, बनावटी पदाधिकारी अथवा अपूर्ण हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। यह प्रारूप केवल संस्थापक अधिवेशन द्वारा औपचारिक अंगीकरण के पश्चात ही प्रभावी होगा।

अनिवार्य संवैधानिक निष्ठा की घोषणा एवं उद्देशिका

MANDATORY STATUTORY DECLARATION (SEC. 29A(5), RPA 1951) & PREAMBLE

SECTION 29A(5), REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951 — VERBATIM STATUTORY TEXT:

> **"Atal Janoday Party shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and to the principles of socialism, secularism and democracy and would uphold the sovereignty, unity and integrity of India."**

सटीक हिंदी अनुवाद / FAITHFUL INDEPENDENT HINDI RENDERING:

> **"अटल जनोदय पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी तथा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगी।"**

विषय-सूची (क्लिक-योग्य अनुक्रमणिका)

TABLE OF CONTENTS — CHAPTERS I–XXII, SCHEDULES I–XIII & GLOSSARY

अध्याय / Ch.	शीर्षक (हिंदी एवं अंग्रेजी / Hindi & English Title)	पृष्ठ / Page
Decl.	**धारा २९क(५) घोषणा** / Mandatory Section 29A(5) Declaration	p. 2
Preamble	**उद्देशिका (संवैधानिक प्रस्तावना)** / PREAMBLE	p. 5
Ch. I	**अध्याय I — प्रारंभिक एवं दल की पहचान** CHAPTER I — PRELIMINARY AND IDENTITY (Articles 1–5)	p. 6
Ch. II	**अध्याय II — विचारधारा, दृष्टि, लक्ष्य एवं उद्देश्य** CHAPTER II — IDEOLOGY, VISION, MISSION AND OBJECTIVES (Articles 6–10)	p. 9
Ch. III	**अध्याय III — सदस्यता के नियम एवं प्रक्रिया** CHAPTER III — MEMBERSHIP RULES AND ADMINISTRATION (Articles 11–14)	p. 14
Ch. IV	**अध्याय IV — सदस्यों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व** CHAPTER IV — RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF MEMBERS (Articles 15–16)	p. 17
Ch. V	**अध्याय V — संगठनात्मक संरचना एवं प्रमुख निकाय** CHAPTER V — ORGANISATIONAL STRUCTURE AND PRINCIPAL ORGANS (Articles 17–22)	p. 18
Ch. VI	**अध्याय VI — राष्ट्रीय अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कार्यकारी नेतृत्व** CHAPTER VI — NATIONAL PRESIDENT, OFFICE-BEARERS AND EXECUTIVE LEADERSHIP (Articles 23–29)	p. 22
Ch. VII	**अध्याय VII — आंतरिक लोकतंत्र एवं संगठनात्मक निर्वाचन** CHAPTER VII — INTERNAL DEMOCRACY AND ORGANISATIONAL ELECTIONS (Articles 30–36)	p. 26
Ch. VIII	**अध्याय VIII — राज्य, जिला, विधानसभा एवं स्थानीय संगठनात्मक इकाइयाँ** CHAPTER VIII — STATE, DISTRICT AND LOCAL ORGANISATIONAL UNITS (Articles 37–43)	p. 29
Ch. IX	**अध्याय IX — नीति, घोषणापत्र एवं सार्वजनिक कार्यक्रम ढाँचा** CHAPTER IX — POLICY, MANIFESTO AND PUBLIC PROGRAMME FRAMEWORK (Articles 44–49)	p. 32
Ch. X	**अध्याय X — प्रत्याशी चयन एवं सार्वजनिक निर्वाचन प्रक्रिया** CHAPTER X — CANDIDATE SELECTION AND PUBLIC ELECTIONS (Articles 50–56)	p. 34
Ch. XI	**अध्याय XI — संसदीय एवं विधायी कार्य** CHAPTER XI — PARLIAMENTARY AND LEGISLATIVE AFFAIRS (Articles 57–61)	p. 37
Ch. XII	**अध्याय XII — वित्त, कोष, लेखा एवं अंकेक्षण संहिता** CHAPTER XII — FINANCE, FUNDING, ACCOUNTS AND AUDIT CODE (Articles 62–66)	p. 39

अध्याय / Ch.	शीर्षक (हिंदी एवं अंग्रेजी / Hindi & English Title)	पृष्ठ / Page
Ch. XIII	**अध्याय XIII — आचार संहिता, नैतिकता एवं अनुशासन व्यवस्था** CHAPTER XIII — CODE OF CONDUCT, ETHICS AND DISCIPLINARY JUSTICE (Articles 67–71)	p. 43
Ch. XIV	**अध्याय XIV — विवाद समाधान एवं शिकायत निवारण तंत्र** CHAPTER XIV — DISPUTE RESOLUTION AND GRIEVANCE REDRESSAL (Articles 72–74)	p. 46
Ch. XV	**अध्याय XV — महिला, युवा एवं समावेशी सहभागिता** CHAPTER XV — WOMEN, YOUTH AND INCLUSIVE PARTICIPATION (Articles 75–78)	p. 47
Ch. XVI	**अध्याय XVI — डिजिटल शासन, प्रौद्योगिकी, अभिलेख एवं डेटा संरक्षण (DPDP अधिनियम)** CHAPTER XVI — DIGITAL GOVERNANCE, TECHNOLOGY, RECORDS AND DATA PROTECTION (Articles 79–82)	p. 49
Ch. XVII	**अध्याय XVII — संवाद, मीडिया एवं जनसंपर्क नीति** CHAPTER XVII — COMMUNICATION, MEDIA AND PUBLIC ENGAGEMENT (Articles 83–85)	p. 51
Ch. XVIII	**अध्याय XVIII — पारदर्शिता एवं सार्वजनिक जवाबदेही** CHAPTER XVIII — TRANSPARENCY AND PUBLIC ACCOUNTABILITY (Articles 86–88)	p. 52
Ch. XIX	**अध्याय XIX — संविधान संशोधन प्रक्रिया** CHAPTER XIX — CONSTITUTIONAL AMENDMENTS (Articles 89–92)	p. 53
Ch. XX	**अध्याय XX — विलय, विभाजन, पुनर्गठन एवं विघटन** CHAPTER XX — MERGER, SPLIT, REORGANISATION AND DISSOLUTION (Articles 93–95)	p. 55
Ch. XXI	**अध्याय XXI — संक्रमणकालीन एवं संस्थापन उपबंध** CHAPTER XXI — TRANSITIONAL AND FOUNDING PROVISIONS (Articles 96–98)	p. 57
Ch. XXII	**अध्याय XXII — निर्वचन, भाषाएँ, प्रकीर्ण उपबंध एवं अप्रामाणिक हस्ताक्षर प्रारूप** CHAPTER XXII — INTERPRETATION, LANGUAGES, MISCELLANEOUS AND UNAUTHENTICATED EXECUTION BLOCK (Articles 99–102)	p. 59
Sch. I	**अनुसूची I — सदस्यता पंजीकरण, पहचान पत्र, स्थानांतरण एवं नाममात्र शुल्क नियमावली (अध्याय III के अधीन)** SCHEDULE I — MEMBERSHIP REGISTRATION, IDENTITY REGISTRY, TRANSFER AND NOMINAL FEE REGULATIONS — [Companion Regulation Requiring Adoption by NGB / NEC]	p. 61
Sch. II	**अनुसूची II — आधिकारिक ध्वज, सांगठनिक प्रतीक (लोगो), रंग-संहिता एवं चुनाव-चिह्न मर्यादा (अनुच्छेद ३ के अधीन)** SCHEDULE II — PARTY FLAG, ORGANISATIONAL EMBLEM (LOGO), COLOUR SPECIFICATIONS AND ELECTION SYMBOL PROVISO — [Integral Constitutional Schedule]	p. 61
Sch. III	**अनुसूची III — संवैधानिक निष्ठा, पदाधिकारी, प्रत्याशी एवं निर्वाचन अधिकारी शपथ प्रारूप (अनुच्छेद ६ व ५४)** SCHEDULE III — MANDATORY OATHS AND AFFIRMATIONS OF ALLEGIANCE, OFFICE AND CANDIDACY — [Integral Constitutional Schedule]	p. 62
Sch. IV	**अनुसूची IV — अनुभाग ५ नैतिक एवं वैधानिक दीवार प्रोटोकॉल (धर्मार्थ न्यासों से पूर्ण पृथक्करण)** SCHEDULE IV — SECTION 5 ETHICAL AND LEGAL FIREWALL PROTOCOL (CHARITABLE TRUST SEPARATION) — [Integral Constitutional Schedule]	p. 62
Sch. V	**अनुसूची V — आंतरिक संगठनात्मक निर्वाचन संचालन नियमावली (अधिकतम ४-वर्षीय चक्र एवं १/३ सीमा)** SCHEDULE V — INTERNAL ORGANISATIONAL ELECTION CONDUCT RULES (CHAPTER VII) — [Companion Regulation Requiring Adoption]	p. 63
Sch. VI	**अनुसूची VI — समस्त ३० संवैधानिक निकायों की संरचना, गणपूर्ति एवं बैठक सारणी (अध्याय V एवं VIII)** SCHEDULE VI — GOVERNANCE MATRIX: COMPOSITION, QUORUM AND MEETING CADENCE OF PARTY ORGANS (1–30) — [Integral Constitutional Schedule]	p. 63
Sch. VII	**अनुसूची VII — १०-सदस्यीय "बूथ विजय अभियान" कार्य-संरचना एवं स्थानीय संवाद नियमावली (अनुच्छेद ४१)** SCHEDULE VII — TEN-MEMBER "BOOTH VIJAY ABHIYAN" ROLE CHARTER AND CIVIC ENGAGEMENT SOP — [Companion Regulation Requiring Adoption]	p. 63
Sch. VIII	**अनुसूची VIII — प्रत्याशी मूल्यांकन स्कोरकार्ड ("CONTEST WITH PURPOSE") एवं शून्य टिकट शुल्क जांच नियमावली** SCHEDULE VIII — CANDIDATE SCREENING SCORECARD ("CONTEST WITH PURPOSE") AND ZERO-TICKET-FEE PROTOCOL — [Companion Regulation Requiring Adoption]	p. 64

अध्याय / Ch.	शीर्षक (हिंदी एवं अंग्रेजी / Hindi & English Title)	पृष्ठ / Page
Sch. IX	**अनुसूची IX — वित्तीय लेखा संहिता, शून्य-नकद नीति, दोहरे हस्ताक्षर मानक एवं ईसीआई फॉर्म २४ए प्रपत्र अनुपालन** SCHEDULE IX — FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS, ZERO-CASH CODE, DUAL-SIGNATORY MATRIX AND FORM 24A COMPLIANCE — [Integral Constitutional Schedule]	p. 64
Sch. X	**अनुसूची X — अनुशासनात्मक जांच प्रक्रिया, १५-दिवसीय नोटिस, अपील समयसीमा एवं POSH महिला सुरक्षा संहिता** SCHEDULE X — DISCIPLINARY PROCEDURAL CODE, TIMELINES, APPELLATE MATRIX AND POSH SAFETY CHARTER — [Companion Regulation Requiring Adoption]	p. 65
Sch. XI	**अनुसूची XI — डिजिटल डेटा संरक्षण (DPDP Act 2023), साइबर सुरक्षा एवं बहु-अभिरक्षक डिजिटल एस्क्रो प्रोटोकॉल** SCHEDULE XI — DPDP ACT 2023 PRIVACY POLICY, CYBERSECURITY CONTROLS AND MULTI-CUSTODIAN DIGITAL ESCROW — [Integral Constitutional Schedule]	p. 65
Sch. XII	**अनुसूची XII — नीति शोध, राजकोषीय व्यवहार्यता मानक एवं ५-वर्षीय गैर-निर्वाचित नीति चक्र कार्यप्रणाली** SCHEDULE XII — POLICY RESEARCH STANDARDS, FISCAL SCREENING AND NON-ELECTED FIVE-YEAR MANIFESTO CYCLE — [Companion Regulation Requiring Adoption]	p. 66
Sch. XIII	**अनुसूची XIII — अपुष्ट/लंबित संस्थागत विवरण पंजी एवं ईसीआई धारा २९क पंजीकरण चेकलिस्ट** SCHEDULE XIII — REGISTER OF UNFILLED PLACEHOLDERS AND PRE-FILING ECI SECTION 29A VERIFICATION CHECKLIST — [Integral Constitutional Schedule]	p. 66
Glossary	**द्विभाषी विधिक एवं संवैधानिक शब्दावली** / Bilingual Legal & Constitutional Glossary	p. 68

CONSTITUTIONAL PREAMBLE | संवैधानिक प्रस्तावना

उद्देशिका (संवैधानिक प्रस्तावना)

PREAMBLE

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
P-1	हम, अटल जनोदय पार्टी (ए.जे.पी.) के संस्थापक सदस्य, कार्यकर्ता और लोकतांत्रिक चेतना से युक्त भारत के नागरिक;	WE, the Founding Members, cadres, and democratically conscious citizens of India associating together to constitute the Atal Janoday Party (AJP);
P-2	विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की सर्वोच्चता, संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति अपनी अटल श्रद्धा और निष्ठा व्यक्त करते हुए, तथा भारत के समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुदृढ़ करने वाली बंधुता का संकल्प लेते हुए;	REAFFIRMING unshakeable faith in the supremacy, sovereignty, unity, and integrity of the Constitution of India as by law established, and solemnly resolving to advance for all citizens social, economic, and political justice; liberty of thought, expression, belief, faith, and worship; equality of status and opportunity; and fraternity assuring individual dignity and national unity;
P-3	पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के "एकात्म मानववाद" एवं "अंत्योदय" (समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े सबसे वंचित व्यक्ति का उत्थान) तथा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लोकतांत्रिक आदर्शों, संसदीय गरिमा, सहमति-आधारित सुशासन और राष्ट्र-प्रथम के चिंतन से प्रेरणा ग्रहण करते हुए;	DRAWING philosophical and ethical inspiration from Pandit Deendayal Upadhyaya Ji's ideals of Integral Humanism and Antyodaya (upliftment of the last, most vulnerable citizen) and Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ji's enduring example of democratic statesmanship, parliamentary decorum, consensus-building, and good governance;
P-4	राजनीति को सत्ता-लोलुपता, वंशवाद, अपारदर्शी धनबल एवं असत्य प्रलोभनों से मुक्त कर, "अंत्योदय से राष्ट्रोदय तक" के ध्येय वाक्य, "जनभागीदारी • नीति • परिवर्तन" की त्रिसूत्री तथा "सेवा से समाधान • सत्य से संवाद • जनभागीदारी से परिवर्तन" की कार्यसंस्कृति के अंतर्गत इसे लोकसेवा, नीतिगत शोध, आंतरिक लोकतंत्र और वित्तीय शुचिता का उत्तरदायी माध्यम बनाने के उद्देश्य से;	DEDICATED to liberating democratic politics from unaccountable concentration of power, dynastic succession, opaque funding, and hollow populism, and building an institutional vehicle of ethical public service, evidence-based policy, internal democracy, and financial probity guided by our core motto "From Antyodaya to Rashtrodaya", "People's Participation • Policy • Transformation", and "Service to Solution • Truth to Dialogue • People's Participation to Transformation";
P-5	संस्थापक अधिवेशन के समक्ष विचारार्थ, अनुमोदनार्थ एवं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अंगीकरण हेतु प्रस्तुत अटल जनोदय पार्टी के इस विस्तृत द्विभाषी संविधान को प्रस्तावित करते हैं (यह प्रारूप संस्थापक अधिवेशन द्वारा विधिवत अंगीकृत होने की तिथि से ही प्रभावी होगा)।	DO HEREBY PROPOSE AND PLACE BEFORE THE FOUNDING CONVENTION FOR DELIBERATION, APPROVAL, AND FORMAL ADOPTION this comprehensive bilingual Constitution of the Atal Janoday Party (which shall enter into force only upon formal adoption by a duly convened Founding Convention).

CONSTITUTIONAL CHAPTER I | संवैधानिक अध्याय I

अध्याय I — प्रारंभिक एवं दल की पहचान
CHAPTER I — PRELIMINARY AND IDENTITY

अनुच्छेद १: पार्टी का नाम, संक्षिप्त नाम एवं वैधानिक पहचान
Article 1: Name, Abbreviation and Legal Identity of the Party

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	इस राजनीतिक संगठन का पूर्ण एवं आधिकारिक नाम देवनागरी हिंदी में "अटल जनोदय पार्टी" तथा अंग्रेजी में "ATAL JANODAY PARTY" होगा।	The full and official name of this political organisation shall be "ATAL JANODAY PARTY" in English and "अटल जनोदय पार्टी" in Hindi (Devanagari).
(2)	पार्टी का आधिकारिक संक्षिप्त नाम एवं संक्षेपाक्षर अंग्रेजी में "AJP" तथा हिंदी में "ए.जे.पी." होगा।	The official short name and abbreviation of the Party shall be "AJP" in English and "ए.जे.पी." in Hindi.
(3)	अटल जनोदय पार्टी भारतीय नागरिकों का एक स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक राजनीतिक संघ है, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ (RPA 1951) की धारा २९क के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में पंजीकरण कराने के उद्देश्य से गठित किया जा रहा है। यह पार्टी एक स्वायत्त विधिक अस्तित्व रखेगी और इसका किसी भी धर्मार्थ न्यास (Charitable Trust), गैर-सरकारी संगठन अथवा आयकर अधिनियम की धारा १२क/८०जी के अंतर्गत छूट-प्राप्त संस्था (जैसे अटल फाउंडेशन या अन्य कोई न्यास) से कोई वित्तीय, प्रशासनिक या परिसंपत्ति संबंधी विलय नहीं होगा।	Atal Janoday Party is a voluntary, democratic political association of Indian citizens formed for registration with the Election Commission of India (ECI) under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951. It shall maintain an independent legal identity completely separate from any charitable trust, NGO, or tax-exempt entity under Sections 12A/80G of the Income Tax Act, 1961 (including Atal Foundation or any allied trust), with zero mingling of funds, assets, or beneficiary data.

अनुच्छेद २: पंजीकृत मुख्य कार्यालय, मुख्यालय एवं प्रादेशिक कार्यक्षेत्र
Article 2: Registered Office, Headquarters, Territorial Scope and National Character

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय (केंद्रीय सचिवालय) लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित होगा। भवन परिसर के अंतिम विधिक अनुबंध एवं भौतिक सत्यापन तक सटीक सड़क डाक पता [पूर्ण डाक पता — ईसीआई पंजीकरण आवेदन से पूर्व अद्यतित एवं राजपत्रित किए जाने हेतु आरक्षित] के रूप में अभिलेखित रहेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी आवश्यकतानुसार नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय समन्वय एवं संपर्क कार्यालय संचालित कर सकेगी।	The Registered Head Office and National Headquarters (Central Secretariat) of the Party shall be situated at Lucknow, Uttar Pradesh, India. Pending final legal premises documentation, the street address shall stand reserved as [Complete Postal Address — To be updated upon premises verification prior to ECI filing]. The National Executive Committee may maintain a National Liaison Office at New Delhi.
(2)	पार्टी का स्वरूप अखिल भारतीय एवं राष्ट्रीय होगा और इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत संघ (समस्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों) में विस्तृत होगा, यद्यपि संगठनात्मक निर्माण के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा।	The Party shall possess a national character, and its territorial scope shall extend throughout the entire Union of India (all States and Union Territories), with initial organisational consolidation focused in Uttar Pradesh and the National Capital Territory of Delhi.
(3)	पार्टी का आधिकारिक डिजिटल पोर्टल https://ajp.atalfoundation.ind.in तथा केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर 0522 2061000 एवं आधिकारिक ईमेल सूत्र (central@ataljanoday.org, legal@ataljanoday.org, finance@ataljanoday.org) होंगे। भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष पंजीकरण हेतु कोई भी काल्पनिक पंजीकरण संख्या तब तक प्रदर्शित नहीं की जाएगी जब तक आयोग द्वारा आधिकारिक प्रमाणपत्र निर्गत न हो जाए।	The official digital portal of the Party shall be https://ajp.atalfoundation.ind.in, with official Central Line 0522 2061000 and official email channels (central@ataljanoday.org, legal@ataljanoday.org, finance@ataljanoday.org). No purported ECI registration number or approval claim shall be published prior to formal issuance of a Registration Certificate by the ECI.

अनुच्छेद ३: आधिकारिक भाषाएँ, ध्वज, लोगो, प्रतीक एवं चुनाव-चिह्न संबंधी मर्यादा
Article 3: Official Languages, Flag, Logo, Emblem and Election Symbol Proviso

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी के समस्त संवैधानिक अभिलेखों, कार्यवाहियों और पत्राचार की आधिकारिक भाषाएँ हिंदी (देवनागरी) तथा अंग्रेजी (English) होंगी। प्रादेशिक व स्थानीय इकाइयाँ अपने-अपने राज्य की राजभाषाओं में अनुवाद एवं संवाद करने हेतु स्वतंत्र होंगी।	The official languages of the Party for constitutional records, proceedings, and statutory correspondence shall be Hindi (Devanagari) and English. State and local units may conduct outreach and maintain auxiliary translations in applicable regional official languages.
(2)	पार्टी के आधिकारिक ध्वज एवं दृश्य पहचान में मुख्यतः गहरा केसरिया (#853610 / #FF9933 — त्याग व सेवा), स्वर्णिम आभा (#b45309 / #FFD54F — राष्ट्रोदय ज्ञान), हरित वर्ण (#15803d — कृषि व पर्यावरण), गहरा नीला (#0f172a — संवैधानिक मर्यादा) तथा श्वेत वर्ण (#FFFFFF — सत्य व वित्तीय शुचिता) प्रयुक्त होंगे।	The official visual identity and flag of the Party shall feature Deep Saffron (#853610 / #FF9933 — sacrifice and public service), Gold Accent (#b45309 / #FFD54F — enlightenment), Forest Green (#15803d — agrarian and ecological stewardship), Deep Navy (#0f172a — constitutional order), and White (#FFFFFF — truth and financial probity).
(3)	पार्टी का आधिकारिक सांगठनिक प्रतीक (लोगो — assets/ajp-emblem.svg के अनुरूप) केसरिया एवं हरित अर्ध-चाप से आवृत गहरे नीले वृत्त में जनचेतना की २४ किरणों वाले उदीयमान सूर्य, निःस्वार्थ लोकसेवा की ज्योति तथा जनभागीदारी के स्वर्णिम हस्त को दर्शाता है।	The official organisational emblem of the Party (corresponding to assets/ajp-emblem.svg) depicts a rising sun radiating twenty-four rays of civic awareness above a white-and-saffron flame of public service supported by golden hands of people's participation within saffron and green arcs.
(4)	परन्तु यह कि पार्टी द्वारा किसी भी चुनाव चिह्न (Election Symbol) का उपयोग, आरक्षण या दावा पूर्णतः भारत निर्वाचन आयोग के नियमों एवं चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, १९६८ के अधीन होगा। जब तक आयोग द्वारा विधिवत रूप से कोई चुनाव चिह्न आवंटित या मान्यता प्रदान न कर दी जाए, तब तक पार्टी न तो किसी आरक्षित/स्वीकृत चुनाव चिह्न का दावा करेगी और न ही किसी अनधिकृत या भ्रामक चिह्न का प्रचार करेगी।	Provided that any election symbol used by the Party shall be strictly subject to the rules of the Election Commission of India and the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968. Until an official symbol is lawfully allotted or recognized by the Commission, the Party shall not claim or project any election symbol as reserved or approved.

अनुच्छेद ४: परिभाषाएँ एवं निर्वचन
Article 4: Definitions and General Rules of Interpretation

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: (क) "अधिनियम" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ अभिप्रेत है; (ख) "संविधान" से भारत का संविधान अथवा, संदर्भानुसार, अटल जनोदय पार्टी का यह संविधान अभिप्रेत है; (ग) "आयोग" या "ECI" से भारत निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है; (घ) "राष्ट्रीय महासभा (NGB)" से अनुच्छेद १८(२) के अधीन गठित राष्ट्रीय सामान्य निकाय अभिप्रेत है; (ङ) "प्राथमिक/साधारण सदस्य" से अनुच्छेद १२(१) के अधीन नामांकित वयस्क भारतीय नागरिक सदस्य अभिप्रेत है; (च) "सक्रिय सदस्य" से अनुच्छेद १२(२) की शर्तें पूर्ण करने वाला मतदाता-पात्र सदस्य अभिप्रेत है; (छ) "आंतरिक निर्वाचन प्राधिकरण" से अध्याय VII के अधीन गठित स्वतंत्र प्राधिकरण अभिप्रेत है; (ज) "अनुभाग ५ नैतिक दीवार" से अनुच्छेद १० एवं अध्याय XII में वर्णित धर्मार्थ न्यासों से पूर्ण विधिक एवं वित्तीय अलगाव का नियम अभिप्रेत है।	Unless the context otherwise requires: (a) "Act" means the Representation of the People Act, 1951; (b) "Constitution" means, as context demands, the Constitution of India or this Constitution of AJP; (c) "ECI" means the Election Commission of India; (d) "NGB" means the National General Body under Article 18(2); (e) "Ordinary Member" means a member enrolled under Article 12(1); (f) "Active Member" means a member qualified under Article 12(2); (g) "Authority" means the National Internal Election Authority under Chapter VII; (h) "Section 5 Ethical Firewall" means the strict legal and financial separation from charitable trusts under Article 10 and Chapter XII.
(2)	इस संविधान में प्रयुक्त पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग एवं अन्य जेंडर रूप तथा एकवचन में बहुवचन भी सम्मिलित माने जाएँगे। समयसीमा की गणना भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार की जाएगी।	Words importing the masculine gender shall include feminine and all other gender identities, and the singular shall include the plural. Statutory timelines shall be reckoned in Indian Standard Time (IST).

अनुच्छेद ५: संवैधानिक सर्वोच्चता, प्रारंभ एवं पूर्व प्रारूप का अधिक्रमण

Article 5: Constitutional Supremacy, Commencement and Effective Date

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	भारत का संविधान और प्रचलित भारतीय विधि सदैव सर्वोच्च रहेगी। इस संविधान का कोई भी उपबंध, नियम, विनियम अथवा किसी पदाधिकारी या इकाई का कोई भी निर्णय यदि भारत के संविधान अथवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ के प्रतिकूल होगा, तो वह उस सीमा तक प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा।	The Constitution of India and applicable Indian law shall at all times remain supreme. Any provision of this Constitution, companion regulation, or decision of any Party organ or office-bearer inconsistent with the Constitution of India or the Representation of the People Act, 1951 shall to that extent be void ab initio.
(2)	यह संविधान अटल जनोदय पार्टी के आंतरिक शासन का सर्वोच्च चार्टर होगा। संस्थापक अधिवेशन द्वारा औपचारिक अंगीकरण का प्रस्ताव विधिवत पारित किए जाने की तिथि को ही यह संविधान “प्रभावी” माना जाएगा। उस अंगीकरण तिथि तक यह दस्तावेज़ केवल विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रारूप रहेगा।	This Constitution shall be the supreme internal charter of the Atal Janoday Party. It shall commence and become effective solely on the date on which a formal Resolution of Adoption is duly passed by the Founding Convention; prior to such verified adoption, this document shall stand strictly as a Draft for Founding Convention Approval.

CONSTITUTIONAL CHAPTER II | संवैधानिक अध्याय II

अध्याय II — विचारधारा, दृष्टि, लक्ष्य एवं उद्देश्य
CHAPTER II — IDEOLOGY, VISION, MISSION AND OBJECTIVES

अनुच्छेद ६: धारा २९क(५) के अधीन अनिवार्य संवैधानिक निष्ठा की घोषणा *(अपरिवर्तनीय)*
Article 6: Mandatory Statutory Declaration under Section 29A(5), RPA 1951 *(Unalterable)*

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा २९क की उपधारा (५) के बाध्यकारी वैधानिक अधिदेश के अनुपालन में यह घोषित और अधिनियमित किया जाता है (वैधानिक अंग्रेजी पाठ अक्षरशः अपरिवर्तनीय एवं प्राथमिक संदर्भ होगा):	In strict compliance with the mandatory statutory mandate of Section 29A(5) of the Representation of the People Act, 1951, it is hereby declared and enacted (exact statutory wording preserved verbatim):
(2)	"अटल जनोदय पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी तथा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगी।" [उपर्युक्त धारा २९क(५) अंग्रेजी घोषणा का यथार्थ हिंदी अनुवाद]	"Atal Janoday Party shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and to the principles of socialism, secularism and democracy and would uphold the sovereignty, unity and integrity of India."
(3)	पार्टी अपने सभी राजनीतिक व सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति केवल अहिंसक, शांतिपूर्ण, विधिक एवं लोकतांत्रिक माध्यमों से करेगी और हिंसा, आतंक, घृणास्पद प्रचार या अलगाववाद का पूर्णतः निषेध करती है।	The Party shall pursue all its political and public objectives exclusively through peaceful, non-violent, lawful, and democratic means and unequivocally rejects violence, intimidation, hate speech, or secessionism.

अनुच्छेद ७: वैचारिक दर्शन, दृष्टिकोण एवं ८-सूत्रीय संगठनात्मक कार्यसूची
Article 7: Vision, Philosophy and the Eight-Point Organisational Mission

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी का वैचारिक दर्शन "अंत्योदय से राष्ट्रोदय तक" के राष्ट्रीय ध्येय, "जनभागीदारी • नीति • परिवर्तन" की त्रिसूत्री तथा "सेवा से समाधान • सत्य से संवाद • जनभागीदारी से परिवर्तन" की कार्यसंस्कृति पर आधारित है, जो एकात्म मानववाद एवं सुशासन के लोकतांत्रिक मूल्यों से प्रेरित है।	The Party's guiding vision rests on the national motto "From Antyodaya to Rashtrodaya", the tri-pillar principle "People's Participation • Policy • Transformation", and the operational creed "Service to Solution • Truth to Dialogue • People's Participation to Transformation", rooted in Integral Humanism and good governance.
(2)	पार्टी की ८-सूत्रीय संगठनात्मक कार्यसूची (AG-01 से AG-08) निम्नवत् होगी: (१) लोकतांत्रिक भागीदारी और जनसंगठन; (२) पारदर्शी सदस्यता और जनसंपर्क; (३) बूथ व स्थानीय इकाइयों का निर्माण; (४) स्वयंसेवक सहभागिता और क्षमता निर्माण; (५) अनुशासित जनसंगठन एवं कार्यक्रम प्रबंधन; (६) जवाबदेह और परिवारवाद-मुक्त पारदर्शी नेतृत्व; (७) नीति की वैज्ञानिक समझ एवं जनसमस्याओं का व्यावहारिक समाधान; तथा (८) संगठनात्मक, वित्तीय व सदस्यता अभिलेखों की पूर्ण जवाबदेही।	The Party's Eight-Point Organisational Agenda (AG-01 to AG-08) comprises: (1) Democratic participation and civic organisation; (2) Verifiable membership and outreach; (3) Grassroots unit and Booth Committee building; (4) Volunteer participation and capacity building; (5) Disciplined public programmes; (6) Accountable, non-dynastic leadership; (7) Empirical policy study and practical problem-solving; and (8) Organisational, financial, and membership record accountability.

अनुच्छेद ८: बीस प्रमुख संवैधानिक एवं लोक-कल्याणकारी उद्देश्य (प्रत्येक के पाँच संस्थागत आयाम सहित)

Article 8: Twenty Comprehensive Public Objectives (Five-Dimensional Institutional Framework)

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	संविधान के अनुच्छेद ८ के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रत्येक उद्देश्य के लिए पार्टी पाँच बाध्यकारी मानकों का पालन करेगी: [अ] संवैधानिक निष्ठा; [ब] नीति-दिशा; [स] संस्थागत तंत्र; [द] क्रियान्वयन उत्तरदायित्व; तथा [य] जवाबदेही एवं वार्षिक सार्वजनिक प्रतिवेदन।	Every objective listed hereunder shall be governed by five mandatory pillars: [A] Constitutional Commitment; [B] Policy Direction; [C] Institutional Mechanism; [D] Implementation Responsibility; and [E] Accountability and Public Reporting.
(2)(i)	संवैधानिक लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण: [अ] वयस्क मताधिकार एवं संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान; [ब] मतदान-दिवस से आगे वर्षभर जनभागीदारी; [स] बूथ/वार्ड जनसंवाद चौपाल; [द] राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रांतीय समितियाँ; [य] वार्षिक लोकतंत्र व सहभागिता रिपोर्ट।	Constitutional Democracy: [A] Uphold universal adult franchise and constitutional institutions; [B] Year-round civic deliberation beyond polling days; [C] Booth/Ward Public Chaupals; [D] National Executive & State Units; [E] Annual Civic Participation Report.
(2)(ii)	सामाजिक न्याय एवं समता: [अ] अनुच्छेद १४–१७ एवं सामाजिक समरसता; [ब] जाति, धर्म, लिंग, भाषा या जन्मस्थान आधारित भेदभाव के विरुद्ध समान अवसर; [स] सामाजिक न्याय व समावेशन प्रकोष्ठ; [द] राष्ट्रीय एवं राज्य समावेशन समितियाँ; [य] वार्षिक समावेशी प्रतिनिधित्व समीक्षा।	Social Justice and Equality: [A] Uphold Articles 14–17 and anti-discrimination norms; [B] Equal dignity and lawful affirmative inclusion; [C] Social Justice & Inclusion Wing; [D] Central/State Inclusion Conveners; [E] Annual Diversity & Inclusion Audit.
(2)(iii)	पंथनिरपेक्षता एवं राष्ट्रीय एकता: [अ] संविधान की प्रस्तावना व अनुच्छेद २५–२८; [ब] सौहार्द, बंधुता व राष्ट्रीय अखंडता संवर्धन; [स] शांति एवं सामाजिक सौहार्द संवाद समितियाँ; [द] सभी जिला व केंद्रीय समितियाँ; [य] घृणास्पद आचरण पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का वार्षिक विवरण।	Secularism and National Unity: [A] Fidelity to Preamble secularism and Articles 25–28; [B] Civic fraternity and harmonious nation-building; [C] District Peace & Harmony Dialogues; [D] District & National Executives; [E] Annual report on anti-hate disciplinary enforcement.
(2)(iv)	विधि का शासन एवं संवैधानिक सुशासन: [अ] अनुच्छेद १४ एवं कानून की सम्यक् प्रक्रिया; [ब] मनमानी या बाहुबल-मुक्त निष्पक्ष प्रशासन; [स] राष्ट्रीय संविधान एवं विधिक आयोग; [द] विधिक व अधिवक्ता प्रकोष्ठ; [य] संवैधानिक अनुपालन रिपोर्ट।	Rule of Law and Constitutional Governance: [A] Adherence to rule of law and due process; [B] Elimination of arbitrary administrative abuse; [C] National Constitutional & Legal Affairs Commission; [D] Advocates & Legal Commission; [E] Published Constitutional Compliance Review.
(2)(v)	पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन: [अ] लोक प्रशासन जवाबदेही व आरटीआई (RTI); [ब] नागरिक सेवा समयसीमा, फेसलेस डिजिटल सेवा एवं व्हिसलब्लोअर सुरक्षा; [स] सुशासन व नागरिक चार्टर प्रकोष्ठ; [द] नीति एवं प्रशासन इकाई; [य] वार्षिक प्रशासनिक जवाबदेही श्वेतपत्र।	Transparent and Accountable Administration: [A] Public accountability & RTI transparency; [B] Time-bound Citizen Charter, faceless delivery & whistleblower safeguards; [C] Good Governance Cell; [D] Policy & Programme Council; [E] Annual Public Governance Scorecard.
(2)(vi)	शिक्षा सुधार एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौम पहुँच: [अ] अनुच्छेद २१क एवं ४५; [ब] मातृभाषा में उत्कृष्ट प्राथमिक शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, शिक्षक गरिमा व भर्ती शुचिता; [स] छात्र व शिक्षा नीति समिति; [द] नीति एवं सुशासन संस्थान व छात्र विंग; [य] जिला-वार शैक्षिक स्थिति रिपोर्ट।	Education Reform & Universal Quality Education: [A] Articles 21A & 45 alignment; [B] Mother-tongue schooling excellence, modern digital labs, teacher welfare & transparent academic recruitment; [C] Student Wing & Policy Institute; [D] Education Policy Desk; [E] Annual District Education Audit Summary.
(2)(vii)	रोजगार, कौशल विकास एवं उद्यमिता: [अ] अनुच्छेद ३९ व ४१ लोक कल्याण सिद्धांत; [ब] पेपर-लीक मुक्त परीक्षा कैलेंडर, तहसील-स्तरीय एआई/ड्रोन/सोलर कौशल प्रशिक्षण व सूक्ष्म उद्यम समर्थन; [स] युवा एवं MSME प्रकोष्ठ; [द] युवा मोर्चा व पेशेवर विंग; [य] तहसील-वार रोजगार-कौशल अंतर रिपोर्ट।	Employment, Skill Development & Entrepreneurship: [A] Articles 39 & 41 directive spirit; [B] Leak-proof statutory recruitment calendars, tehsil AI/drone/solar skilling & MSME credit access; [C] Youth & MSME/Professionals Wings; [D] Youth & Policy Wings; [E] Annual Youth Skill & Jobs Dossier.

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(2)(viii)	ग्रामीण विकास एवं किसान कल्याण: [अ] अनुच्छेद ४० (पंचायती राज) व ४८; [ब] पारदर्शी एमएसपी खरीद व ७२ घंटे डीबीटी, पंचायत-स्तरीय कोल्ड चेन, कृषि फीडर सोलराइजेशन व जैविक खेती; [स] किसान एवं ग्राम समितियाँ; [द] किसान मोर्चा व जिला कृषि इकाइयाँ; [य] ब्लॉक-वार कृषि प्राथमिकताओं की सार्वजनिक रिपोर्ट।	Rural Development & Farmers' Welfare: [A] Articles 40 & 48; [B] Transparent MSP procurement & timely DBT, panchayat cold-chains, solarized agri-feeders & natural farming; [C] Farmers' Wing & Village Units; [D] State & District Kisan Teams; [E] Public Block Agriculture Follow-up Report.
(2)(ix)	महिला सशक्तिकरण एवं समान अवसर: [अ] अनुच्छेद १५(३) एवं ५१क(ङ) नारी सम्मान; [ब] 'सखी संवाद चौपाल', एसएचजी शून्य-ब्याज क्रेडिट लिंक, सुरक्षित सार्वजनिक परिवेश व उच्च शिक्षा सहायता; [स] राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ; [द] राज्य व वार्ड महिला समन्वयक; [य] वार्षिक महिला सुरक्षा एवं सहभागिता ऑडिट।	Women's Empowerment & Equal Opportunity: [A] Articles 15(3) & 51A(e); [B] Sakhi Samvad Chaupals, SHG credit linkage, public transit safety & girls' higher education; [C] National Women's Wing; [D] State & Booth Women Leads; [E] Annual Gender Safety & Participation Review.
(2)(x)	युवा भागीदारी एवं नेतृत्व विकास: [अ] लोकतांत्रिक युवा समावेशन; [ब] छात्र व युवा नेतृत्व प्रशिक्षण, ग्रामीण खेल मैदान एवं निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका; [स] राष्ट्रीय युवा एवं छात्र प्रकोष्ठ; [द] प्रशिक्षण प्रभाग व बूथ युवा प्रतिनिधि; [य] युवा नेतृत्व विकास वार्षिक सारांश।	Youth Participation & Leadership: [A] Democratic generational renewal; [B] Structured youth leadership training, rural sports infrastructure & policy voice; [C] National Youth & Student Wings; [D] Training Cell & Booth Youth Leads; [E] Annual Youth Representation Report.
(2)(xi)	स्वास्थ्य सेवाएँ एवं जन-स्वास्थ्य: [अ] अनुच्छेद ४७ पोषाहार एवं लोक स्वास्थ्य; [ब] २४x७ पीएचसी/सीएचसी सुदृढ़ीकरण व सस्ती जेनेरिक दवा नीति का समर्थन (बिना धर्मार्थ अस्पताल संचालन के झूठे दावे के); [स] स्वास्थ्य नीति उप-समिति; [द] नीति एवं कार्यक्रम परिषद; [य] स्थानीय जन-स्वास्थ्य आवश्यकता सर्वेक्षण रिपोर्ट।	Healthcare & Public Health: [A] Article 47 public health duty; [B] Policy advocacy for 24x7 PHC/CHC readiness and generic medicines (strictly adhering to Section 5 trust non-claim boundaries); [C] Public Health Policy Sub-Committee; [D] Policy Council; [E] Constituency Healthcare Gap Audit.
(2)(xii)	सुलभ, सस्ता एवं त्वरित न्याय: [अ] अनुच्छेद ३९क समान न्याय; [ब] विधिक साक्षरता, निर्धन विचाराधीन बंदियों हेतु प्रो-बोनो कानूनी जानकारी एवं ग्राम मध्यस्थता प्रोत्साहन; [स] राष्ट्रीय संवैधानिक व अधिवक्ता विंग; [द] जिला अधिवक्ता प्रकोष्ठ (बार काउंसिल नैतिकता के अधीन); [य] वार्षिक विधिक जागरूकता विवरण।	Affordable & Accessible Justice: [A] Article 39A equal justice spirit; [B] Legal literacy camps, Pro-Bono legal referral awareness for indigent undertrials & community mediation; [C] Constitutional Commission & Professionals/Advocates Wing; [D] District Legal Literacy Leads; [E] Annual Legal Aid Awareness Summary.
(2)(xiii)	डिजिटल समावेशन एवं तकनीक-सक्षम सुशासन: [अ] डिजिटल समानता एवं डीपीडीपी निजता अधिकार; [ब] ग्रामीण ब्रॉडबैंड साक्षरता, पेपरलेस नागरिक सेवाएँ व पारदर्शी पार्टी डिजिटल रिकॉर्ड; [स] राष्ट्रीय डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी विंग; [द] केंद्रीय डेटा सुरक्षा अधिकारी व आईटी टीम; [य] वार्षिक डिजिटल अनुपालन एवं समावेशन रिपोर्ट।	Digital Inclusion & Tech-Enabled Governance: [A] Digital access equity & DPDP privacy rights; [B] Rural digital literacy, faceless civic services & auditable digital governance; [C] Digital & Technology Wing; [D] Data Protection Custodians; [E] Annual Digital Inclusion & Privacy Audit.
(2)(xiv)	नवाचार, शोध एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण: [अ] अनुच्छेद ५१क(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण; [ब] साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक नीति, कृषि-तकनीक एवं युवा स्टार्टअप शोध प्रोत्साहन; [स] राष्ट्रीय नीति एवं सुशासन संस्थान; [द] पेशेवर एवं शिक्षाविद् प्रकोष्ठ; [य] वार्षिक नीति शोध संकलन।	Innovation, Research & Scientific Temper: [A] Article 51A(h) scientific temper; [B] Evidence-based public policy, agri-tech & startup research advocacy; [C] National Policy & Governance Institute; [D] Professionals & Policy Wing; [E] Annual Published White Papers Compendium.
(2)(xv)	पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास: [अ] अनुच्छेद ४८क एवं ५१क(छ); [ब] तालाब-कुआँ पुनरुद्धार, वर्षा जल संचयन, 'एक नागरिक एक वृक्ष' एवं पंचायतों में सौर ऊर्जा; [स] पर्यावरण समन्वयक नेटवर्क; [द] बूथ पारिस्थितिकी प्रतिनिधि व राज्य नीति परिषद; [य] वार्षिक हरित जल-संवर्धन प्रतिवेदन।	Environmental Protection & Sustainable Development: [A] Articles 48A & 51A(g); [B] Restoration of water bodies, rainwater harvesting, tree-plantation drives & solar adoption; [C] Booth Ecology Coordinators & Green Cell; [D] Local Units & Policy Council; [E] Annual Sustainability & Water Heritage Report.

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(2)(xvi)	अवसंरचना एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास: [अ] अनुच्छेद ३८(२) क्षेत्रीय असमानता निवारण; [ब] बारहमासी ग्रामीण संपर्क मार्ग, परिवहन एवं कस्बाई नागरिक बुनियादी ढाँचा; [स] क्षेत्रीय विकास कार्य-दल; [द] प्रादेशिक व जिला इकाइयाँ; [य] जिला अवसंरचना प्राथमिकताओं का श्वेतपत्र।	Infrastructure & Balanced Regional Development: [A] Article 38(2) reducing regional disparities; [B] All-weather rural roads, safe public transit & municipal utilities; [C] Regional Infrastructure Task Force; [D] State & District Committees; [E] Published District Infrastructure Priority Dossiers.
(2)(xvii)	सामाजिक सुरक्षा एवं वंचित वर्गों की गरिमा: [अ] अनुच्छेद ४१ व ४६; [ब] असंगठित श्रमिक, गिग कामगार, प्रवासी, वृद्धजन एवं दिव्यांगजन अधिकार सुरक्षा; [स] श्रमिक विंग व बूथ वरिष्ठ सलाहकार; [द] जिला श्रमिक एवं समाज कल्याण टीमें; [य] वार्षिक सामाजिक सुरक्षा पहुँच समीक्षा।	Social Security & Dignity of Vulnerable Communities: [A] Articles 41 & 46; [B] Safeguards for unorganized workers, gig workers, migrants, elders & persons with disabilities; [C] Labour Wing & Booth Elder Advisors; [D] District Social Security Desks; [E] Annual Vulnerable Welfare Access Review.
(2)(xviii)	सहकारी विकास एवं उत्तरदायी आर्थिक प्रगति: [अ] अनुच्छेद ४३ख (सहकारी समितियाँ) व आर्थिक न्याय; [ब] एफपीओ (FPO), कारीगर, बुनकर, एमएसएमई व खुदरा व्यापारियों हेतु पारदर्शी बाजार व्यवस्था; [स] व्यापार, कारीगर एवं कृषि सहकारिता प्रकोष्ठ; [द] आर्थिक नीति परिषद; [य] वार्षिक स्थानीय उद्योग व सहकारिता रिपोर्ट।	Cooperative Development & Responsible Economic Growth: [A] Article 43B cooperative principles; [B] Support for FPOs, ODOP artisans, weavers, MSMEs & street vendors; [C] Farmers, MSME & Cooperative Cells; [D] Economic Policy Advisory Wing; [E] Annual Local Enterprise & Cooperative Review.
(2)(xix)	लोकसेवा, नैतिक राजनीति एवं नागरिक सहभागिता: [अ] लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ शुचिता; [ब] शून्य-नकद वित्तपोषण, वंशवाद-विरोध, पारदर्शी प्रत्याशी चयन एवं अनुभाग ५ दीवार; [स] अनुशासन एवं आचार आयोग व लेखा समिति; [द] केंद्रीय सचिवालय व कोषाध्यक्ष; [य] वार्षिक नैतिक शुचिता एवं ऑडिट प्रकटीकरण।	Public Service, Ethical Politics & Citizen Participation: [A] Constitutional political probity; [B] Zero-cash accountability, anti-dynasty meritocracy, auditable candidate selection & Section 5 Firewall; [C] Ethics Commission & Audit Committee; [D] Apex Secretariat & Treasurer; [E] Annual Financial & Probity Disclosure.
(2)(xx)	राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संप्रभुता का संरक्षण: [अ] अनुच्छेद ५१क(ग) व संप्रभुता रक्षा; [ब] राष्ट्रीय एकता, रक्षा कर्मियों व पूर्व सैनिकों का सम्मान, तथा साइबर/सीमा सुरक्षा पर जागरूक समर्थन; [स] राष्ट्रीय सुरक्षा एवं पूर्व-सैनिक संवाद प्रकोष्ठ; [द] राष्ट्रीय कार्यकारिणी व नीति परिषद; [य] वार्षिक राष्ट्रीय सुरक्षा व नागरिक दायित्व संवाद विवरण।	National Security & Protection of Sovereignty: [A] Article 51A(c) constitutional duty; [B] Upholding territorial integrity, veterans' welfare & responsible civic cybersecurity awareness; [C] Veterans & National Security Advisory Cell; [D] National Executive & Policy Council; [E] Annual Civic Security Discourse Summary.

अनुच्छेद ९: असंवैधानिक वादों, भेदभाव एवं असत्यापित दावों पर निषेध
Article 9: Prohibition on Unconstitutional Promises, Discrimination and Unsupported Claims

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	अनुच्छेद ८ के किसी भी उद्देश्य की व्याख्या या प्रचार इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि वह किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा या समुदाय के प्रति भेदभाव करे, अथवा विधि, वित्तीय संसाधनों और सक्षम प्राधिकारी की सीमाओं के बाहर अव्यावहारिक या असत्य चुनावी प्रलोभन प्रस्तुत करे।	No objective under Article 8 shall be construed or promoted to advance unlawful discrimination on grounds prohibited by the Constitution of India, nor to issue unconstitutional promises or fabricated statistical claims unsupported by fiscal and legal feasibility.

अनुच्छेद १०: अनुभाग ५ नैतिक एवं वैधानिक दीवार (धर्मार्थ न्यासों से पूर्ण अलगाव) *(अपरिवर्तनीय)*

Article 10: Section 5 Ethical and Legal Firewall (Strict Separation from Charitable Trusts) *(Unalterable)*

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२, आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा १२क/८०जी तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ के अनुपालन में पार्टी किसी भी धर्मार्थ न्यास (जैसे अटल फाउंडेशन) से शून्य वित्तीय प्रवाह, वाहन/चिकित्सालय/स्कूल परिसंपत्ति उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, लाभार्थी डेटा के तकनीकी अलगाव तथा गैर-दावा सिद्धांत के अधीन रहेगी। इसके उल्लंघन पर तत्काल निष्कासन होगा।	In compliance with the Indian Trusts Act, 1882, Sections 12A/80G of the Income Tax Act, 1961, and the RPA 1951, the Party shall enforce zero financial transfers, zero cross-use of charitable assets/hospitals/MMUs/schools, strict PII isolation, and non-claim of charitable projects as Party activities. Breach shall mandate summary expulsion.

CONSTITUTIONAL CHAPTER III | संवैधानिक अध्याय III

अध्याय III — सदस्यता के नियम एवं प्रक्रिया
CHAPTER III — MEMBERSHIP RULES AND ADMINISTRATION

अनुच्छेद ११: पात्रता, न्यूनतम आयु एवं गैर-भेदभावपूर्ण खुला प्रवेश
Article 11: Eligibility, Minimum Age, Citizenship and Open Non-Discriminatory Access

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी की सदस्यता प्रत्येक पात्र वयस्क भारतीय नागरिक के लिए खुली होगी, जिसकी आयु आवेदन की तिथि को कम से कम १८ वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, तथा जो भारत के संविधान और पार्टी के संविधान में विश्वास रखता हो।	Membership of the Party shall be open to any adult citizen of India who has attained the age of at least 18 years on the date of application and subscribes to the Constitution of India and this Party Constitution.
(2)	गैर-भेदभाव: किसी भी पात्र भारतीय नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास अथवा भाषा के आधार पर सदस्यता से वंचित नहीं किया जाएगा।	Non-Discrimination: No eligible citizen of India shall be denied membership on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, residence, or language.
(3)	निरर्हता: कोई व्यक्ति सदस्यता का पात्र नहीं होगा यदि वह: (क) किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य हो; (ख) सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक हिंसा या जघन्य अपराध में दोषसिद्ध हो (जब तक दोषसिद्धि अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगित या निरस्त न कर दी गई हो); अथवा (ग) अहिंसा और संवैधानिक साधनों के सिद्धांत को अस्वीकार करता हो।	Disqualifications: No person shall be admitted if they: (a) belong to any other political party; (b) stand convicted by a competent court for an offence involving moral turpitude, corruption, communal hatred, or heinous crime (unless stayed or set aside); or (c) reject non-violent constitutional democracy.

अनुच्छेद १२: सदस्यता की श्रेणियाँ एवं नाममात्र का वार्षिक शुल्क
Article 12: Categories of Membership and Nominal Annual Fee

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1) साधारण / प्राथमिक सदस्य (Ordinary Member):	अनुच्छेद ११ की समस्त अर्हताएँ पूर्ण करने वाला कोई भी नागरिक ऑनलाइन या ऑफ़लाइन प्रपत्र द्वारा साधारण सदस्य के रूप में नामांकित हो सकता है।	Any citizen fulfilling all criteria under Article 11 may enroll via digital or printed form as an Ordinary (Primary) Member.
(2) सक्रिय सदस्य (Active Member):	पार्टी के संगठनात्मक चुनावों में मतदान करने तथा कार्यकारिणी पदों हेतु चुनाव लड़ने के पात्र सक्रिय सदस्य बनने हेतु: (क) न्यूनतम तीन (३) माह तक साधारण सदस्य के रूप में संतोषजनक सहभागिता (संस्थापक प्रथम चक्र के संक्रमणकालीन अपवाद को छोड़कर); (ख) कम से कम एक प्रमाणित संगठनात्मक/संवैधानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करना; तथा (ग) स्थानीय, बूथ अथवा जनमोर्चा कार्य में सक्रिय योगदान आवश्यक होगा।	To qualify as an Active Member eligible to vote in organisational elections and hold executive offices, a person must: (a) have completed at least three (3) months as an Ordinary Member (subject to transitional Founding Cycle rules under Chapter XXI); (b) complete at least one certified constitutional/organisational training module; and (c) undertake active participation in a local unit or Wing.
(3) सहयोगी / स्वयंसेवक श्रेणी (Associate / Supporter Category):	पार्टी गैर-चुनावी स्वयंसेवक अथवा नीति-संवाद सहयोगी श्रेणी भी रख सकेगी जिसमें विद्यार्थी, शोधकर्ता या नागरिक स्वैच्छिक कौशल योगदान दे सकें। सहयोगी/समर्थक को आंतरिक संगठनात्मक मतदान अधिकार प्राप्त नहीं होगा जब तक वे साधारण व सक्रिय सदस्य के रूप में नामांकित न हों।	Where permitted under approved regulations, the Party may maintain an Associate / Volunteer Supporter category enabling citizens and professionals to contribute time or policy inputs without voting rights in internal organisational elections unless enrolled as Ordinary and Active Members.

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(4) नाममात्र का वार्षिक सदस्यता शुल्क एवं पार्टी कोष में पूर्ण जमा:	सदस्यता शुल्क सदैव आम नागरिक की पहुँच में नाममात्र का रहेगा। संस्थापक अधिवेशन एवं राष्ट्रीय सामान्य महासभा (NGB) के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित मानक संरचना के अंतर्गत साधारण/प्राथमिक सदस्य का वार्षिक शुल्क ₹९९ (निन्नानबे रुपये प्रति वर्ष) तथा सक्रिय काडर सदस्य का वार्षिक शुल्क ₹४९९ (चार सौ निन्नानबे रुपये प्रति वर्ष) प्रस्तावित है (अति-निर्धन अंत्योदय नागरिकों हेतु प्रमाणित शुल्क-छूट मानदंड सहित — सटीक लागू दर अधिवेशन अनुमोदन के अधीन रहेगी)। **समस्त सदस्यता राशि शत-प्रतिशत (१००%) सीधे पार्टी के अधिकृत केंद्रीय बैंक खाते (पार्टी कोष) में जमा होगी**; इसमें से कोई भी अंश किसी भी व्यक्ति को रेफरल कमीशन, डाउनलाइन बोनस या मल्टी-लेवल (MLM) वितरण के रूप में नहीं बांटा जाएगा।	Nominal Annual Membership Fee & 100% Party Fund Deposit: Annual membership dues shall remain strictly nominal and accessible. Under the standard framework placed for Founding Convention / NGB ratification, proposed annual subscriptions are ₹99/year for Ordinary Members and ₹499/year for Active Cadre Members (paired with documented fee-waiver criteria for economically indigent Antyodaya citizens — subject to formal Convention confirmation). **One hundred percent (100%) of all membership receipts shall credit directly to the official Party Bank Account (Central Party Fund)**; zero portion shall ever be distributed as referral commissions, downline shares, or MLM/pyramid payouts.

अनुच्छेद १३: आवेदन, सत्यापन, डिजिटल पंजीकरण एवं मनमानी अस्वीकृति से संरक्षण
Article 13: Application, Verification, Digital Registry and Protection Against Arbitrary Rejection

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	आवेदन एवं सत्यापन: सदस्यता हेतु आवेदन डिजिटल पोर्टल अथवा प्राधिकृत ऑफ़लाइन प्रपत्र द्वारा दिया जा सकता है। प्रत्येक आवेदक को प्रामाणिक मतदाता पहचान संख्या (EPIC) या वैध शासकीय पहचान विवरण तथा डीपीडीपी अधिनियम, २०२३ के अंतर्गत स्पष्ट सहमति देनी होगी। जिला अथवा केंद्रीय सदस्यता डेस्क ३० दिनों के भीतर आवेदन का सत्यापन करेगा।	Application & Verification: Applications may be submitted via the official digital portal or authorised offline form with verifiable Voter ID (EPIC) or Government ID particulars and explicit DPDP Act 2023 consent. The District or Central Membership Desk shall complete verification within thirty (30) days.
(2) कोई असीमित वीटो अधिकार नहीं (No Presidential Veto):	राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा किसी भी व्यक्तिगत पदाधिकारी के पास किसी पात्र नागरिक की सदस्यता आवेदन को मनमाने ढंग से अस्वीकृत करने या रोकने का कोई असीमित वीटो अधिकार (Unrestricted Veto) नहीं होगा।	No Unrestricted Veto Power: Neither the National President nor any individual office-bearer shall possess an unrestricted veto to block or reject the membership application of an eligible citizen.
(3) लिखित कारण एवं अपील अधिकार:	यदि किसी आवेदन को अपात्रता के आधार पर अस्वीकृत किया जाता है, तो सक्षम सत्यापन समिति को १५ दिनों के भीतर स्पष्ट लिखित कारण सूचित करने होंगे और आवेदक ३० दिनों के भीतर उच्चतर सदस्यता/अनुशासन समिति के समक्ष अपील कर सकेगा।	Written Reasons & Right of Appeal: Any rejection of a membership application must record specific written grounds within fifteen (15) days, and the applicant shall enjoy an absolute right to appeal within thirty (30) days to the superior Disciplinary/Appellate body.
(4) सदस्यता पहचान पत्र, रजिस्टर, नवीनीकरण एवं स्थानांतरण:	स्वीकृत प्रत्येक सदस्य को विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या (AJP-MEM-YYYY-XXXX) एवं डिजिटल/प्रिंट कार्ड निर्गत होगा। केंद्रीय सचिवालय एक सुरक्षित, कूटबद्ध और डुप्लीकेट-रोधी सदस्यता रजिस्टर संधारित करेगा। सदस्य के निवास परिवर्तन पर उसकी सदस्यता संबंधित नए जिला/बूथ में बिना किसी बाधा के स्वतः स्थानांतरित हो सकेगी। सदस्यता का नवीनीकरण तीन/चार वर्षीय निर्वाचन चक्र से पूर्व वार्षिक अथवा आवधिक रूप से होगा।	ID Card, Registry, Renewal & Transfer: Approved members receive a unique ID (AJP-MEM-YYYY-XXXX) and digital/print Membership Card recorded in an encrypted, duplicate-prevented Central Membership Register complying with data-protection law. Members relocating residence may transfer unit affiliation seamlessly. Membership renewal shall operate transparently under Schedule I prior to each electoral roll publication.

अनुच्छेद १४: त्यागपत्र, निलंबन, निष्कासन एवं सदस्यता की बहाली

Article 14: Resignation, Suspension, Expulsion, Restoration and Appeals

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	त्यागपत्र: कोई भी सदस्य संबंधित इकाई अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव को लिखित/पंजीकृत ईमेल द्वारा त्यागपत्र दे सकता है, जो प्राप्ति के १५ दिनों में अथवा स्वीकृति पर (जो पहले हो) प्रभावी होगा।	Resignation: Any member may resign by written or authenticated digital notice to their unit President or National General Secretary, taking effect upon acceptance or expiry of fifteen (15) days, whichever is earlier.
(2)	निलंबन एवं निष्कासन: किसी सदस्य को केवल अनुच्छेद ११(३) की निरर्हता अथवा अध्याय XIII में वर्णित आचार संहिता/अनुशासन भंग के प्रमाणित आधार पर ही निलंबित या निष्कासित किया जा सकेगा — और वह भी कारण बताओ नोटिस, आरोप प्रकटीकरण, सुनवाई के अवसर, लिखित तर्कपूर्ण आदेश तथा अपील अधिकार के बिना नहीं।	Suspension & Expulsion: A member may be suspended or expelled solely on verified grounds of disqualification or misconduct under Chapter XIII, strictly following written notice, disclosure of charges, fair opportunity to be heard, reasoned written order, and appellate review.
(3)	बहाली एवं स्वैच्छिक हितों का टकराव: अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दोषमुक्त पाए जाने अथवा निर्धारित प्रतिबंध अवधि के पश्चात पश्चाताप व शुचिता परीक्षण पूर्ण करने पर सक्षम समिति सदस्यता बहाल कर सकेगी। प्रत्येक सदस्य को दलगत दायित्व व निजी व्यवसाय/हितों के मध्य स्पष्ट हितों का टकराव प्रकटीकरण नियम का पालन करना होगा।	Restoration & Conflict of Interest: Membership may be restored upon acquittal by the appellate authority or due rehabilitation review after completing the prescribed cooling-off period. Every member holding office shall disclose any material conflict of interest under Code of Conduct rules.

CONSTITUTIONAL CHAPTER IV | संवैधानिक अध्याय IV

अध्याय IV — सदस्यों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व
CHAPTER IV — RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF MEMBERS

अनुच्छेद १५: सदस्यों के संवैधानिक एवं सांगठनिक अधिकार
Article 15: Rights of Members

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	प्रत्येक पात्र सदस्य को इस संविधान व अनुसूची I के अधीन निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे: (क) संबंधित संगठनात्मक बैठकों एवं जनचौपालों में भाग लेने व विचार रखने का अधिकार; (ख) बैठकों, निर्वाचन कार्यक्रमों एवं प्रासंगिक सांगठनिक परिपत्रों की समयबद्ध सूचना प्राप्त करने का अधिकार; (ग) सक्रिय सदस्यता अर्हता पूर्ण होने पर आंतरिक चुनावों में मतदान करने तथा पदों हेतु चुनाव लड़ने का अधिकार; (घ) पार्टी की नीति, कार्ययोजना एवं संवैधानिक संशोधन हेतु प्रस्ताव व सुझाव प्रस्तुत करने का अधिकार; (ङ) गोपनीयता व डेटा संरक्षण नियमों के अधीन रहते हुए गैर-गोपनीय सांगठनिक अभिलेखों (जैसे ऑडिटेड खाते, कार्यवृत्त सारांश) तक पहुँच प्राप्त करने का अधिकार; (च) किसी भी अनुचित कार्य के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने का अधिकार; (छ) अनुशासनात्मक कार्यवाही में निष्पक्ष सुनवाई और लिखित तर्कपूर्ण निर्णय पाने का अधिकार; (ज) अनुशासनात्मक निर्णयों के विरुद्ध उच्चतर आयोग के समक्ष अपील करने का अधिकार; (झ) पार्टी प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकार; तथा (ञ) सदस्यता-संबंधी डिजिटल सेवाओं व डीपीडीपी डेटा सुधार/विलोपन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार।	Subject to this Constitution and Membership Rules, every qualified member shall have the right to: (a) participate and speak freely in unit meetings; (b) receive timely notices and relevant organisational information; (c) vote in internal elections upon Active qualification; (d) contest internal elections upon Active qualification; (e) propose resolutions and policy suggestions; (f) seek access to non-confidential organisational records under defined transparency rules; (g) submit complaints and grievances; (h) receive a fair hearing in any adverse proceeding; (i) appeal disciplinary decisions; (j) participate in Party training and educational programmes; and (k) access digital membership services and personal data rights.

अनुच्छेद १६: सदस्यों के मौलिक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व
Article 16: Responsibilities and Duties of Members

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	प्रत्येक सदस्य के निम्नलिखित अनिवार्य कर्तव्य होंगे: (क) भारत के संविधान, राष्ट्रीय एकता एवं धारा २९क(५) की निष्ठा का पालन; (ख) सदैव कानून-सम्मत एवं शांतिपूर्ण आचरण; (ग) शून्य-नकद एवं वित्तीय शुचिता नियमों का कठोर पालन; (घ) आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लिए गए बहुमत निर्णयों का सम्मान (शालीन असहमति के अधिकार सहित); (ङ) पार्टी की संपत्तियों, लेटरहेड, प्रतीक एवं नागरिक डेटा की सुरक्षा; (च) हिंसा, धमकी या बल-प्रयोग से पूर्ण परित्याग; (छ) सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा व मर्यादापूर्ण आचरण; तथा (ज) किसी भी प्रकार के उत्पीड़न (यौन उत्पीड़न सहित) एवं जातिगत/धार्मिक/लैंगिक भेदभाव की रोकथाम में सक्रिय सहयोग।	Every member shall owe the following binding duties: (a) Constitutional loyalty and fidelity to India’s sovereignty and unity; (b) Strict lawful conduct; (c) Financial integrity and zero-cash compliance; (d) Respect for democratically reached decisions (while preserving lawful internal dissent); (e) Protection of Party assets, symbols, and citizen data; (f) Strict non-violence; (g) Ethical public conduct; and (h) Active prevention of harassment, intimidation, and unlawful discrimination.

CONSTITUTIONAL CHAPTER V | संवैधानिक अध्याय V

अध्याय V — संगठनात्मक संरचना एवं प्रमुख निकाय
CHAPTER V — ORGANISATIONAL STRUCTURE AND PRINCIPAL ORGANS

अनुच्छेद १७: लोकतांत्रिक पदानुक्रम एवं मनोनीत सदस्यों की सीमा *(ECI अनुपालन)*
Article 17: Democratic Hierarchy, Cap on Nominated Members and Anti-Dynasty Mandate

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी की संपूर्ण संरचना पारदर्शी, बहु-स्तरीय एवं विकेंद्रीकृत लोकतंत्र पर आधारित होगी। किसी भी निर्वाचित कार्यकारिणी, परिषद अथवा मुख्य निर्णायक निकाय में **मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई (१/३ अथवा ३३.३३%) से अधिक कदापि नहीं होगी**, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों का स्पष्ट लोकतांत्रिक बहुमत सदैव सुरक्षित रहे।	The organisational architecture of the Party shall operate as a multi-tiered democratic hierarchy. Across the National Executive Committee, National Council, and every State or District Executive organ, the proportion of nominated members shall strictly NEVER exceed one-third (1/3rd / 33.33%) of the total committee strength, ensuring that democratically elected representation remains predominant.
(2) वंशानुगत एकाधिकार का पूर्ण निषेध:	पार्टी के किसी भी निकाय में कोई पद वंशानुगत, पारिवारिक उत्तराधिकार या आजीवन नियुक्ति द्वारा प्राप्त नहीं होगा। समस्त निर्वाचित निकायों एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल **प्रत्येक तीन (३) वर्ष (तथा अपरिहार्य स्थिति में भी किसी हाल में चार (४) वर्ष से अनधिक)** होगा।	Prohibition of Hereditary Control: No office in any Party organ shall pass by family inheritance or lifetime appointment. Elected organisational bodies and office-bearers shall hold a regular term of three (3) years and shall in NO circumstance exceed a maximum four (4) year election cycle.

अनुच्छेद १८: राष्ट्रीय संस्थापक अधिवेशन, राष्ट्रीय सामान्य निकाय (NGB) एवं राष्ट्रीय परिषद (NC)
Article 18: National Founding Convention, National General Body and National Council

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1) १. राष्ट्रीय संस्थापक अधिवेशन (National Founding Convention):	संविधान के अंगीकरण व प्रथम संक्रमणकालीन व्यवस्था हेतु न्यूनतम १०० पंजीकृत भारतीय मतदाता संस्थापक सदस्यों की संविधान निर्मात्री सभा, जो अनुच्छेद ९६–९८ के अंतर्गत कार्य करेगी और प्रथम निर्वाचित महासभा के गठन पर अपना कार्य पूर्ण मान लेगी।	1. National Founding Convention: The constituent assembly comprising the founding registered Indian electors (minimum 100 electors as required for Section 29A compliance) convened solely to adopt this Constitution and initiate transitional steps under Chapter XXI.
(2) २. राष्ट्रीय सामान्य निकाय (National General Body — NGB):	संरचना व पात्रता: सक्रिय सदस्यों द्वारा प्रत्येक संसदीय/विधानसभा क्लस्टर से प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि, समस्त राज्य अध्यक्ष/महासचिव, राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पदेन राष्ट्रीय पदाधिकारी। शक्तियाँ व कृत्य: यह पार्टी का सर्वोच्च संप्रभु निकाय होगा जो संविधान संशोधन, पार्टी घोषणापत्र, वार्षिक ऑडिटेड खातों की अंतिम स्वीकृति, तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्वाचन का अनुमोदन करता है। बैठक एवं गणपूर्ति: वर्ष में कम से कम एक बार; २१ दिन की पूर्व सूचना; ३५% गणपूर्ति (संशोधन हेतु ५०%); साधारण बहुमत (संशोधन हेतु २/३); कार्यकाल ३ वर्ष (अधिकतम ४ वर्ष)।	2. National General Body (NGB): Composition & Eligibility: Directly elected Active Member delegates per Parliamentary/Assembly cluster, State Presidents/General Secretaries, National Council members, and ex-officio National Executive officers (nominated cap <=1/3). Powers & Functions: Supreme sovereign authority approving constitutional amendments, national manifesto ratification, audited accounts, and national elections. Meetings & Quorum: At least annually; 21 days notice; 35% quorum (50% for amendments); majority vote unless supermajority specified; 3-year term (max 4 years).

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(3) ३. राष्ट्रीय परिषद (National Council — NC):	संरचना व पात्रता: राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, समस्त राज्य कार्यकारिणी प्रमुख, सभी राष्ट्रीय विंग प्रमुख, संस्थापक मार्गदर्शक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक राज्य से निर्वाचित अतिरिक्त प्रतिनिधि (मनोनीत सीमा <= १/३)। शक्तियाँ: NGB अधिवेशनों के मध्य नीतिगत संकल्प पारित करना, बजट व वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना और अपीलीय या जांच पैनलों का गठन करना। बैठक: प्रत्येक छमाही (वर्ष में न्यूनतम २ बार); १५ दिन पूर्व सूचना; १/३ गणपूर्ति; कार्यकाल ३ वर्ष (अधिकतम ४ वर्ष)।	3. National Council (NC): Composition & Eligibility: National Executive members, all State Presidents & General Secretaries, National Wing Chairs, and elected State delegates (nominated cap <=1/3). Powers: Deliberates national policy resolutions between NGB sessions, approves annual budgets, reviews State units, and constitutes oversight committees. Frequency & Quorum: At least bi-annually (twice per year); 15 days notice; 1/3rd quorum; 3-year term (max 4 years).

अनुच्छेद १९: राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (NEC) एवं राष्ट्रीय कार्यकारी निदेशालय (अनु. ५–१०)
Article 19: National Executive Committee and National Office-Bearers (Organs 4–10)

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1) ४. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (National Executive Committee — NEC):	संरचना: २१ से ५१ सदस्य — निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष, अधिकतम ५ उपाध्यक्ष, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव व अधिकतम ३ महासचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अधिकतम ७ सचिव, मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता, सभी विंग अध्यक्ष, एवं शेष राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्वाचित सदस्य (अधिकतम १/३ से अनधिक मनोनीत/पदेन)। शक्तियाँ व उत्तरदायित्व: दल का सर्वोच्च कार्यकारी प्रबंधन, राज्य समितियों का पर्यवेक्षण, बजट नियंत्रण, नियम निर्माण (NGB अनुमोदन के अधीन), तथा अध्याय VI के अनुसार पदाधिकारियों की जवाबदेही। बैठक व गणपूर्ति: न्यूनतम त्रैमासिक (वर्ष में ४ बार); १/३ गणपूर्ति; कार्यकाल ३ वर्ष (अधिकतम ४ वर्ष)। जवाबदेही व हटाने की प्रक्रिया: अपने निर्णयों हेतु राष्ट्रीय परिषद व NGB के प्रति सामूहिक उत्तरदायी; २/३ अविश्वास/निष्कासन प्रस्ताव द्वारा किसी भी पदाधिकारी को हटाने एवं ९० दिन में रिक्ति चुनाव का प्रावधान।	4. National Executive Committee (NEC): Composition: 21 to 51 members consisting of elected National President, up to 5 Vice-Presidents, Principal National General Secretary and up to 3 General Secretaries, National Treasurer, up to 7 Secretaries, Chief Spokesperson, Wing Chairs, and members elected by the National Council (nominated <= 1/3rd). Powers & Duties: Principal executive governance, supervising State units, executing budgets, framing draft regulations for NGB ratification. Frequency & Quorum: At least quarterly (4 times/year); 1/3rd quorum; 3-year term (max 4 years). Accountability & Removal: Collectively accountable to National Council/NGB; removal via 2/3rd resolution with due notice and 90-day vacancy election.
(2) ५–१०. केंद्रीय पदाधिकारीगण:	संविधान के अंतर्गत (५) **राष्ट्रीय अध्यक्ष**, (६) **राष्ट्रीय उपाध्यक्षगण**, (७) **राष्ट्रीय महासचिव**, (८) **राष्ट्रीय सचिवगण**, (९) **राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष** तथा (१०) **राष्ट्रीय प्रवक्तागण** केंद्रीय कार्यकारी तंत्र का निर्माण करेंगे, जिनकी निर्वाचन विधि, पात्रता, कार्यसीमा, रिपोर्टिंग, हटाना एवं रिक्ति नियम अध्याय VI में विस्तृत रूप से अधिनियमित हैं।	5–10. Central Office-Bearers: The (5) National President, (6) National Vice-Presidents, (7) National General Secretary, (8) National Secretaries, (9) National Treasurer, and (10) National Spokespersons shall constitute the National Executive Directorate, governed strictly by the election, power-limitation, accountability, and removal rules under Chapter VI.

अनुच्छेद २०: संवैधानिक आयोग एवं स्वायत्त निगरानी निकाय (निकाय ११–१५)
Article 20: Constitutional Commissions and Independent Oversight Bodies (Organs 11–15)

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1) ११. राष्ट्रीय नीति एवं कार्यक्रम परिषद (National Policy and Programme Council):	संरचना: १५–२५ विशेषज्ञ व निर्वाचित नीति प्रतिनिधि; अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नामित व NC द्वारा अनुमोदित। कृत्य: अध्याय IX के तहत राष्ट्रीय नीति संस्थान का मार्गदर्शन, घोषणापत्र प्रारूप तैयार करना और वार्षिक नीति प्रभाव रिपोर्ट देना। बैठक: त्रैमासिक; गणपूर्ति १/३; कार्यकाल ३ वर्ष (अधिकतम ४ वर्ष)।	11. National Policy and Programme Council: Composition: 15–25 policy scholars and elected delegates ratified by National Council. Duties: Directs the National Policy & Governance Institute under Chapter IX, prepares draft manifestos, publishes policy impact assessments. Quarterly meetings; 1/3rd quorum; 3-year term (max 4 years).

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(2) १२. राष्ट्रीय अनुशासन एवं आचार आयोग (National Disciplinary and Ethics Commission):	संरचना: ५ निष्पक्ष वरिष्ठ सदस्य (कम से कम एक विधि विशेषज्ञ/अधिवक्ता एवं कम से कम एक महिला सदस्य अनिवार्य), राष्ट्रीय परिषद द्वारा ३ वर्ष (अधिकतम ४ वर्ष) हेतु निर्वाचित/अनुमोदित; कार्यकाल में किसी कार्यकारी पद पर नहीं रहेंगे। कृत्य: अध्याय XIII के तहत निष्पक्ष जांच, कारण बताओ नोटिस, नैसर्गिक न्याय व दंड निर्धारण; केवल सिद्ध त्रुटि पर NGB द्वारा ३/४ बहुमत से हटाया जा सकेगा।	12. National Disciplinary and Ethics Commission: 5 independent members (mandatorily including a legal expert/advocate and at least one woman member), appointed/ratified by the National Council for 3 years (max 4 years); barred from holding parallel executive offices. Conducts impartial inquiries under Chapter XIII; removable solely for proven misconduct by 3/4th National Council vote.
(3) १३. राष्ट्रीय आंतरिक निर्वाचन प्राधिकरण (National Internal Election Authority):	संरचना: १ मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CRO) एवं २ आयुक्त; कार्यकारी पदाधिकारियों से पूर्णतः स्वतंत्र व निर्वाचन न लड़ने वाले सदस्य। कृत्य: अध्याय VII के अंतर्गत समस्त इकाइयों की मतदाता सूचियों, नामांकन, मतदान व त्रैवार्षिक/चतुर्वार्षिक चुनावों का निष्पक्ष संचालन। कार्यकाल: ३ वर्ष (अधिकतम ४ वर्ष)।	13. National Internal Election Authority: Chief Returning Officer (CRO) and 2 Election Commissioners, strictly independent from executive aspirants. Conducts all periodic internal elections under Chapter VII. Term: 3 years (max 4 years).
(4) १४. राष्ट्रीय लेखा-परीक्षा एवं वित्त समिति (National Audit and Finance Committee):	संरचना: ५–७ सदस्य (कोषाध्यक्ष पदेन किंतु वित्त-व्यय स्वीकर्ता नहीं; कम से कम एक चार्टर्ड एकाउंटेंट या वित्तीय विशेषज्ञ सहित NC द्वारा निर्वाचित)। कृत्य: अध्याय XII के अंतर्गत आंतरिक ऑडिट, बजट जांच, अनुभाग ५ नैतिक दीवार व शून्य-नकद संहिता का पर्यवेक्षण, तथा वार्षिक वैधानिक सीए ऑडिट का समन्वय। त्रैमासिक बैठक; १/३ गणपूर्ति।	14. National Audit and Finance Committee: 5–7 members (including qualified accounting professionals elected by NC; excluding solo cheque-signatories from audit oversight). Oversees budgets, Section 5 Firewall, internal audit, and statutory CA audit under Chapter XII. Quarterly meetings; 1/3rd quorum.
(5) १५. राष्ट्रीय संविधान एवं विधिक कार्य आयोग (National Constitutional and Legal Affairs Commission):	संरचना: ५–७ संवैधानिक व निर्वाचन विधि विशेषज्ञ अधिवक्ता। कृत्य: अध्याय XIV के तहत संविधान संशोधन प्रारूपों की विधिक समीक्षा, RPA 1951 व ECI परिपत्रों का अनुपालन, न्यायिक वादों का प्रतिनिधित्व एवं उच्च-स्तरीय विवाद निपटारा। द्वि-मासिक बैठक; १/३ गणपूर्ति; कार्यकाल ३ वर्ष (अधिकतम ४ वर्ष)।	15. National Constitutional and Legal Affairs Commission: 5–7 legal/constitutional experts. Conducts legal scrutiny of proposed amendments, RPA 1951 & ECI compliance, and apex dispute resolution under Chapter XIV. Bi-monthly meetings; 1/3rd quorum; 3-year term (max 4 years).

अनुच्छेद २१: आठ विशिष्ट राष्ट्रीय जनमोर्चे एवं प्रकोष्ठ (निकाय १६–२३)

Article 21: Eight Functional National Wings and Fronts (Organs 16–23)

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	जमीनी संवाद, नीतिगत विशेषज्ञता और समावेशी नेतृत्व विकास हेतु निम्नांकित आठ राष्ट्रीय प्रकोष्ठ/मोर्चे कार्य करेंगे (जिनमें AJP की परंपरा के ७ जनमोर्चे व छात्र/सामाजिक समावेशन पूर्णतः समाहित हैं): (१६) **राष्ट्रीय महिला विंग (मातृशक्ति महिला जनोदय प्रकोष्ठ)**; (१७) **राष्ट्रीय युवा विंग (युवा जनोदय मोर्चा)**; (१८) **छात्र विंग (अटल जनोदय छात्र मोर्चा)**; (१९) **किसान विंग (किसान एवं अन्नदाता कल्याण मोर्चा)**; (२०) **श्रमिक एवं कामगार विंग (श्रमिक एवं श्रमजीवी कल्याण मोर्चा)**; (२१) **पेशेवर विंग (अधिवक्ता, चिकित्सक, शिक्षक, सीए, MSME कारीगर व नीति शोध प्रकोष्ठ)**; (२२) **सामाजिक न्याय एवं समावेशन विंग**; तथा (२३) **डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी विंग**।	To ensure sector-specific dialogue and leadership development, eight Functional National Wings shall operate (integrating AJP's established grassroots fronts): (16) National Women's Wing (Matrishakti Mahila Janoday Cell); (17) National Youth Wing (Yuva Janoday Morcha); (18) Student Wing; (19) Farmers' Wing (Kisan & Annadata Kalyan Morcha); (20) Labour & Workers' Wing (Shramik & Shramjivi Kalyan Morcha); (21) Professionals' Wing (comprising Advocates & Legal Literacy, Physicians, Educators, Artisans/MSMEs & Policy Scholars); (22) Social Justice & Inclusion Wing; and (23) Digital & Technology Wing.
(2) सभी प्रकोष्ठों हेतु समान संवैधानिक शासन नियम:	प्रत्येक राष्ट्रीय प्रकोष्ठ की ११ से २१ सदस्यीय कार्यसमिति संबंधित सक्रिय काडर द्वारा ३ वर्ष (अधिकतम ४ वर्ष) हेतु निर्वाचित होगी (मनोनीत <= १/३); प्रत्येक माह या तिमाही बैठक करेगी (गणपूर्ति १/३); अपने क्षेत्र का मासिक मुद्दा-रजिस्टर व प्रगति रिपोर्ट राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सौंपेगी; तथा पद के दुरुपयोग या निष्क्रियता पर कारण बताओ नोटिस के पश्चात सक्षम समिति द्वारा पुनर्गठित/हटाई जा सकेगी।	Uniform Governance of Wings: Each National Wing shall comprise an elected Executive of 11–21 Active Members for a 3-year term (max 4 years; nominated <= 1/3rd), meet at least quarterly/monthly (1/3rd quorum), submit Constituency Issue & Progress Reports to NEC, and remain accountable to the Party Constitution and Ethics Commission.

अनुच्छेद २२: प्रादेशिक, जिला, संसदीय, विधानसभा, ब्लॉक/तहसील, नगरीय, ग्राम एवं बूथ इकाइयाँ (निकाय २४–३०)
Article 22: Territorial Units from State to Booth Level (Organs 24–30)

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	प्रत्येक प्रादेशिक व स्थानीय सोपान का गठन व संचालन अध्याय VIII एवं अनुसूची VII के अधीन लोकतांत्रिक चुनाव द्वारा होगा (कार्यकाल ३ वर्ष, अधिकतम ४ वर्ष; मनोनीत <= १/३; गणपूर्ति १/३): (२४) **राज्य समितियाँ** (राज्य परिषद व राज्य कार्यकारिणी); (२५) **जिला समितियाँ** (जिला अध्यक्ष एवं जिला समन्वय कार्यकारिणी); (२६) **संसदीय (लोकसभा) निर्वाचन क्षेत्र समितियाँ**; (२७) **विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र समितियाँ**; (२८) **मंडल एवं ब्लॉक/तहसील समितियाँ**; (२९) **नगर निकाय, वार्ड एवं मोहल्ला सभा समितियाँ**; तथा (३०) **ग्राम एवं १०-सदस्यीय बूथ-स्तरीय समितियाँ ("बूथ विजय अभियान")**। किसी भी स्तर पर पदोन्नति या पद आवंटन लोकतांत्रिक चुनाव व सांगठनिक योग्यता से होगा, न कि किसी शुल्क-आधारित भर्ती वृक्ष (MLM मैट्रिक्स) से।	Territorial units shall be democratically elected and governed under Chapter VIII and Schedule VII (3-year base term, max 4 years; nominated <= 1/3rd; 1/3rd quorum, or 50% at 10-member Booth level): (24) State/UT Committees (State Council & Executive); (25) District Committees; (26) Parliamentary (Lok Sabha) Constituency Committees; (27) Assembly (Vidhan Sabha) Constituency Committees; (28) Mandal, Block and Tehsil Committees; (29) Municipal, Ward and Mohalla Sabha Committees; and (30) Village and 10-Member Booth-level Committees ("Booth Vijay Abhiyan"). Progression or office-holding across every tier operates strictly through democratic elections and constitutional merit, never via fee-linked MLM downline matrices.

CONSTITUTIONAL CHAPTER VI | संवैधानिक अध्याय VI

अध्याय VI — राष्ट्रीय अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कार्यकारी नेतृत्व
CHAPTER VI — NATIONAL PRESIDENT, OFFICE-BEARERS AND EXECUTIVE LEADERSHIP

अनुच्छेद २३: राष्ट्रीय अध्यक्ष की अर्हता, नामांकन, निर्वाचन एवं कार्यकाल की अधिकतम सीमा
Article 23: National President — Qualifications, Nomination, Election and Term Ceilings

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	अर्हता: पार्टी का कोई भी सक्रिय सदस्य (Active Member), जिसकी आयु कम से कम २५ वर्ष हो, जिसने निरंतर कम से कम दो वर्षों तक सक्रिय सदस्य के रूप में संगठनात्मक कार्य किया हो (संस्थापक प्रथम चक्र में यह अवधि संस्थापक अधिवेशन द्वारा शिथिल की जा सकेगी), और जो अनुच्छेद ११(३) या अनुशासन आयोग की किसी निरर्हता से ग्रस्त न हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद हेतु पात्र होगा।	Qualifications: Any Active Member who has attained at least 25 years of age, possesses a continuous Active Membership record of at least two years (waivable for the inaugural cycle by Founding Convention resolution), and suffers no disqualification under Article 11(3) or disciplinary sanction shall be eligible for election as National President.
(2)	नामांकन एवं लोकतांत्रिक निर्वाचन: राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन स्वतंत्र राष्ट्रीय आंतरिक निर्वाचन प्राधिकरण (अनुच्छेद २०(३)) के पर्यवेक्षण में, कम से कम दो राज्यों से १० निर्वाचित राष्ट्रीय परिषद/प्रांतीय प्रतिनिधियों के प्रस्ताव व अनुमोदन पर, गुप्त मतदान अथवा सत्यापित सुरक्षित मतपत्र द्वारा राष्ट्रीय परिषद व निर्वाचक मंडल से किया जाएगा।	Nomination and Election: The National President shall be elected democratically under the supervision of the independent National Internal Election Authority (Article 20(3)) via secret ballot (or verified auditable ballot) by the Electoral College of National Council and State Council delegates, upon nomination duly proposed and seconded by at least 10 elected delegates spanning at least two States/UTs.
(3)	कार्यकाल एवं लगातार पदावधि की सीमा: राष्ट्रीय अध्यक्ष का सामान्य कार्यकाल ३ (तीन) वर्ष का होगा, जो किसी भी अपरिहार्य स्थिति में कुल ४ (चार) वर्ष से अधिक नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति लगातार दो (२) पूर्ण कार्यकालों से अधिक समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नहीं रहेगा तथा दो कार्यकालों के पश्चात कम से कम एक पूर्ण निर्वाचन चक्र (कम से कम ३ वर्ष) का अंतराल (Cooling-off Period) अनिवार्य होगा।	Term of Office and Consecutive Term Ceiling: The National President shall serve a base term of three (3) years, strictly subject to an unbreakable constitutional outer limit of four (4) years in compliance with ECI norms. No individual shall hold the office of National President for more than two (2) consecutive full terms, followed by a mandatory cooling-off period of at least one full election cycle.

अनुच्छेद २४: राष्ट्रीय अध्यक्ष की शक्तियाँ, दायित्व एवं संवैधानिक परिसीमाएँ (पूर्ण वीटो का निषेध)
Article 24: Powers, Responsibilities and Constitutional Limitations on Presidential Authority (No Veto)

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	कार्यकारी एवं प्रतिनिधित्व दायित्व: राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महासमिति, राष्ट्रीय परिषद एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे; वैधानिक प्राधिकारियों (ECI सहित) के समक्ष पार्टी के औपचारिक पत्राचार का शीर्ष प्रतिनिधित्व करेंगे; कार्यसमिति के निर्णयों के क्रियान्वयन का समन्वय करेंगे; तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रकोष्ठों में विभिन्न पदाधिकारियों के मध्य कार्यविभाजन की संस्तुति करेंगे।	Executive Powers and Responsibilities: The National President shall preside over sessions of the National General Body, National Council, and National Executive Committee; serve as chief constitutional representative in official communications with statutory authorities including the ECI; coordinate execution of collective resolutions; and allocate executive portfolios in consultation with National Executive Members.

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(2)	अध्यक्षीय शक्ति पर स्पष्ट संवैधानिक परिसीमाएँ: राष्ट्रीय अध्यक्ष को निम्नलिखित में से कोई भी एकाधिकार प्राप्त नहीं होगा: (क) महासमिति, राष्ट्रीय परिषद या कार्यकारिणी के बहुमत के निर्णय पर कोई पूर्ण वीटो (Veto Power); (ख) बिना कारण बताओ नोटिस व अनुच्छेद ६७–७१ की सम्यक प्रक्रिया के किसी सदस्य, पदाधिकारी या निर्वाचित समिति को एकतरफा बर्खास्त या निलंबित करना; (ग) संविधान के किसी अनुच्छेद को निलंबित या संशोधित करना; (घ) कार्यकारिणी की दोहरी-हस्ताक्षर प्रणाली (अनुच्छेद ६४) से स्वतंत्र अकेले बैंक खाता संचालित करना या धन आवंटित करना; अथवा (ङ) चुनाव को ४ वर्ष की सीमा से आगे स्थगित करना।	Strict Constitutional Limitations on Authority: The National President shall possess NO unilateral power to: (a) exercise any veto over valid majority resolutions of the NGB, NC, or NEC; (b) unilaterally expel or dismiss any member, elected office-bearer, or elected committee without written reasons and due process under Chapter XIII; (c) suspend or amend any provision of this Constitution; (d) single-handedly operate Party bank accounts or disburse funds outside dual-signatory financial rules (Article 64); or (e) defer mandatory internal elections beyond the four-year outer ceiling.
(3)	जवाबदेही एवं वंशवाद-निरोधक उपबंध: राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रत्येक निर्णय के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद एवं महासमिति के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निकट संबंधी (पति/पत्नी, संतान, माता-पिता, सहोदर) उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, आंतरिक निर्वाचन आयुक्त या अनुशासन आयोग के पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे।	Accountability & Anti-Dynasty Conflict Safeguard: The National President shall remain collectively accountable to the NEC, NC, and NGB. No immediate family member (spouse, parent, child, or sibling) of a serving National President shall be appointed as National Treasurer, Internal Election Commissioner, or Member of the National Ethics Commission during that tenure.

अनुच्छेद २५: राष्ट्रीय पदाधिकारी — उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री एवं प्रवक्ता

Article 25: National Office-Bearers — Vice-Presidents, General Secretary, Secretaries, Treasurer, Joint Secretaries and Spokespersons

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	उपाध्यक्षगण (संख्या: २ से ५ तक): राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्वाचित व अनुमोदित सदस्यों में से नियुक्त/निर्वाचित उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति, अवकाश या अस्थायी असमर्थता में वरिष्ठतम उपाध्यक्ष (कार्यकारिणी द्वारा नामित वरीयता क्रम के अनुसार) कार्यवाहक दायित्व निभाएंगे।	Vice-Presidents (2 to 5): Elected/ratified from among National Executive Members, Vice-Presidents shall assist the National President in zonal and thematic coordination. During temporary absence, leave, or incapacity of the President, the designated Senior Vice-President in precedence shall discharge officiating functions.
(2)	राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन एवं प्रशासन) [National General Secretary]: केंद्रीय सचिवालय, संगठन समन्वय, महासमिति/परिषद के कार्यवृत्त (Minutes), सदस्यता अभिलेख एवं वैधानिक अनुपालन के मुख्य प्रशासनिक प्रभारी होंगे। महामंत्री (जैसे पूर्व-दस्तावेज अनुमोदित दायित्व के अधीन, तथा आगामी चुनावों में निर्वाचित/अनुमोदित व्यवस्था से) सभी बैठकों की कार्यसूची और अभिलेखों की पारदर्शी रखरखाव सुनिश्चित करेंगे।	National General Secretary (Organisation & Administration): Shall serve as chief administrative officer overseeing the Central Secretariat, statutory filings, official minutes of NGB/NC/NEC, membership registers, and inter-state organisational coordination, ensuring institutional continuity and transparent record-keeping.
(3)	कोषाध्यक्ष (National Treasurer): चार्टर्ड एकाउंटेंट या समतुल्य वित्तीय प्रबंधन योग्यता व अनुभव संपन्न व्यक्ति प्राथमिकता से राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्वाचित/नामित होंगे। कोषाध्यक्ष दोहरी-हस्ताक्षर प्रणाली (Article 64) के अधीन पार्टी के कोष, डिजिटल बही-खातों, बजट अनुपालन, फॉर्म २४ए व आयकर-ईसीआई विवरणियों के संरक्षक होंगे।	National Treasurer: Preferably possessing formal accounting, auditing, or financial governance competence, the Treasurer shall be custodian of consolidated Party accounts, digital ledgers, Form 24A reporting, Income Tax/ECI annual returns, and dual-signatory disbursement controls under Chapter XII.
(4)	राष्ट्रीय मंत्रीगण एवं संयुक्त मंत्रीगण (Secretaries & Joint Secretaries): प्रादेशिक प्रभार, प्रकोष्ठ समन्वय, प्रशिक्षण कार्यशालाओं एवं दस्तावेज प्रबंधन हेतु ४ से ८ मंत्री तथा २ से ४ संयुक्त मंत्री कार्यविभाजन के अनुसार दायित्व संभालेंगे।	National Secretaries & Joint Secretaries: Four (4) to eight (8) Secretaries and two (2) to four (4) Joint Secretaries shall manage assigned regional desks, wing coordination, training modules, and secretarial documentation.

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(5)	अधिकृत प्रवक्तागण (Official Spokespersons): राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा संवैधानिक नीतियों, साक्ष्य-आधारित अभिव्यक्ति एवं मीडिया संहिता के प्रशिक्षण उपरांत नियुक्त अधिकृत प्रवक्ता ही पार्टी के औपचारिक नीतिगत वक्तव्य जारी करेंगे (देखें अध्याय XVII)।	Official Spokespersons: Formally designated by NEC under Chapter XVII based on policy literacy and media discipline to communicate official Party positions accurately across public and digital platforms.

अनुच्छेद २६: कार्यविभाजन, शक्ति-केंद्रीकरण पर निषेध एवं हितों का टकराव
Article 26: Portfolio Allocation, Anti-Concentration Rule and Conflict-of-Interest Disclosures

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	'एक व्यक्ति — एक प्रमुख कार्यकारी पद' सिद्धांत: कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ एक से अधिक शीर्ष कार्यकारी पद (जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष) अथवा प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय पदाधिकारी का दोहरा कार्यकारी भार धारण नहीं करेगा। अस्थायी संकट स्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुमोदन से यह दोहरा प्रभार अधिकतम ९० दिनों से अधिक नहीं रहेगा।	One-Person One-Executive-Post Principle: No office-bearer shall simultaneously hold more than one apex executive office (National President, General Secretary, Treasurer) or hold concurrent State President and National Office-Bearer executive posts, save under an emergency resolution of the NEC strictly capped at ninety (90) days.
(2)	सार्वजनिक व निजी हितों का प्रकटीकरण: प्रत्येक राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने के ३० दिनों के भीतर अपनी संविदात्मक, कॉर्पोरेट, लॉबिंग, धर्मार्थ न्यास (अनुभाग ५ दीवार के अधीन) एवं सरकारी लाभ के पदों से संबंधित हित-टकराव (Conflict of Interest) घोषणापत्र महामंत्री के समक्ष दाखिल करना होगा। कोई भी ऐसा निजी लाभकारी पद या संविदा धारण नहीं किया जाएगा जो जनहित या पार्टी शुचिता से टकराता हो।	Public & Private Conflict Disclosure: Within 30 days of assuming office, every National and State Office-Bearer shall file a sworn Conflict-of-Interest Disclosure detailing corporate directorships, public contracts, and charitable trust affiliations (subject to the Section 5 Firewall). Holding conflicting commercial contracts with public agencies under scrutiny or opaque lobbying roles is strictly prohibited.

अनुच्छेद २७: त्यागपत्र, अस्थायी अनुपस्थिति एवं अक्षमता प्रबंधन
Article 27: Resignation, Temporary Absence and Incapacity

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	कोई भी राष्ट्रीय पदाधिकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित (तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष की दशा में राष्ट्रीय परिषद के सभापति/महामंत्री के माध्यम से कार्यकारिणी को प्रेषित) लिखित हस्ताक्षरित त्यागपत्र द्वारा पद त्याग सकेगा। त्यागपत्र पर कार्यकारिणी द्वारा १५ दिनों के भीतर निर्णय न लिए जाने पर भी ३०वें दिन वह स्वतः प्रभावी हो जाएगा, बशर्ते त्यागपत्रकर्ता वित्तीय लेखा व अभिलेखों का विधिवत हस्तांतरण पूर्ण कर दे।	Any office-bearer may resign by signed notice addressed to the NEC (or, in the case of the National President, to the NEC via the National General Secretary). Unless rejected on pending financial handover verification within 15 days, resignation shall take automatic effect by the 30th day upon due handover of records and custody.
(2)	गंभीर चिकित्सीय असमर्थता या ६० दिनों से अधिक अनधिकृत अनुपस्थिति की दशा में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा चिकित्सा/तथ्य सत्यापन के पश्चात वरिष्ठ उपाध्यक्ष को कार्यवाहक दायित्व सौंपा जा सकेगा।	In cases of certified medical incapacity or continuous unexcused absence exceeding 60 days, the NEC may verify facts and authorize the designated Senior Vice-President to act pending recovery or fresh election.

अनुच्छेद २८: सम्यक प्रक्रिया द्वारा अविश्वास प्रस्ताव एवं पदच्युति

Article 28: Removal and No-Confidence Motion Subject to Due Process

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी शीर्ष राष्ट्रीय पदाधिकारी के विरुद्ध संवैधानिक उल्लंघन, वित्तीय अनियमितता, अनुशासन संहिता भंग या गंभीर निष्क्रियता के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव केवल राष्ट्रीय परिषद के कम से कम १/३ (एक-तिहाई) निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित एवं तर्कयुक्त लिखित आवेदन पर ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।	A No-Confidence or Removal Motion against the National President or any National Office-Bearer for constitutional breach, financial irregularity, misconduct, or grave dereliction may be moved solely upon a written, reasoned requisition signed by at least one-third (1/3rd) of the elected voting strength of the National Council.
(2)	नैसर्गिक न्याय की गारंटी: प्रस्ताव प्राप्त होने के २१ दिनों के भीतर विशेष बैठक आहूत की जाएगी; आरोपित पदाधिकारी को कम से कम १४ दिन पूर्व लिखित आरोप-पत्र व साक्ष्य प्रति उपलब्ध कराई जाएगी तथा उन्हें स्वयं अथवा अपने नामित सक्रिय सदस्य-सहयोगी के माध्यम से मौखिक एवं लिखित प्रतिरक्षा का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव केवल उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई (२/३) विशेष बहुमत (तथा कुल परिषद सदस्यता के बहुमत) से पारित होने पर ही प्रभावी होगा।	Natural Justice Safeguard: A special National Council session shall convene within 21 days; the respondent office-bearer shall receive formal charges and supporting material at least 14 days prior and enjoy full right of written and oral defence. Removal shall carry solely by a two-thirds (2/3rd) supermajority of members present and voting, representing also an absolute majority of total Council strength.

अनुच्छेद २९: आकस्मिक रिक्तियों की समयबद्ध पूर्ति
Article 29: Time-Bound Filling of Casual Vacancies

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युति या अयोग्यता से रिक्त होने पर वरिष्ठतम उपाध्यक्ष (अथवा कार्यकारिणी द्वारा २४ घंटे में निर्वाचित कार्यवाहक अध्यक्ष) अंतरिम कार्यभार संभालेंगे तथा स्वतंत्र आंतरिक निर्वाचन प्राधिकरण को अधिकतम ९० (नब्बे) दिनों के भीतर अवशेष कार्यकाल (अथवा नये पूर्ण चक्र, जैसा भी कम हो) हेतु नया विधिवत निर्वाचन संपन्न कराना अनिवार्य होगा। अन्य पदाधिकारियों की रिक्तियां ४५ दिनों के भीतर भरी जाएंगी।	Upon casual vacancy in the office of National President due to death, resignation, removal, or disqualification, the Senior Vice-President (or an acting President chosen within 24 hours by NEC) shall assume interim charge, and the Internal Election Authority shall conduct a formal election within a strict outer timeline of ninety (90) days. Other office-bearer vacancies shall be filled within 45 days.

CONSTITUTIONAL CHAPTER VII | संवैधानिक अध्याय VII

अध्याय VII — आंतरिक लोकतंत्र एवं संगठनात्मक निर्वाचन
CHAPTER VII — INTERNAL DEMOCRACY AND ORGANISATIONAL ELECTIONS

अनुच्छेद ३०: आवधिक आंतरिक चुनाव की अनिवार्य बाध्यता एवं ४-वर्षीय अधिकतम सीमा *(अपरिवर्तनीय संवैधानिक नियम)*
Article 30: Mandatory Periodic Internal Elections and Strict Four-Year Maximum Term Ceiling *(Core Compliance Safeguard)*

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी प्रत्येक स्तर (बूथ, स्थानीय इकाई, जिला, राज्य, प्रकोष्ठ एवं राष्ट्रीय स्तर) पर पारदर्शी, स्वतंत्र और आवधिक आंतरिक चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। समस्त निर्वाचित संगठनात्मक निकायों एवं पदाधिकारियों का सामान्य कार्यकाल ३ (तीन) वर्ष होगा, तथा यह किसी भी स्थिति में **अधिकतम ४ (चार) वर्ष** की वैधानिक सीमा से अधिक नहीं होगा।	The Party solemnly covenants to hold free, fair, and periodic internal organisational elections across all tiers from Booth to National level. Every elected organisational body and office-bearer shall hold a ordinary base term of three (3) years, strictly subject to an **unbreakable outer constitutional ceiling of four (4) years** consistent with ECI registration mandates.
(2)	किसी भी प्रकार की संवैधानिक व्याख्या या संकटकालीन विस्तार से किसी निर्वाचित संगठनात्मक इकाई या पदाधिकारी का कार्यकाल ५ वर्ष तक नहीं बढ़ाया जाएगा। कार्यकाल समाप्त होने से कम से कम ९० दिन पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। नीतिगत नियोजन का पाँच-वर्षीय क्षितिज (अनुच्छेद ४६) केवल गैर-निर्वाचित घोषणापत्र एवं शोध समीक्षा पर लागू होगा।	No emergency resolution, transitional provision, or administrative delay shall permit any elected organisational committee or officer-bearer to remain in office for five (5) years. Election notification shall issue at least 90 days prior to term expiry. Any five-year planning horizon under Chapter IX applies solely to non-elected policy review.

अनुच्छेद ३१: स्वतंत्र आंतरिक निर्वाचन प्राधिकरण, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CRO) एवं पर्यवेक्षक
Article 31: Independent Internal Election Authority, Chief Returning Officer (CRO) and Observers

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	आंतरिक चुनावों के निष्पक्ष संचालन हेतु अनुच्छेद २०(३) के अंतर्गत गठित तीन-सदस्यीय राष्ट्रीय आंतरिक निर्वाचन प्राधिकरण (१ मुख्य निर्वाचन अधिकारी - CRO एवं २ निर्वाचन आयुक्त) को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होगी। CRO एवं आयुक्त अपने कार्यकाल में न तो कोई अन्य पार्टी पद धारण करेंगे और न ही किसी संगठनात्मक चुनाव में प्रत्याशी होंगे।	All internal elections shall be conducted by the autonomous three-member National Internal Election Authority (Chief Returning Officer and two Election Commissioners) constituted under Article 20(3). Neither the CRO nor any Commissioner may hold concurrent executive office or contest any internal post during their term or within six months after demitting office.
(2)	CRO प्रत्येक राज्य हेतु राज्य निर्वाचन अधिकारी (SRO) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (DRO) नियुक्त करेंगे। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं प्रांतीय चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु गैर-संबद्ध वरिष्ठ सदस्यों या बाह्य विधिक प्रेक्षकों को स्वतंत्र पर्यवेक्षक (Independent Observers) नियुक्त किया जा सकेगा।	The CRO shall appoint State Returning Officers (SROs) and District Returning Officers (DROs) free from local factional conflict, and shall deploy independent observers to monitor critical polls and counting.

अनुच्छेद ३२: मतदाता सूचियों का प्रकाशन, दावे-आपत्तियाँ एवं अंतिम शुद्धता
Article 32: Publication of Electoral Rolls, Correction Window and Finalization

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	प्रत्येक संगठनात्मक चुनाव से कम से कम ४५ दिन पूर्व, कट-ऑफ तिथि तक सत्यापित साधारण व सक्रिय सदस्यों की प्रारूप मतदाता सूची संबंधित इकाई कार्यालय एवं डिजिटल सदस्यता पोर्टल (पीआईआई-संरक्षित अभिगमन नियंत्रण सहित) पर प्रकाशित की जाएगी।	At least 45 days before polling, draft Electoral Rolls comprising verified members meeting cut-off eligibility shall be published at the relevant unit notice board and secure authenticated member portal (subject to DPDP Act access controls).

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(2)	दावा एवं आपत्ति खिड़की: प्रारूप सूची के प्रकाशन से १४ दिनों के भीतर कोई भी सदस्य नाम जोड़ने, त्रुटि सुधारने या दोहराव/अपात्र प्रविष्टि पर साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कर सकेगा, जिसका DRO/SRO द्वारा ७ दिनों के भीतर कारणयुक्त लिखित आदेश से निपटारा कर अंतिम मतदाता सूची चुनाव से १५ दिन पूर्व प्रकाशित की जाएगी।	Claims and Objections Window: Within 14 days of draft publication, any eligible member may submit claims or reasoned objections supported by records; the DRO/SRO shall dispose of all objections by speaking written order within 7 days and notify the Final Electoral Roll at least 15 days prior to polling.

अनुच्छेद ३३: नामांकन, संवीक्षा, नाम-वापसी एवं प्रत्यक्ष/परोक्ष पिरामिड निर्वाचन मॉडल
Article 33: Nomination, Scrutiny, Withdrawal and Multi-Tier Direct & Indirect Election Architecture

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	नामांकन एवं जांच: नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तावक व अनुमोदक (संबंधित मतदाता सूची से) के हस्ताक्षर, पात्रता घोषणा एवं अनुशासन अनापत्ति सहित दाखिल होंगे। जांच के उपरांत वैध उम्मीदवारों को नाम वापस लेने हेतु कम से कम ४८ घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक अस्वीकृति का लिखित कारण तत्काल दिया जाएगा।	Nominations, Scrutiny & Withdrawal: Candidates shall submit standardized nomination papers signed by eligible proposers and seconders along with compliance declarations. Returning Officers shall record reasoned grounds for any rejection and allow at least 48 hours for voluntary withdrawal.
(2)	प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन संरचना: (क) बूथ, ग्राम व वार्ड समितियाँ संबंधित पंजीकृत प्राथमिक सदस्यों के प्रत्यक्ष गुप्त मतदान/सत्यापित चुनाव से चुनी जाएंगी; (ख) ब्लॉक, विधानसभा व जिला इकाइयाँ बूथ/वार्ड प्रतिनिधियों द्वारा; (ग) राज्य परिषदें ब्लॉक/जिला प्रतिनिधियों द्वारा तथा राज्य कार्यकारिणी राज्य परिषद द्वारा निर्वाचित होंगी; और (घ) राष्ट्रीय परिषद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रांतीय प्रतिनिधियों के निर्वाचक मंडल द्वारा होगा तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित/निर्वाचित होगी।	Direct and Indirect Pyramid Architecture: (a) Booth, Village & Ward Committees shall be elected directly by verified unit members; (b) Block, Assembly & District Committees by lower-tier elected delegates; (c) State Councils by Constituency/District delegates, electing State Executives; and (d) National Council by State/Assembly Electoral Colleges, with NEC & National President elected as prescribed under Chapter V and VI.

अनुच्छेद ३४: गुप्त मतदान, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुरक्षा एवं मतगणना
Article 34: Secret Ballot, Hybrid Voting Security, Counting and Declaration

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति को छोड़कर, प्रत्येक विवादित पद हेतु मतदान अनिवार्य रूप से गुप्त मतपत्र (अथवा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित छेड़छाड़-रोधी, दो-कारक प्रमाणित और ऑडिट-योग्य सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक/हाइब्रिड प्रणाली) से होगा। प्रॉक्सी मतदान (Proxy Voting) पूर्णतः निषिद्ध होगा।	Except where candidates stand duly unopposed after scrutiny and withdrawal, all contested elections shall proceed strictly by secret paper ballot or certified tamper-evident, two-factor authenticated, auditable electronic-hybrid voting supervised by the Internal Election Authority. Proxy voting is strictly prohibited.
(2)	मतगणना प्रत्याशियों या उनके अधिकृत अभिकर्ताओं की उपस्थिति में पारदर्शी ढंग से संपन्न होगी, तुरंत परिणाम घोषित कर सीलबंद अभिलेख प्राधिकरण के पास २ वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएंगे।	Counting shall occur transparently in the presence of candidates or authorized agents, followed by immediate result declaration and sealed custody of polling records for at least 24 months.

अनुच्छेद ३५: चुनाव भ्रष्ट आचरण का निषेध, चुनाव याचिका एवं समयबद्ध निपटारा

Article 35: Prohibition on Corrupt Internal Practices and Election Petition Resolution

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	आंतरिक चुनावों में बूथ कब्जा, रिश्वत, धन या प्रलोभन वितरण, धमकी, जाली सदस्यता जोड़ना, मतदाता सूची में हेराफेरी अथवा सामुदायिक-सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कठोरतम चुनाव अपराध माने जाएंगे, जिन पर तत्काल उम्मीदवारी निरस्तीकरण एवं अनुच्छेद ६८ के तहत निष्कासन लागू होगा।	Any attempt at booth capturing, bribery, cash/gift inducement, coercion, creation of bogus memberships, roll manipulation, or communal polarization in internal elections shall be an aggravated offence inviting immediate disqualification and expulsion proceedings under Chapter XIII.
(2)	निर्वाचन याचिका (Election Petition): परिणाम घोषणा के १५ दिनों के भीतर किसी पराजित प्रत्याशी या ५% मतदाताओं द्वारा CRO/सक्षम निर्वाचन न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर की जा सकेगी। सभी चुनाव विवादों का निर्णय अधिकतम ३० दिनों के भीतर लिखित एवं तर्कयुक्त आदेश द्वारा किया जाएगा।	Election Petitions: Aggrieved candidates or at least 5% of unit electors may lodge an election challenge within 15 days of declaration before the Internal Election Authority (or Appellate Legal Commission where CRO is impugned), which shall deliver a reasoned decision within 30 days.

अनुच्छेद ३६: अधिकतम १/३ मनोनीत सदस्य सीमा, तदर्थ समिति पर प्रतिबंध एवं ईसीआई को सूचना *(अनिवार्य नियम)*
Article 36: Mandatory 1/3rd Nomination Limit, Ban on Indefinite Ad-Hoc Bodies and ECI Reporting

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	अधिकतम १/३ मनोनीत सदस्य नियम: केंद्र से लेकर बूथ तक किसी भी कार्यकारिणी, परिषद या समिति में मनोनीत (अनिर्वाचित) सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में कुल सदस्य संख्या के **एक-तिहाई (१/३ या ३३.३३%)** से अधिक नहीं होगी। शेष कम से कम दो-तिहाई (२/३) सदस्य विधिवत निर्वाचित होंगे। इस सीमा का उल्लंघन करने वाला कोई भी गठन शून्य (Void ab initio) होगा।	Maximum One-Third Nominated Ceiling: At every organisational tier from Booth to National Executive/Council, the total count of nominated (non-elected) members shall strictly NOT exceed **one-third (1/3rd or 33.33%)** of total committee strength. Any purported constitution violating this threshold shall be void ab initio.
(2)	अनिश्चितकालीन तदर्थ समितियों (Ad-hoc Committees) पर निषेध: किसी नवगठित या विघटित इकाई में तदर्थ/संयोजन समिति अधिकतम ६ (छह) माह की अवधि के लिए ही गठित की जा सकेगी और इस अवधि में निर्वाचन संपन्न कराना अनिवार्य होगा। कोई भी तदर्थ समिति संवैधानिक निकाय का स्थायी विकल्प नहीं बनेगी।	Prohibition on Indefinite Ad-Hoc Committees: An interim or ad-hoc organising committee for a newly established or reorganized unit may function for an absolute maximum of six (6) months solely to enroll members and conduct democratic elections.
(3)	भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को वैधानिक सूचना: राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं प्रमुख संगठनात्मक चुनाव पूर्ण होने के ३० दिनों के भीतर राष्ट्रीय महामंत्री (CRO द्वारा प्रमाणित परिणाम सहित) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा २९क(९) के अनुरूप भारतीय निर्वाचन आयोग को औपचारिक रूप से सूचित करेंगे।	Statutory Reporting to ECI: Within 30 days of concluding national/state organisational elections or changes in principal office-bearers, the National General Secretary (upon certification by CRO) shall formally notify the Election Commission of India under Section 29A(9) of the RPA 1951.

CONSTITUTIONAL CHAPTER VIII | संवैधानिक अध्याय VIII

अध्याय VIII — राज्य, जिला, विधानसभा एवं स्थानीय संगठनात्मक इकाइयाँ
CHAPTER VIII — STATE, DISTRICT AND LOCAL ORGANISATIONAL UNITS

अनुच्छेद ३७: राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश इकाइयों के गठन एवं मान्यता के मानदंड
Article 37: Criteria for Formation and Recognition of State and Union Territory Units

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी देश के प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेश में पूर्ण प्रादेशिक इकाइयाँ स्थापित करने हेतु प्रयासरत रहेगी। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इकाई को पूर्ण संवैधानिक मान्यता तब प्राप्त होगी जब वहां कम से कम ४०% जिलों (अथवा छोटे राज्यों/संघ क्षेत्रों में न्यूनतम निर्धारित इकाइयों) में सत्यापित सक्रिय सदस्यता एवं सक्रिय जिला/बूथ समितियाँ गठित हों। प्राथमिक विस्तार चरण में 'राज्य संगठन समन्वय समिति' (अधिकतम ६ माह के चुनाव लक्ष्य सहित) कार्य करेगी।	The Party aims to establish constitutional units across every State and Union Territory of India. Full State Unit recognition shall accrue upon establishing verified active membership and operational District/Booth units across at least 40% of districts (or minimum prescribed threshold for smaller States/UTs). During initial expansion, an Organizing Coordination Committee may operate subject to the 6-month election rule (Article 36(2)).

अनुच्छेद ३८: राज्य परिषद एवं राज्य कार्यकारिणी
Article 38: State Council and State Executive Committee

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	राज्य परिषद (State Council): विधानसभा/जिला स्तर से निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा संबंधित प्रांतीय सांसदों/विधायकों (सीमित पदेन अनुपात में) से गठित शीर्ष प्रांतीय विचार-विमर्श निकाय होगा, जिसकी बैठक कम से कम वर्ष में एक बार होगी (गणपूर्ति १/३)।	State Council: The apex state-level deliberative assembly elected by District/Assembly Electoral Colleges (plus limited ex-officio AJP State legislators within 1/3 non-elected limits), convening at least annually with a 1/3rd quorum.
(2)	राज्य कार्यकारिणी (State Executive Committee): ३१ से ६१ सदस्यों की कार्यकारी समिति (प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य महामंत्री, राज्य कोषाध्यक्ष, मंत्री एवं प्रकोष्ठ संयोजक सहित; मनोनीत <= १/३), जो कम से कम द्वि-मासिक बैठक करेगी, प्रांतीय बजट/बैंकिंग व अभियान चलाएगी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय महासमिति की नीतियों के अधीन कार्य करेगी। कार्यकाल: ३ वर्ष (अधिकतम ४ वर्ष)।	State Executive Committee: Comprising 31–61 members (State President, Vice-Presidents, State General Secretary, State Treasurer, Secretaries, Wing Conveners; nominated <= 1/3rd), meeting at least bi-monthly, overseeing State campaigns and audited finances under national oversight for a 3-year term (max 4 years).

अनुच्छेद ३९: संभागीय, जिला एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र समितियाँ
Article 39: Divisional, District and Parliamentary Constituency Committees

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	प्रत्येक राजस्व जिले एवं महानगर क्षेत्र में २१ से ४१ सदस्यीय जिला समिति कार्य करेगी (अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष व सेक्टर प्रभारियों सहित; मनोनीत <= १/३), जो ब्लॉक/नगर इकाइयों के समन्वय, स्थानीय जनसुनवाई एवं जिला नीति श्वेतपत्र संकलन का दायित्व निभाएगी।	Every revenue district (and notified metropolitan district) shall elect a 21–41 member District Committee (President, General Secretary, Treasurer, wing coordinators; nominated <= 1/3rd) coordinating Blocks/Municipalities, local Jan-Sunwai dialogues, and District Policy White Papers.
(2)	संगठनात्मक समन्वय हेतु संभागीय (Divisional) एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (Lok Sabha) समन्वय समितियाँ संबंधित जिला व विधानसभा अध्यक्षों से गठित की जा सकेंगी ताकि संसदीय चुनावों व अंतर-जिला नीतिगत कार्यों में एकरूपता रहे।	Divisional and Parliamentary Constituency Coordination Committees comprising elected District and Assembly unit heads may be constituted to synchronize Lok Sabha campaigns and regional development coordination.

अनुच्छेद ४०: विधानसभा, ब्लॉक, तहसील, मंडल, नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत समितियाँ

Article 40: Assembly, Block, Tehsil, Mandal, Municipal, Ward and Gram Panchayat Committees

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, विकास खंड/तहसील, नगरीय निकाय (नगर निगम/पालिका/पंचायत), वार्ड तथा ग्राम पंचायत में ११ से २१ सदस्यीय निर्वाचित कार्यकारी समितियाँ कार्य करेंगी। प्रत्येक इकाई मासिक बैठक करेगी (गणपूर्ति १/३), स्थानीय नागरिक समस्याओं का डिजिटल-लिखित रजिस्टर रखेगी और उच्च इकाई को मासिक रिपोर्ट भेजेगी।	Elected Executive Committees of 11–21 members shall operate at Assembly Constituency, Block/Tehsil/Mandal, Municipal Corporation/Council, Ward, and Gram Panchayat levels, convening monthly (1/3rd quorum), maintaining civic issue registers, and reporting monthly to superior tiers.

अनुच्छेद ४१: १०-सदस्यीय बूथ-स्तरीय समिति एवं “बूथ विजय अभियान” कार्यप्रणाली
Article 41: Ten-Member Booth-Level Committee and “Booth Vijay Abhiyan” Framework

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में प्रत्येक मतदान केंद्र (Booth) पर १० समर्पित सक्रिय सदस्यों की “बूथ विजय समिति” स्थानीय सदस्यों द्वारा ३ वर्ष (अधिकतम ४ वर्ष) हेतु निर्वाचित की जाएगी (गणपूर्ति न्यूनतम ५ सदस्य), जिसमें अनुसूची VII तथा AJP की “बूथ विजय अभियान” संहिता के अनुरूप १० स्पष्ट कार्यात्मक भूमिकाएँ होंगी: (१) बूथ अध्यक्ष; (२) महामंत्री (अभिलेख व बैठक); (३) डिजिटल प्रमुख (सत्यापित सदस्य संवाद); (४) महिला संवाद प्रमुख; (५) युवा प्रमुख; (६) पन्ना/परिवार संपर्क प्रमुख; (७) सरकारी योजना एवं नागरिक अधिकार सहायता मार्गदर्शक (बिना अनुभाग ५ उल्लंघन के पूर्णतः नागरिक सहायता); (८) किसान/श्रमिक समन्वयक; (९) वरिष्ठ नागरिक सम्मान प्रतिनिधि; तथा (१०) स्वच्छता/जल व पर्यावरण समन्वयक।	Every polling booth shall elect a dedicated 10-member “Booth Vijay Committee” from among verified local members for a 3-year term (max 4 years; quorum 5 members), structured into ten functional civic roles pursuant to Schedule VII and AJP Booth Guidelines: (1) Booth President; (2) Booth Secretary (Records); (3) Digital Coordinator; (4) Women Outreach Coordinator; (5) Youth Coordinator; (6) Page/Household Contact Coordinator (Panna Pramukh); (7) Civic Schemes & Citizen Rights Guide (strictly non-charitable civic facilitation complying with Section 5); (8) Kisan/Worker Coordinator; (9) Elder Respect & Dialogue Representative; and (10) Sanitation/Water & Ecology Coordinator.
(2)	बूथ समितियाँ शून्य-रिश्वत, शून्य-नकद एवं पूर्ण मतदाता-गरिमा आचार संहिता का पालन करेंगी तथा अनुभाग ५ नैतिक दीवार का अतिक्रमण कभी नहीं करेंगी।	All Booth Committees shall strictly uphold zero-bribery, zero-cash conduct, and total compliance with the Section 5 Ethical Firewall.

अनुच्छेद ४२: इकाइयों का शक्ति-विभाजन, वित्तीय जवाबदेही, रिपोर्टिंग एवं क्षेत्रीय संतुलन
Article 42: Demarcation of Powers, Financial Accountability, Escalation and Regional Balance

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	प्रत्येक इकाई अपने स्तर के स्थानीय कार्यक्रमों, जनसंपर्क, नीति सुझावों व अनुमोदित बजट व्यय का संचालन करने में स्वायत्त होगी, बशर्ते वह राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्रीय नीति एवं अनुशासन संहिता का अतिक्रमण न करे। कोई भी प्रांतीय या निचली इकाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना बैंक खाता नहीं खोलेगी, अचल संपत्ति क्रय/हस्तांतरण नहीं करेगी अथवा ऋण नहीं लेगी।	Territorial units enjoy operational autonomy in local civic engagement, feedback, and approved budget execution within the framework of this Constitution and national policy. No unit below the State Executive may open an independent bank account, acquire/transfer real property, or contract institutional debt without prior written NEC & National Treasurer authorization.
(2)	विवाद वृद्धि व क्षेत्रीय संतुलन: स्थानीय प्रशासनिक विवाद पहले ठीक ऊपर की इकाई की समन्वय समिति को और असफल होने पर अध्याय XIV विवाद तंत्र को प्रेषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यालय से अखिल भारतीय विस्तार में सभी राज्यों एवं भाषाई-सांस्कृतिक क्षेत्रों का संतुलित प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय परिषद एवं कार्यकारिणी में सुनिश्चित किया जाएगा।	Escalation & Regional Balance: Operational disputes shall be referred to the immediate superior committee and thereafter under Chapter XIV. Expanding nationally from its Lucknow headquarters, the Party guarantees equitable regional, linguistic, and cultural representation within central bodies.

अनुच्छेद ४३: निष्क्रिय या अनुशासनहीन इकाई का निलंबन एवं समयबद्ध पुनर्गठन

Article 43: Suspension or Reorganisation of Dysfunctional Units Subject to Cause and Fresh Elections

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	किसी राज्य, जिला या स्थानीय इकाई को केवल निरंतर संवैधानिक उल्लंघन, वित्तीय अनियमितता, ६ माह से अधिक निष्क्रियता या गंभीर अनुशासनहीनता के प्रमाणित आधार पर ही — लिखित कारण बताओ नोटिस (कम से कम १४ दिन) और राष्ट्रीय/राज्य कार्यकारिणी की सुनवाई के पश्चात दो-तिहाई बहुमत से — निलंबित या विघटित किया जा सकेगा। विघटन की तिथि से अधिकतम ६ (छह) माह के भीतर स्वतंत्र निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा नई इकाई का चुनाव कराना अनिवार्य होगा।	A State, District, or Local unit may be suspended or dissolved solely for recorded cause — persistent constitutional breach, financial irregularity, inactivity exceeding 6 months, or grave indiscipline — following a 14-day Show Cause Notice, fair hearing, and 2/3rd resolution of the NEC (or SEC for sub-state tiers, appealable to NEC). Fresh elections under Internal Election Authority supervision MUST be held within six (6) months.

CONSTITUTIONAL CHAPTER IX | संवैधानिक अध्याय IX

अध्याय IX — नीति, घोषणापत्र एवं सार्वजनिक कार्यक्रम ढाँचा

CHAPTER IX — POLICY, MANIFESTO AND PUBLIC PROGRAMME FRAMEWORK

अनुच्छेद ४४: राष्ट्रीय नीति एवं सुशासन संस्थान एवं साक्ष्य-आधारित शोध प्रणाली

Article 44: National Policy & Governance Institute and Evidence-Based Research Architecture

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी अपने केंद्र में अनुच्छेद २०(१) के तहत राष्ट्रीय नीति परिषद से मार्गदर्शन प्राप्त **राष्ट्रीय नीति एवं सुशासन संस्थान (National Policy & Governance Institute)** का संचालन करेगी। प्रत्येक प्रमुख जननीति दस्तावेज आधिकारिक शासकीय आँकड़ों, बजट विश्लेषण, क्षेत्रीय सर्वेक्षणों और स्वतंत्र विशेषज्ञों की समीक्षा पर आधारित होगा, न कि बिना आधार के लोकप्रिय नारों पर।	The Party shall establish a **National Policy & Governance Institute** guided by the National Policy Council under Article 20(1). Every major policy position shall rest upon verifiable public data, fiscal costings, field surveys, and domain peer review rather than unverified populism.

अनुच्छेद ४५: व्यापक जनपरामर्श, घोषणापत्र निर्माण एवं लोकतांत्रिक अनुमोदन प्रक्रिया

Article 45: Public & Expert Consultation, Manifesto Drafting and Democratic Approval

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	चुनावी घोषणापत्र अथवा दृष्टि-पत्र का प्रारूप बूथ-स्तर के नागरिक सुझावों ("मेरा विचार — मेरी नीति"), पेशेवर व शैक्षणिक परामर्शों, तथा राज्य इकाइयों की समीक्षा से संकलित होगा। प्रारूप को राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा विधिक-वित्तीय जांच उपरांत राष्ट्रीय परिषद (अथवा विशेष अधिवेशन) में खुली बहस और बहुमत से पारित किया जाएगा। राज्य स्तरीय घोषणापत्र भी संबंधित राज्य परिषद से अनुमोदित और राष्ट्रीय नीति ढांचे के संगत होंगे।	Draft Election Manifestos and Vision Documents shall originate from structured grassroots consultation ("Citizen Policy Portal & Booth Inputs"), domain expert panels, and State unit submissions; undergo legal and fiscal screening by NEC/Policy Council; and require formal debate and approval by the National Council (or State Council for State manifestos, aligned with national core ideology).

अनुच्छेद ४६: राजकोषीय उत्तरदायित्व, विधिक व्यावहारिकता एवं पाँच-वर्षीय नीति-योजना चक्र का स्पष्ट भेद

Article 46: Fiscal & Legal Feasibility Screening and Distinction of Five-Year Strategic Policy Horizon

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	वित्तीय व विधिक जांच: किसी भी घोषणापत्र वादे या जनकार्यक्रम में शामिल होने से पूर्व प्रत्येक प्रस्ताव का (क) भारत के संविधान (विशेषतः मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व - Part III & IV) से संगति, (ख) राजकोषीय बोझ, राजस्व स्रोत व बजट व्यावहारिकता, तथा (ग) प्रशासनिक क्रियान्वयन रोडमैप का लिखित मूल्यांकन अनिवार्य होगा।	Fiscal & Legal Feasibility Screening: Every proposed manifesto commitment shall pass written constitutional vetting (compatibility with Fundamental Rights, Directive Principles, and federal powers), credible budgetary revenue/cost projection, and administrative feasibility check prior to adoption.
(2)	पाँच-वर्षीय नीति चक्र बनाम <=४-वर्षीय निर्वाचन चक्र का स्पष्ट अंतर *(अनिवार्य स्पष्टीकरण)*: पार्टी द्वारा पांच (५) वर्षीय दीर्घकालिक नीतिगत अनुसंधान, घोषणापत्र प्रभाव-समीक्षा और विकास-योजना चक्र अपनाया जा सकेगा जो भारत की आम संसदीय/विधानसभा अवधियों के समरूप हो; किंतु यह **पूर्णतः गैर-निर्वाचित नीति एवं कार्यक्रम क्षितिज** रहेगा और इससे अध्याय VII के अंतर्गत ३-वर्षीय/अधिकतम ४-वर्षीय अनिवार्य संगठनात्मक चुनाव चक्र कदापि प्रभावित या विस्तारित नहीं होगा।	Clear Distinction Between Five-Year Policy Planning Cycle and <=4-Year Election Cycle: While the Party may formulate comprehensive five-year long-term public policy vision documents and legislative performance benchmarks aligning with national/state general election cycles, such five-year horizon is **strictly a non-elected policy & programme cycle** and shall NEVER extend or alter the mandatory 3-year/maximum 4-year internal organisational election cycle under Chapter VII.

अनुच्छेद ४७: असत्य, साम्प्रदायिक या असंवैधानिक वादों पर निषेध

Article 47: Prohibition on False, Communal or Unconstitutional Promises

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	घोषणापत्र या प्रचार सामग्री में ऐसा कोई वादा या आश्वासन नहीं होगा जो निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता (MCC), सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सद्भाव या संविधान की आधारभूत संरचना के विपरीत हो, अथवा जिसे वित्तीय संसाधनों के अभाव में पूरा करना असंभव ज्ञात हो।	No manifesto or campaign document shall advance promises contravening the ECI Model Code of Conduct, Supreme Court directives on electoral probity, constitutional secularism, social harmony, or promises known to be fiscally unviable or deceptive.

अनुच्छेद ४८: सार्वजनिक घोषणापत्र ट्रैकिंग एवं जन-लेखा-परीक्षा (Public Performance Audit)

Article 48: Public Manifesto Tracking and Performance Audit of Representatives

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी वेबसाइट पर प्रत्येक घोषित कार्यक्रम व जनप्रतिनिधि (सत्ता अथवा विपक्ष में रहते हुए किए गए विधायी हस्तक्षेपों सहित) के वार्षिक प्रगति-पत्र (Report Card) सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि नागरिक घोषणापत्र वचनबद्धता का स्वतंत्र मूल्यांकन कर सकें।	The Party shall maintain public manifesto progress trackers and publish annual Legislative & Civic Performance Report Cards evaluating adherence by elected AJP representatives to manifesto commitments.

अनुच्छेद ४९: मुक्त श्वेत-पत्र एवं शोध प्रकाशन नीति

Article 49: Open White Paper and Policy Research Publication Policy

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	अनुमोदित नीतिगत श्वेत-पत्र (White Papers) द्विभाषी हिंदी-अंग्रेजी स्वरूप में जनसाधारण व शोधकर्ताओं हेतु पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे।	Adopted policy white papers shall be published freely in bilingual Hindi and English formats on the official Party website for public critique and democratic deliberation.

CONSTITUTIONAL CHAPTER X | संवैधानिक अध्याय X

अध्याय X — प्रत्याशी चयन एवं सार्वजनिक निर्वाचन प्रक्रिया
CHAPTER X — CANDIDATE SELECTION AND PUBLIC ELECTIONS

अनुच्छेद ५०: योग्यता-आधारित, पारदर्शी व ऑडिट-योग्य प्रत्याशी चयन एवं "शून्य टिकट शुल्क" सिद्धांत
Article 50: Merit-Based, Auditable Candidate Selection and Strict "Zero Ticket Fee" Principle

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	संसदीय, विधानसभा व स्थानीय निकाय चुनावों में टिकट वितरण बंद कमरों या सौदेबाजी के बजाय खुले, पारदर्शी और ऑडिट-योग्य स्कोरकार्ड प्रणाली ("CONTEST WITH PURPOSE" मूल्यांकन मानक) द्वारा होगा।	Ticket allocation for Parliamentary, Legislative Assembly, and Local Body elections shall operate solely through a transparent, merit-based, auditable scoring matrix ("CONTEST WITH PURPOSE" evaluation framework) and never via opaque discretion.
(2)	शून्य टिकट शुल्क (Zero Ticket Fee & Anti-Sale Rule): प्रत्याशी आवेदन, चयन प्रक्रिया अथवा पार्टी टिकट आवंटन के लिए किसी भी प्रकार की मौद्रिक फीस, "टिकट शुल्क", अघोषित दान, या "चुनाव फंड" वसूली पूर्णतः प्रतिबंधित है। टिकट बिक्री या धन-लेनदेन का कोई भी प्रयास आजीवन निष्कासन एवं आपराधिक अभियोजन के योग्य होगा।	Zero Ticket Fee Guarantee: Soliciting or accepting any monetary "ticket fee", mandatory donation, capitation charge, or concealed consideration for nomination application or ticket allotment is strictly outlawed. Any ticket-for-cash violation shall invoke permanent expulsion and criminal referral.

अनुच्छेद ५१: बहु-चरणीय चयन तंत्र — जमीनी फीडबैक, छानबीन, राज्य एवं केंद्रीय चुनाव समिति (CEC)
Article 51: Multi-Tier Selection Architecture — Grassroots Feedback, Screening, State & Central Election Committees

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	चयन के पाँच अनिवार्य चरण होंगे: (क) खुला ऑनलाइन/भौतिक आवेदन व पूर्ण स्व-घोषणापत्र; (ख) संबंधित बूथ, ब्लॉक एवं जिला समितियों तथा स्थानीय नागरिकों से गुप्त व संरचित जमीनी फीडबैक; (ग) निर्वाचन क्षेत्र व राज्य छानबीन समिति (Screening Committee) द्वारा तथ्य-परीक्षण व तीन-नाम पैनल की संस्तुति; (घ) राज्य चुनाव समिति द्वारा मूल्यांकन व कारणयुक्त अनुशंसा; तथा (ङ) राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्वाचित/अनुमोदित ७ से ११ सदस्यीय केंद्रीय चुनाव समिति (CEC — मनोनीत <= १/३ नियम के अधीन) द्वारा अंतिम गुण-दोष चयन एवं लिखित अंक-सारिणी का अभिलेखन।	Five Mandatory Selection Stages: (a) Open application and verified self-disclosure dossier; (b) Structured feedback from local Booth, Block, and District units and civic constituents; (c) Independent Constituency/State Screening Committee verification shortlisting up to 3–5 ranked names; (d) State Election Committee reasoned review; and (e) Final merit selection by the 7-to-11 member Central Election Committee (CEC — duly elected/ratified by NEC & NC subject to <= 1/3rd nominated cap) recording written scoring rationales.

अनुच्छेद ५२: सत्यनिष्ठा, आपराधिक पृष्ठभूमि जांच एवं गैर-वंशवाद सुरक्षा कवच
Article 52: Integrity Vetting, Criminal Antecedent Verification and Anti-Dynasty Safeguards

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	सत्यनिष्ठा एवं आपराधिक पृष्ठभूमि जांच: प्रत्येक आवेदक को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ३३क व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप समस्त लंबित व दोषसिद्ध आपराधिक मामलों, संपत्ति-देनदारी व शैक्षणिक विवरण का पूर्ण शपथ-पत्र देना होगा। जघन्य अपराध, महिला/बाल अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक घृणा या आर्थिक धोखाधड़ी के गंभीर/दोषसिद्ध आरोपों वाले व्यक्ति को सामान्यतः प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा; किसी विवादास्पद राजनीतिक मुक़दमे की अपवाद दशा में CEC को ईसीआई के फॉर्म सी-७/सी-८ मानकों के तहत सार्वजनिक वेबसाइट पर असाधारण लिखित कारण प्रकाशित करने होंगे।	Integrity & Criminal Antecedent Vetting: Every aspirant shall submit complete disclosures of pending/convicted criminal cases, assets/liabilities, and public dues in compliance with Section 33A RPA 1951 and Supreme Court mandates. Persons facing conviction or prima facie charges in heinous crimes, crimes against women/children, corruption, or communal hatred shall stand barred; any rare exception involving strictly non-violent political cases requires published CEC justification pursuant to ECI Form C-7 norms.

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(2)	गैर-वंशवाद सुरक्षा कवच: किसी वर्तमान या पूर्व राष्ट्रीय/राज्य पदाधिकारी, सांसद या विधायक के निकट परिवारजन को केवल पारिवारिक संबंध के आधार पर कोई प्राथमिकता नहीं मिलेगी; संबंधित आवेदक को स्वतंत्र स्कोरकार्ड पर पृथक जमीनी जनसेवा प्रमाणित करनी होगी तथा ऐसे पदाधिकारी स्वयं उस छानबीन या चयन बैठक में भाग नहीं लेंगे (Recusal)।	Anti-Dynasty Recusal Rule: Immediate relatives of office-bearers or incumbent legislators shall receive zero preferential weight, must clear heightened independent grassroots merit benchmarks, and the related office-bearer shall mandatorily recuse from every screening and CEC deliberation affecting that seat.

अनुच्छेद ५३: समावेशी प्रतिनिधित्व, लिखित कारण एवं समीक्षा/अपील तंत्र
Article 53: Inclusive Consideration, Recorded Reasons and Candidate Appeal Mechanism

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	समावेशी सहभागिता: विधि द्वारा आरक्षित सीटों से परे भी सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में सक्षम महिलाओं, युवाओं, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक व पेशेवर/श्रमजीवी नागरिकों की अर्थपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का सक्रिय प्रयास किया जाएगा।	Inclusion Consideration: Even beyond statutory reserved constituencies, Selection Committees shall actively consider qualified women, youth, and underrepresented socio-economic and occupational cohorts on merit.
(2)	लिखित कारण व अपील: चयन समिति प्रत्येक अस्वीकृत या वरीयता-क्रम निर्णय के संक्षिप्त लिखित कारण गोपनीय चयन-रजिस्टर में दर्ज करेगी। कोई भी असंतुष्ट आवेदक अंतिम घोषणा के ४८ घंटे (अथवा नामांकन से पूर्व शेष व्यावहारिक समय) के भीतर संवैधानिक अपीलीय पैनल के समक्ष समीक्षा याचिका प्रस्तुत कर सकेगा।	Recorded Rationales & Review Appeal: Shortlisted and rejected aspirants shall have reasoned evaluation summaries recorded in confidential CEC minutes, and any aggrieved aspirant may file an expedited review representation within 48 hours of tentative list notice (subject to ECI statutory nomination deadlines).

अनुच्छेद ५४: प्रत्याशी शपथ, आचार संहिता एवं नामांकन वापसी के आधार
Article 54: Candidate Ethics Oath, Campaign Conduct and Grounds for Withdrawal or Replacement

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	प्रत्येक घोषित प्रत्याशी को सार्वजनिक "नैतिक चुनाव शपथ" पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें नकद, शराब, साड़ी या अनैतिक प्रलोभन न बांटने, घृणास्पद भाषण से दूर रहने एवं चुनाव व्यय की सच्ची सीमा का पालन करने का संकल्प निहित होगा।	Every nominated candidate shall sign a public Candidate Ethics Pledge repudiating cash/liquor/inducement distribution, hate speech, and unverified personal defamation.
(2)	वापसी या प्रतिस्थापन: यदि ईसीआई द्वारा निर्धारित नाम-वापसी तिथि से पूर्व किसी प्रत्याशी के विरुद्ध गंभीर छिपाया गया अपराध, भ्रष्टाचार, टिकट सौदेबाजी या नैतिक आचार उल्लंघन प्रमाणित होता है, तो CEC कारण बताओ अवसर के पश्चात बी-फॉर्म (Form B) निरस्त कर वैकल्पिक प्रत्याशी नामित कर सकेगी।	Withdrawal/Replacement: Prior to the statutory ECI withdrawal deadline, the CEC may revoke authorisation (Form B) and nominate a substitute solely for discovered material suppression, disqualifying misconduct, or incapacity after summary hearing.

अनुच्छेद ५५: चुनाव व्यय सीमा एवं वैधानिक लेखा अनुपालन
Article 55: Election Campaign Expense Compliance under RPA Section 77

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	प्रत्येक प्रत्याशी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ७७ एवं ईसीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित व्यय सीमा के भीतर अलग चुनाव-व्यय बैंक खाता संचालित करेगा तथा मतदान समाप्ति के निर्धारित दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पार्टी लेखा-समिति के समक्ष प्रमाणित व्यय विवरणी प्रस्तुत करेगा।	Every AJP candidate shall maintain a dedicated election bank account complying strictly with statutory ceilings under Section 77 RPA 1951 and ECI norms, submitting timely verified expenditure returns both to statutory Returning Officers and the Party Audit Committee.

अनुच्छेद ५६: निर्वाचन उपरांत निर्वाचन क्षेत्र सेवा एवं प्रदर्शन निगरानी

Article 56: Post-Election Constituency Service and Performance Monitoring

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	निर्वाचित व पराजित प्रमुख प्रत्याशियों के लिए चुनाव के बाद भी संबंधित क्षेत्र की जनसमस्याओं व संगठन निर्माण से जुड़े रहना अपेक्षित होगा, जिसका मूल्यांकन अगले चुनाव चक्र की पात्रता में शामिल किया जाएगा।	Elected winners and lead AJP nominees shall maintain sustained post-election constituency dialogue and civic grievance facilitation, tracked as a formal input for future selection cycles.

CONSTITUTIONAL CHAPTER XI | संवैधानिक अध्याय XI

अध्याय XI — संसदीय एवं विधायी कार्य
CHAPTER XI — PARLIAMENTARY AND LEGISLATIVE AFFAIRS

अनुच्छेद ५७: संसदीय दल एवं राज्य विधानमंडल दल का लोकतांत्रिक गठन
Article 57: Democratic Constitution of Parliamentary and State Legislature Parties

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित पार्टी सांसदों से "अटल जनोदय संसदीय दल" तथा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य विधानमंडल में निर्वाचित विधायकों/पार्षदों से "विधानमंडल दल" का गठन होगा। संबंधित दल के सदस्य केंद्रीय चुनाव समिति व कार्यकारिणी से परामर्श कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अपने नेता (Leader), उपनेता, मुख्य सचेतक (Chief Whip) एवं कोषाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।	Elected Party MPs shall constitute the "AJP Parliamentary Party" and elected State MLAs/MLCs the respective "State Legislature Party". Members shall democratically elect their Leader, Deputy Leader, Chief Whip, and Treasurer in consultation with the National or State Executive.

अनुच्छेद ५८: संगठन व विधानमंडल दल में समन्वय तथा दसवीं अनुसूची (दल-बदल निरोधक कानून) की मर्यादा
Article 58: Executive-Legislature Coordination, Parliamentary Debate and Tenth Schedule Constitutional Boundary

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	संसदीय एवं विधानमंडल दल तथा राष्ट्रीय/राज्य कार्यकारिणी में समन्वय हेतु संयुक्त समन्वय बैठकें प्रत्येक सत्र से पूर्व आयोजित की जाएंगी।	Joint Executive-Legislature Coordination meetings shall be held prior to every parliamentary or assembly session to align legislative strategy with Party manifesto priorities.
(2)	संवैधानिक मर्यादा (Non-Override of Speaker / Tenth Schedule): संसदीय दल के आंतरिक नियम एवं सचेतक (Whip) निर्देश पूर्णतः भारत के संविधान की अनुच्छेद १०५/१९४ की संसदीय विशेषाधिकार सीमाओं तथा दसवीं अनुसूची (Anti-Defection Law) के विधिक दायरे में रहेंगे। इस संविधान का कोई भी अनुशासन नियम लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष या राज्यसभा/विधान परिषद सभापति के संवैधानिक क्षेत्राधिकार या किसी जनप्रतिनिधि के वैध संसदीय कर्तव्य का अतिक्रमण नहीं करेगा।	Constitutional & Tenth Schedule Boundary: Internal whip and disciplinary procedures apply strictly within the constitutional framework of Articles 105/194 and the Tenth Schedule to the Constitution of India. Nothing in this Constitution shall derogate from the constitutional jurisdiction of the Speaker/Chairman of a House or lawful parliamentary immunities.
(3)	विवेकपूर्ण आंतरिक बहस: दल-बदल रोधी सचेतक के अधीन अनिवार्य मतदान विषयों (जैसे विश्वास/अविश्वास, वित्त विधेयक, संवैधानिक संशोधन) को छोड़कर, अन्य नीतिगत विधेयकों पर विधायक दल की आंतरिक बैठक में सांसदों/विधायकों को पूर्ण वैचारिक असहमति एवं शोधपूर्ण बहस का संरक्षण प्राप्त रहेगा।	Conscientious Debate: Outside formal Tenth Schedule whip mandates issued after internal legislature party consultation on confidence motions, money bills, or core constitutional issues, legislators shall enjoy protected internal freedom of reasoned policy dissent.

अनुच्छेद ५९: जनसुनवाई, वार्षिक कार्य-रिपोर्ट कार्ड एवं संसदीय निधि पारदर्शिता
Article 59: Periodic Jan-Sunwai, Annual Legislative Report Card and MPLAD/MLALAD Transparency

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी का प्रत्येक सांसद, विधायक या पार्षद कम से कम मासिक निर्वाचन क्षेत्र जनसुनवाई आयोजित करेगा तथा प्रतिवर्ष अपनी सदन उपस्थिति, उठाए गए प्रश्नों, विधेयकों पर वक्तव्यों एवं MPLAD/MLALAD विकास निधि के पूर्ण व्यय का सार्वजनिक रिपोर्ट कार्ड पार्टी पोर्टल पर प्रकाशित करेगा।	Every AJP MP, MLA, and Municipal Councillor shall hold monthly public Jan-Sunwai hearings and publish an annual Legislative Report Card detailing House attendance, questions, debates, and 100% open project-level accounting of MPLAD/MLALAD public funds.

अनुच्छेद ६०: जनप्रतिनिधियों द्वारा वार्षिक संपत्ति प्रकटीकरण एवं पद-दुरुपयोग पर निषेध

Article 60: Annual Asset Disclosures and Prohibition on Abuse of Public Office

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी के प्रत्येक निर्वाचित सांसद/विधायक/महापौर को प्रतिवर्ष ३१ जुलाई तक अपनी व आश्रित परिवारजनों की संपत्ति-देनदारी व संभावित हितों के टकराव का अद्यतन विवरण पार्टी सचिवालय को जमा करना होगा। किसी भी ठेके, स्थानांतरण उद्योग, कमीशन या निजी लाभ हेतु सार्वजनिक पद के दुरुपयोग पर तत्काल पदत्याग और निष्कासन कार्यवाही की जाएगी।	Every elected legislator/mayor shall submit annual updated Asset, Liability, and Conflict Disclosures by July 31 each year. Abuse of public office for commercial brokerage, transfers, procurement kickbacks, or nepotism shall mandate immediate resignation from office and expulsion proceedings.

अनुच्छेद ६१: गठबंधन, समर्थन एवं नीतिगत विपक्ष का संवैधानिक निर्णय
Article 61: Coalitions, Legislative Support and Constructive Opposition Protocol

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	किसी भी चुनाव-पूर्व या चुनाव-पश्चात गठबंधन, सरकार गठन अथवा बाहरी समर्थन का कोई भी निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संस्तुति एवं राष्ट्रीय परिषद के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और यह केवल न्यूनतम साझा संवैधानिक कार्यक्रम पर आधारित होगा।	No pre-poll or post-poll coalition, government participation, or legislative support shall be entered into without formal NEC deliberation and National Council ratification anchored in constitutional compatibility and shared policy principles.

CONSTITUTIONAL CHAPTER XII | संवैधानिक अध्याय XII

अध्याय XII — वित्त, कोष, लेखा एवं अंकेक्षण संहिता

CHAPTER XII — FINANCE, FUNDING, ACCOUNTS AND AUDIT CODE

अनुच्छेद ६२: वैध कोष स्रोत, शून्य-नकद नीति एवं वैधानिक दान सीमाएँ *(अपरिवर्तनीय वित्तीय शुचिता)*

Article 62: Lawful Revenue Sources, Stricter AJP Zero-Cash Policy and Statutory Limits

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	वैध स्रोत: पार्टी के कोष केवल (क) नाममात्र वार्षिक सदस्यता शुल्क (अनुच्छेद १२(४)), (ख) भारतीय नागरिकों एवं विधि द्वारा अनुमत भारतीय संस्थाओं के पारदर्शी स्वैच्छिक ऑनलाइन/बैंकिंग अंशदान व क्राउडफंडिंग, (ग) बैंकिंग ब्याज एवं वैध पार्टी प्रकाशन बिक्री से ही अर्जित किए जाएंगे।	Permissible Revenue Sources: Party funds shall derive solely from (a) nominal membership subscriptions, (b) voluntary transparent donations and digital crowdfunding from eligible Indian citizens and permissible domestic entities, and (c) statutory bank interest or official publication proceeds.
(2)	वैधानिक नकद सीमा बनाम AJP की कठोर शून्य-नकद नीति: आयकर अधिनियम की धारा १३क तथा निर्वाचन विधि के अधीन जहाँ वैधानिक नकद अंशदान सीमा ₹२,००० तक सीमित है, वहीं अटल जनोदय पार्टी इससे भी अधिक कठोर आंतरिक संहिता के रूप में **शून्य-नकद अंशदान नीति (Zero-Cash Policy)** अपनाती है। पार्टी का समस्त अंशदान एवं सदस्यता शुल्क केवल UPI, NEFT, RTGS, नेटबैंकिंग या खाताधारक चेक/ड्राफ्ट जैसे सत्यापित बैंकिंग माध्यमों से ही स्वीकार किया जाएगा (सिवाय केवल ईसीआई द्वारा अनुमत सूक्ष्म भौतिक सदस्यता रसीद पुस्तक के, जहाँ डिजिटल सुविधा उपलब्ध न हो — जिसकी सीमा पूर्ण केवाईसी सहित किसी भी दशा में वैधानिक सीमा से कम और तुरंत बैंक-जमा के अधीन होगी)।	Statutory Limit vs. Stricter Zero-Cash Internal Policy: While Section 13A of the Income Tax Act, 1961 caps cash donations at ₹2,000, the Atal Janoday Party mandates a **stricter internal Zero-Cash Policy**: all voluntary donations and contributions shall be accepted exclusively through traceable banking channels (UPI, NEFT, RTGS, NetBanking, Account-Payee Cheque/Draft), barring cash entirely except where duly numbered counterfoil receipts record micro-membership fees in cash-only rural drives (strictly below ₹2,000 with donor identity verification and immediate bank deposit within 72 hours).
(3)	विदेशी अंशदान, अज्ञात निधि, छद्म (Shell) कंपनियाँ एवं अनुभाग ५ दीवार: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा २९ख एवं विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, २०१० (FCRA) के अंतर्गत किसी भी विदेशी स्रोत, विदेशी नागरिक, सरकारी कंपनी, शेल कंपनी, अपराध-जनित आय अथवा बदले में अनुचित लाभ की शर्त (Quid Pro Quo) पर दिया गया कोई भी दान पूर्णतः वर्जित है और प्राप्त होने पर तत्काल वापस/वैधानिक रिपोर्ट किया जाएगा। किसी भी धर्मार्थ न्यास (जैसे अटल फाउंडेशन) से शून्य वित्तीय हस्तांतरण अनुच्छेद १० के अधीन अपरिवर्तनीय है।	Foreign Funding, Shell Companies, Quid-Pro-Quo & Section 5 Prohibition: Donations from any foreign source (violating FCRA 2010 or Section 29B RPA 1951), public sector undertakings, anonymous sources, shell entities, proceeds of crime, or quid-pro-quo arrangements are strictly banned. Zero financial transfer to/from any 12A/80G/CSR charitable trust remains unalterable under Article 10.

अनुच्छेद ६३: दाता केवाईसी (KYC), रसीद, फॉर्म २४ए अनुपालन एवं डेटा गोपनीयता संतुलन

Article 63: Donor Verification, Receipting, Form 24A Statutory Reporting and Privacy Balance

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	प्रत्येक दान पर क्रमबद्ध डिजिटल रसीद जारी की जाएगी जिसमें दाता का नाम, पता एवं विधि द्वारा अपेक्षित PAN विवरण (विशेषतः ₹२०,००० से अधिक के दान हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा २९ग एवं फॉर्म २४ए के अनुपालन में, तथा ₹२,००० से ऊपर डिजिटल रिकॉर्ड में) सुरक्षित रूप से दर्ज होगा।	Every contribution shall generate a serially numbered digital receipt recording donor name, address, and PAN particulars as mandated under Section 29C RPA 1951 (Form 24A mandatory disclosure for contributions exceeding ₹20,000 in a financial year) and Section 13A Income Tax Act.

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(2)	सार्वजनिक प्रकटीकरण व निजता संतुलन: समेकित वार्षिक आय-व्यय, फॉर्म २४ए वैधानिक रिपोर्ट एवं श्रेणीवार कोष विवरण आम जनता व ईसीआई के समक्ष सार्वजनिक किए जाएंगे, जबकि छोटे व्यक्तिगत दाताओं के संवेदनशील निजी पता, मोबाइल व बैंक खाते का विवरण DPDP अधिनियम २०२३ की मर्यादा में वैधानिक प्राधिकरणों से इतर अनधिकृत सार्वजनिक प्रसार से सुरक्षित रखा जाएगा।	Disclosure & Privacy Balance: Consolidated annual accounts, Form 24A statutory filings, and expenditure dashboards shall be published openly on the Party website, while small individual donors' private PII (full residential address, phone, bank account numbers) shall remain safeguarded under DPDP Act 2023 protocols outside statutory ECI/Tax disclosures.

अनुच्छेद ६४: पार्टी बैंक खाते, दोहरा-हस्ताक्षर नियम, बजट, व्यय स्वीकृति एवं क्रय-प्रक्रिया
Article 64: Authorised Bank Accounts, Dual-Signatory Rule, Budgeting, Sanctions and Procurement Controls

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी के सभी बैंक खाते राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव द्वारा केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में "अटल जनोदय पार्टी" के आधिकारिक नाम व वैधानिक पंजीकृत PAN (पंजीकरण उपरांत आवंटित होने पर) पर ही खोले जाएंगे। किसी भी पदाधिकारी के व्यक्तिगत बैंक खाते में पार्टी का कोई भी रुपया जमा नहीं किया जाएगा। [वर्तमान स्थिति: औपचारिक ईसीआई पंजीकरण व कार्यकारिणी प्रस्ताव के पश्चात खाते खोले जाएंगे]।	All Party bank accounts shall be opened strictly in the legal name "Atal Janoday Party" in scheduled commercial banks pursuant to formal NEC resolutions and under the Party's dedicated PAN [Account opening and PAN/bank details to be executed strictly post-Founding adoption and statutory registration]. Receipt or custody of Party money in any personal bank account is a grave criminal and disciplinary breach.
(2)	दोहरी हस्ताक्षर प्रणाली (Mandatory Dual-Signatory Protocol): प्रत्येक बैंक संव्यवहार हेतु तीन अधिकृत पदाधिकारियों (अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष — या राज्य स्तर पर समतुल्य तीन) में से किन्हीं दो (जिसमें कोषाध्यक्ष का एक होना आवश्यक रहेगा) के संयुक्त डिजिटल या भौतिक हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।	Mandatory Dual-Signatory Rule: Every bank disbursement at National or State tier shall mandatorily require joint authentication by at least two of three designated office-bearers (President, General Secretary, Treasurer), with the Treasurer's co-signoff ordinarily mandatory.
(3)	वार्षिक बजट, व्यय सीमा एवं पारदर्शी खरीद: वित्तीय वर्ष (१ अप्रैल से ३१ मार्च) प्रारंभ होने से पूर्व कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष वार्षिक बजट प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित सीमा (जैसे ₹५०,००० से अधिक) की किसी भी सामग्री या सेवा क्रय हेतु कम से कम तीन प्रतिस्पर्धी कोटेशन, लिखित कार्यादेश तथा कर-चालान (GST Invoice/Voucher) अनिवार्य होगा। यात्रा व कार्यक्रम प्रतिपूर्ति केवल मूल बिल व सत्यापित प्रमाण से ही देय होगी।	Annual Budget, Approvals & Procurement: Prior to April 1 each year, the Treasurer shall submit an Annual Budget for NEC approval. Any expenditure exceeding prescribed limits shall require written sanction thresholds, competitive vendor quotations, valid vouchers, and verified reimbursement proofs.

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(4) नामित पूर्णकालिक पदाधिकारियों हेतु वैध मानदेय एवं कार्य-व्यय भत्ता व्यवस्था *(गैर-एमएलएम, बजट-आधारित)*:	पार्टी कोष की लेखा-परीक्षित उपलब्धता एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी/महासमिति द्वारा स्वीकृत वार्षिक बजट के अधीन, पार्टी अपने **केवल औपचारिक रूप से नामित पूर्णकालिक पदाधिकारियों एवं संगठनात्मक समन्वयकों** (न कि समस्त सामान्य/सक्रिय सदस्यों या अनिर्वाचित भर्तीकर्ताओं को) को उनके पूर्णकालिक जनसेवा, कार्यालय संचालन व क्षेत्रीय प्रवास व्यय की पूर्ति हेतु एक निश्चित मासिक कार्य-व्यय भत्ता/मानदेय प्रदान कर सकेगी: (क) स्तर-आधारित बजट मानक: आधार स्वीकृत भत्ता नामित पूर्णकालिक जिला अध्यक्ष / लोकसभा समन्वयक स्तर से प्रारंभ हो सकेगा; पूर्णकालिक राज्य स्तरीय पदाधिकारी/राज्य परिषद दायित्व हेतु बजट सीमा के अधीन आधार मानक का **१.५ से २.० गुना**; तथा पूर्णकालिक राष्ट्रीय स्तरीय पदाधिकारी/राष्ट्रीय परिषद दायित्व हेतु राज्य मानक का **१.५ से २.० गुना** स्वीकृत बजट स्लैब निर्धारित किया जा सकेगा; (ख) पूर्णतः गैर-एमएलएम नियम: यह मानदेय किसी भी स्थिति में सदस्यता शुल्क (₹९९/₹४९९) की सीधी बांट, प्रति-सदस्य भर्ती कमीशन अथवा प्राइज चिट्स एवं मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (प्रतिषेध) अधिनियम, १९७८ के अंतर्गत किसी प्रतिबंधित एमएलएम/पिरामिड मैट्रिक्स से संबद्ध नहीं होगा, और प्रत्येक नामित पदाधिकारी का चयन व पदस्थापन लोकतांत्रिक चुनाव/योग्यता आधारित होगा; एवं (ग) कर व ईसीआई अनुपालन: समस्त भत्ते केवल दोहरे-हस्ताक्षरित बैंक अंतरण (NEFT/RTGS/UPI) द्वारा लिखित नियुक्ति-पत्र, पैन सत्यापन, आयकर अधिनियम धारा १९२/१९४ज के अंतर्गत अनिवार्य **टीडीएस (TDS) कटौती**, हस्ताक्षरित वाउचर, ईसीआई चुनाव व्यय पृथक्करण तथा स्वतंत्र ICAI चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑडिट के अधीन ही दिए जाएंगे।	Lawful Budgeted Allowances for Designated Full-Time Office-Bearers *(Strictly Non-MLM & Non-Commission)*: Subject strictly to audited Party Fund availability and an annual establishment budget approved by the NEC and Audit Committee under Schedule IX, the Party may grant fixed monthly subsistence stipends, honoraria, and verified field-expense allowances **exclusively to formally Designated Full-Time Office-Bearers** devoting verified full-time hours to civic organisation (and NOT to general members): (a) Tiered Budgeted Scales: Authorized fixed scales may commence for designated full-time District President / Lok Sabha Coordinator responsibilities, scaling to **1.5x–2.0x** of the base tier for full-time State Portfolio / State Council executive duties, and **1.5x–2.0x** of the State tier for full-time National Executive / National Council portfolio duties, strictly bounded by approved budget ceilings; (b) Strict Ban on MLM / Recruitment Payouts: Allowances derive solely from consolidated central budgets — NEVER split from ₹99/₹499 membership receipts, NEVER triggered by downline fee-collection quotas, and NEVER structured as a money-circulation or pyramid matrix barred by the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, with all offices filled via democratic elections and constitutional merit; and (c) Mandatory Tax & Audit Compliance: Paid strictly via dual-signatory banking channels (NEFT/RTGS/cheque; zero cash) under written service agreements, PAN verification, statutory **TDS deduction under Sections 192/194J Income Tax Act**, signed vouchers, ECI campaign expenditure segregation, and annual ICAI CA audit.

अनुच्छेद ६५: आंतरिक अंकेक्षण, अनिवार्य वार्षिक वैधानिक सीए ऑडिट एवं समयबद्ध ईसीआई/आयकर फाइलिंग
Article 65: Quarterly Internal Audit, Annual Independent Statutory CA Audit and Statutory ECI/Tax Filings

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	आंतरिक लेखा-परीक्षा: राष्ट्रीय लेखा-परीक्षा एवं वित्त समिति (अनुच्छेद २०(४)) प्रत्येक तिमाही में सभी केंद्रीय व प्रांतीय खातों, वाउचर व अनुभाग ५ अनुपालन का आंतरिक परीक्षण कर कार्यकारिणी को रिपोर्ट सौंपेगी।	Internal Audit: The National Audit & Finance Committee (Article 20(4)) shall conduct quarterly internal reviews of central and state ledgers, voucher compliance, and Section 5 Firewall adherence.
(2)	वार्षिक वैधानिक सीए ऑडिट: राष्ट्रीय परिषद (या महासमिति) द्वारा अनुमोदित एक स्वतंत्र, अहर्ताप्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म (ICAI पंजीकृत, तथा किसी पदाधिकारी की पारिवारिक या हितबद्ध फर्म न हो) द्वारा प्रतिवर्ष पार्टी के समेकित खातों का वैधानिक ऑडिट कराया जाएगा। [वर्तमान स्थिति: प्रथम वार्षिक लेखा-वर्ष हेतु स्वतंत्र सीए फर्म स्थापना/पंजीकरण चरण पर नियुक्त की जाएगी]।	Annual Independent Statutory CA Audit: Consolidated national and state accounts shall be audited annually by an independent ICAI-registered Chartered Accountant firm appointed by the National Council/NGB (free from personal or family ties to any office-bearer) [Auditor to be appointed upon formal establishment].
(3)	वैधानिक समयबद्ध फाइलिंग: आयकर विवरणी (ITR-7 धारा १३९(४ख) के अंतर्गत), योगदान रिपोर्ट (फॉर्म २४ए धारा २९ग के अंतर्गत) एवं वार्षिक लेखा-परीक्षित विवरण ईसीआई और आयकर विभाग के समक्ष वैधानिक अंतिम तिथियों के भीतर दाखिल कर पार्टी वेबसाइट के पारदर्शिता पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे।	Statutory Filings: Income Tax Return (Section 139(4B)), Contribution Report (Form 24A under Section 29C), and Annual Audited Statement of Accounts shall be timely filed with the ECI and Income Tax authorities and published on the Party Transparency Portal.

अनुच्छेद ६६: अचल संपत्ति पंजी, वित्तीय दुर्विनियोग पर कठोर दंड एवं व्हिसलब्लोअर संरक्षण

Article 66: Fixed Asset Register, Embezzlement Liability and Financial Whistleblower Protection

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी द्वारा क्रय की गई प्रत्येक चल-अचल संपत्ति का केंद्रीय संपत्ति रजिस्टर (Asset Register) संधारित होगा और समस्त अचल संपत्ति का स्वत्व केवल विधिवत पंजीकृत पार्टी नाम अथवा न्यासी संरचना द्वारा (न कि किसी व्यक्ति के निजी नाम पर) धारित रहेगा।	All movable and immovable assets acquired by the Party shall be recorded in a centralized Fixed Asset Register and held strictly in the Party's legal name/authorized custodian board, never in individual names.
(2)	वित्तीय गबन, जाली बिल, अघोषित नकदी संग्रहण या हित-टकराव पर शून्य-सहिष्णुता लागू होगी — जिसमें तत्काल निलंबन, पूर्ण धन वसूली, निष्कासन एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अधीन आपराधिक अभियोजन शामिल होगा। वित्तीय अनियमितता की सद्भावना से रिपोर्ट करने वाले किसी भी व्हिसलब्लोअर सदस्य को प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से पूर्ण संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा।	Embezzlement, forged vouchers, unauthorized cash collection, or financial abuse shall attract zero tolerance: immediate suspension, civil recovery of misappropriated assets, expulsion, and mandatory criminal prosecution. Any bona fide financial whistleblower shall enjoy strict constitutional protection against retaliation.

CONSTITUTIONAL CHAPTER XIII | संवैधानिक अध्याय XIII

अध्याय XIII — आचार संहिता, नैतिकता एवं अनुशासन व्यवस्था
CHAPTER XIII — CODE OF CONDUCT, ETHICS AND DISCIPLINARY JUSTICE

अनुच्छेद ६७: स्वतंत्र राष्ट्रीय एवं राज्य अनुशासन एवं आचार आयोग
Article 67: Independent National and State Disciplinary and Ethics Commissions

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी में अनुशासनात्मक न्याय को दलगत या अध्यक्षीय हस्तक्षेप से मुक्त रखने हेतु अनुच्छेद २०(२) के अंतर्गत स्वतंत्र ५-सदस्यीय **राष्ट्रीय अनुशासन एवं आचार आयोग** तथा प्रत्येक पूर्ण राज्य इकाई में ३-सदस्यीय **राज्य अनुशासन एवं आचार आयोग** कार्य करेंगे। प्रत्येक आयोग में कम से कम एक विधिक विशेषज्ञ तथा कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा। कार्यकारी अध्यक्ष या महामंत्री अनुशासन आयोग के निर्णय में मतदान नहीं करेंगे।	To insulate disciplinary justice from executive arbitrariness, an independent 5-member **National Disciplinary & Ethics Commission** (Article 20(2)) and 3-member **State Disciplinary & Ethics Commissions** shall adjudicate misconduct, each mandatorily including at least one legal professional and one woman member. Executive Presidents/General Secretaries shall exercise no vote or command over Commission findings.

अनुच्छेद ६८: बाध्यकारी आचार संहिता एवं पंद्रह (१५) परिभाषित अनुशासन अपराध
Article 68: Binding Party Code of Conduct and Fifteen (15) Defined Disciplinary Offences

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	प्रत्येक सदस्य एवं जनप्रतिनिधि पार्टी आचार संहिता (अनुच्छेद १५–१६) का पालन करेगा। निम्नांकित पंद्रह (१५) कृत्य दंडनीय अनुशासनात्मक अपराध माने जाएंगे: (१) भारत के संविधान, धारा २९क(५) प्रतिज्ञा या पार्टी संविधान की अवहेलना; (२) चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ना या विरोधी दल के पक्ष में प्रचार/तोड़फोड़ (Sabotage) करना; (३) धन लेकर टिकट या पद का सौदा करना; (४) पार्टी निधि का गबन, जाली रसीद काटना या अघोषित नकद वसूली; (५) अनुभाग ५ नैतिक दीवार (अटल फाउंडेशन या धर्मार्थ ट्रस्ट से अनुचित संबद्धता/दावा) का उल्लंघन; (६) आंतरिक चुनाव में बूथ कब्जा, रिश्वत या जाली सदस्यता निर्माण; (७) घृणास्पद भाषण, सांप्रदायिक/जातीय वैमनस्य या हिंसा को बढ़ावा देना; (८) कार्यस्थल या संगठन में महिला उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार (POSH संहिता उल्लंघन) या अमर्यादित व्यवहार; (९) सार्वजनिक चुनाव में शराब, नकद या अनैतिक प्रलोभन वितरित करना; (१०) जघन्य अपराध या भ्रष्टाचार में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होना अथवा गंभीर अपराध को आवेदन में छिपाना; (११) पार्टी अभिलेखों या सदस्यता डेटा (DPDP उल्लंघन) का अनाधिकृत विक्रय/दुरुपयोग; (१२) किसी वैधानिक व्हिसलब्लोअर को धमकाना; (१३) सचेत चेतावनी के उपरांत भी अनधिकृत रूप से स्वयं को राष्ट्रीय/राज्य प्रवक्ता बताकर भ्रामक बयान जारी करना; (१४) कार्यकारिणी/आयोग के वैध समन या ऑडिट जांच में बाधा डालना; तथा (१५) किसी लाभकारी या निर्वाचित सार्वजनिक पद का भ्रष्टाचार या पद-दुरुपयोग हेतु इस्तेमाल।	Every member and legislator is bound by the Party Code of Conduct (Articles 15–16). Fifteen (15) enumerated acts constitute actionable disciplinary misconduct: (1) violating the Constitution of India, the Section 29A(5) pledge, or this Constitution; (2) contesting against or sabotaging an official AJP candidate in public elections; (3) ticket brokerage or bribe-for-office solicitation; (4) financial embezzlement, forged receipts, or unauthorized cash collection; (5) breaching the Section 5 Charitable Trust Firewall (Article 10); (6) rigging internal elections, booth capture, or bogus enrolments; (7) hate speech, communal/caste incitement, or political violence; (8) sexual harassment, gender-based misconduct (POSH violation), or intimidation; (9) distributing cash, liquor, or illicit election inducements; (10) conviction in moral turpitude/corruption offences or suppressing material criminal records; (11) unauthorized sale/leakage of membership PII in breach of DPDP rules; (12) intimidating bona fide whistleblowers or witnesses; (13) unauthorized public impersonation as official spokesperson undermining collective resolutions after warning; (14) obstructing internal audits, CRO scrutiny, or Commission inquiries; and (15) misusing public office for corrupt personal enrichment.

अनुच्छेद ६९: आनुपातिक दंड श्रेणी (Graded Penalties)

Article 69: Graded and Proportionate Penalties

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	आयोग अपराध की गंभीरता एवं प्रथम/आवृत्ति प्रकृति के अनुपात में निम्नांकित दंड दे सकेगा: (क) लिखित चेतावनी या भर्त्सना (Warning / Censure); (ख) ६ माह से २ वर्ष तक किसी संगठनात्मक पद या चुनाव लड़ने से अयोग्यता; (ग) किसी कार्यकारी या प्रांतीय पद से पदमुक्ति; (घ) ३ माह से १ वर्ष तक अस्थायी निलंबन; अथवा (ङ) गंभीरतम अपराधों (उपखंड (२) से (१०) व (१५) आदि) में पार्टी की प्राथमिक व सक्रिय सदस्यता से पूर्ण निष्कासन (Expulsion)।	Commensurate with severity and prior record, the Commission may impose graded sanctions: (a) written warning or formal censure; (b) debarment from holding Party offices or seeking internal/public nomination for 6–24 months; (c) removal from executive office; (d) temporary suspension of membership up to 12 months; or (e) permanent or multi-year Expulsion from membership in aggravated offences.

अनुच्छेद ७०: नैसर्गिक न्याय, कारण बताओ नोटिस एवं असत्यापित आरोपों पर दंड निषेध *(अनिवार्य सुरक्षा कवच)*
Article 70: Natural Justice, Show Cause Hearing and Prohibition on Punishment for Unverified Allegations

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	सुनवाई के बिना कोई दंड नहीं (Audi Alteram Partem): किसी भी सदस्य को निम्नलिखित सम्यक प्रक्रिया के बिना दंडित या निष्कासित नहीं किया जाएगा: (क) विशिष्ट आरोपों व साक्ष्य सारांश सहित लिखित कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice); (ख) लिखित उत्तर दाखिल करने हेतु कम से कम १४ (चौदह) दिन का समय; (ग) आयोग के समक्ष व्यक्तिगत या डिजिटल सुनवाई व गवाह/दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार; तथा (घ) साक्ष्यों की विवेचना करते हुए तर्कयुक्त लिखित आदेश (Speaking Order)।	No Penalty Without Due Process: No member shall suffer expulsion or final penalty unless afforded: (a) a specific written Show Cause Notice enclosing charge details and evidentiary summaries; (b) at least fourteen (14) days to submit a written defence; (c) opportunity of personal or video hearing with right to produce documents/witnesses; and (d) a reasoned written Speaking Order.
(2)	असत्यापित आरोपों व दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर रोक *(अपरिवर्तनीय सुरक्षा)*: मात्र सोशल मीडिया अफवाह, अनाम पत्र, गुटबाजीपूर्ण दुर्भावना अथवा **प्रथम दृष्टया असत्यापित आरोपों (Unverified Allegations)** के आधार पर किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को अंतिम रूप से निष्कासित, बदनाम या दंडित नहीं किया जाएगा। असत्य व दुर्भावनापूर्ण शिकायत सिद्ध होने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध ही अनुशासन कार्यवाही की जाएगी।	Ban on Punishing Unverified Allegations: No member or office-bearer shall be finally disciplined, expelled, or publicly stigmatized solely on social media rumours, anonymous complaints, or **unverified allegations** lacking prima facie documentary corroboration after impartial inquiry. Proven malicious false complaints shall invite disciplinary action against the complainant.
(3)	आपातकालीन अंतरिम निलंबन की सीमा: अत्यंत गंभीर अपराध (जैसे हिंसा, रंगे-हाथ वित्तीय गबन, या धारा १० उल्लंघन) में आयोग का अध्यक्ष (अथवा कार्यकारिणी की त्वरित पुष्टि पर) अधिकतम ३० (तीस) दिनों का अंतरिम निलंबन कर सकेगा, किंतु इसी ३०-दिवसीय अवधि में नोटिस व सुनवाई पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा अंतरिम निलंबन स्वतः समाप्त हो जाएगा।	Bounded Interim Suspension: Solely in urgent aggravated misconduct (violence, prima facie embezzlement, or Section 5 breach with documentary proof), an emergency interim suspension not exceeding thirty (30) days may issue subject to Commission ratification within 7 days and final hearing conclusion within that 30-day cap, failing which interim suspension lapses automatically.

अनुच्छेद ७१: स्वतंत्र अपीलीय तंत्र एवं अभिलेख संधारण
Article 71: Independent Appellate Mechanism and Sealed Record Maintenance

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	प्रत्येक दंडित सदस्य (अथवा गंभीर शिकायतकर्ता) को तर्कयुक्त आदेश प्राप्त होने के ३० दिनों के भीतर राज्य आयोग के विरुद्ध राष्ट्रीय अनुशासन आयोग में तथा राष्ट्रीय आयोग के मूल आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गैर-संबद्ध वरिष्ठ/विधिक पैनल अथवा संवैधानिक अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील का पूर्ण अधिकार होगा। अपील का निपटारा ४५ दिनों के भीतर किया जाएगा।	Appeal Right: Every sanctioned member may appeal within 30 days of receiving the speaking order: State Commission orders to the National Ethics Commission, and original National Commission orders to a non-executive Constitutional Appellate Review Panel (drawn from National Legal Commission & neutral senior NC delegates), with final disposal within 45 days.

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(2)	अभिलेख गोपनीयता: समस्त अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ, साक्ष्य और अंतिम आदेश सीलबंद डिजिटल-भौतिक संचिकाओं में कम से कम ७ वर्ष तक संरक्षित रखे जाएंगे।	Record Custody: All disciplinary notices, hearing transcripts, and reasoned decisions shall be maintained in secure confidential custody for at least seven (7) years.

CONSTITUTIONAL CHAPTER XIV | संवैधानिक अध्याय XIV

अध्याय XIV — विवाद समाधान एवं शिकायत निवारण तंत्र

CHAPTER XIV — DISPUTE RESOLUTION AND GRIEVANCE REDRESSAL

अनुच्छेद ७२: पाँच-स्तरीय आंतरिक विवाद समाधान ढाँचा एवं निष्पक्ष पहुँच

Article 72: Five-Tier Internal Dispute Resolution Framework and Equal Access

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	अनुशासन आयोग से इतर, सांगठनिक क्षेत्राधिकार, निर्वाचन विवाद, सदस्यता अस्वीकृति एवं प्रशासनिक शिकायतों के सौहार्दपूर्ण एवं विधि-सम्मत निपटारे हेतु पाँच-स्तरीय तंत्र स्थापित किया जाता है: (१) **प्रथम स्तर — स्थानीय/जिला सुलह एवं शिकायत डेस्क** (१५ दिनों में समाधान); (२) **द्वितीय स्तर — राज्य शिकायत एवं विधिक समन्वय समिति** (३० दिनों में निपटारा); (३) **तृतीय स्तर — राष्ट्रीय संविधान एवं विधिक कार्य आयोग** (अनुच्छेद २०(५), ३५ दिनों में आदेश); (४) **चतुर्थ स्तर — संयुक्त आंतरिक मध्यस्थता एवं सुलह पैनल** (दोनों पक्षों द्वारा सहमत ३ निष्पक्ष मध्यस्थ); तथा (५) **पंचम स्तर — संवैधानिक अपीलीय पैनल (अंतिम आंतरिक मंच)** (४५ दिनों में अंतिम तर्कयुक्त निर्णय)।	Outside formal Ethics Commission penal inquiries, all organisational, membership, electoral-roll, and administrative grievances shall be resolved through a five-tier progressive redressal mechanism: (1) Tier 1 — District/Local Conciliation & Grievance Desk (15 days); (2) Tier 2 — State Grievance & Legal Coordination Committee (30 days); (3) Tier 3 — National Constitutional & Legal Affairs Commission under Article 20(5) (35 days); (4) Tier 4 — Joint Internal Mediation & Arbitration Panel (3 mutually acceptable neutral mediators); and (5) Tier 5 — Final Constitutional Appellate Panel comprising non-executive legal/council adjudicators (45 days).
(2)	प्रत्येक स्तर पर प्राथमिक व सक्रिय सदस्य बिना किसी शुल्क के हिंदी, अंग्रेजी अथवा प्रादेशिक भाषा में डिजिटल पोर्टल अथवा डाक द्वारा शिकायत दर्ज करा सकेंगे और उन्हें पावती संख्या (Tracking ID) प्राप्त होगी।	All Primary and Active Members shall enjoy free, equal access across digital portal or physical dak in Hindi, English, or State language, receiving an auditable Grievance Tracking ID.

अनुच्छेद ७३: अनिवार्य हित-त्याग (Recusal), समयबद्ध मध्यस्थता एवं अभिलेख

Article 73: Conflict Recusal, Mandatory Conciliation Window and Reasoned Records

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	किसी भी शिकायत से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबद्ध, पक्षकार अथवा हितबद्ध पदाधिकारी स्वयं को सुनवाई पैनल से तत्काल अलग (Recuse) करेगा। गंभीर अंतर-इकाई विवादों में औपचारिक अधिनिर्णय से पूर्व कम से कम एक सद्भावनापूर्ण मध्यस्थता बैठक अनिवार्य होगी। प्रत्येक अंतिम निर्णय लिखित कारणों सहित दोनों पक्षों को प्रेषित किया जाएगा।	Any adjudicator having direct, personal, familial, or factional interest in a dispute shall mandatorily recuse. Non-penal organisational disputes shall undergo at least one structured good-faith mediation sitting prior to binding internal adjudication, culminating in a reasoned written order served on all parties.

अनुच्छेद ७४: न्यायालयों एवं भारत निर्वाचन आयोग के वैधानिक क्षेत्राधिकार का पूर्ण संरक्षण *(अपरिवर्तनीय विधिक मर्यादा)*

Article 74: Preservation of Constitutional Access to Courts and Statutory Forums *(No Unlawful Court-Ouster)*

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	सदस्यों से अपेक्षा की जाएगी कि वे आंतरिक सांगठनिक विवादों के समाधान हेतु पहले पार्टी के अध्याय XIV के आंतरिक मंच का सद्भावनापूर्ण उपयोग करें; परंतु यह कि **इस संविधान की कोई भी बात भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, सक्षम सिविल न्यायालयों अथवा भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के संविधान या किसी भारतीय विधि के अधीन प्राप्त सांविधानिक या वैधानिक उपचारों का अतिक्रमण या वर्जन (Ouster) नहीं करेगी।** जहां सिविल अधिकारिता लागू हो, पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय के संबंध में सामान्य प्रादेशिक अधिकारिता लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सक्षम न्यायालयों की होगी।	While members are encouraged to exhaust internal remedies under this Chapter in good faith prior to litigation, **nothing in this Constitution shall bar, abridge, or oust the constitutional jurisdiction of the Supreme Court of India, High Courts, competent Civil Courts, or statutory authorities including the Election Commission of India under Indian law.** Without prejudice to statutory or writ forums, ordinary civil jurisdiction concerning Central Headquarters administration shall lie with competent courts at Lucknow, Uttar Pradesh.

CONSTITUTIONAL CHAPTER XV | संवैधानिक अध्याय XV

अध्याय XV — महिला, युवा एवं समावेशी सहभागिता
CHAPTER XV — WOMEN, YOUTH AND INCLUSIVE PARTICIPATION

अनुच्छेद ७५: मातृशक्ति महिला जनोदय, युवा एवं छात्र मोर्चों का संस्थागत सशक्तिकरण
Article 75: Institutional Strengthening of Women's, Youth and Student Wings

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी मातृशक्ति महिला जनोदय प्रकोष्ठ, युवा जनोदय मोर्चा तथा अटल जनोदय छात्र मोर्चा को केवल सहायक या औपचारिक शाखा न मानकर नीति-निर्माण और जमीनी नेतृत्व विकास के मुख्य स्तंभ के रूप में संचालित करेगी। प्रत्येक प्रकोष्ठ को वार्षिक संगठनात्मक बजट व प्रशिक्षण संसाधनों में न्यायसंगत हिस्सा प्राप्त होगा।	The Party shall foster the National Women's Wing (Matrishakti Mahila Janoday Cell), Youth Wing (Yuva Janoday Morcha), and Student Wing as primary incubators of civic policy leadership rather than auxiliary appendages, supported by transparent annual training and operational budget allocations.

अनुच्छेद ७६: कार्यकारिणी व चयन समितियों में समावेशी प्रतिनिधित्व के संगठनात्मक लक्ष्य
Article 76: Organisational Benchmarks for Gender, Youth and Socio-Regional Inclusion

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	आंतरिक संगठनात्मक सुशासन को समावेशी बनाने हेतु पार्टी प्रत्येक राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला कार्यकारिणी तथा स्क्रीनिंग समिति में महिलाओं, ३५ वर्ष से कम आयु के युवाओं तथा समाज के वंचित/अनुसूचित/पिछड़े व श्रमजीवी वर्गों की सार्थक भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखती है (और अनुशासन एवं चयन निकायों में कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य करेगी)।	To ensure genuinely representative internal governance, the Party commits to progressive organisational benchmarks promoting meaningful participation of women, youth (under 35), and historically underrepresented socio-economic groups across National, State, and District Executives and Screening Panels (and mandates women's representation on Disciplinary Commissions).
(2)	वैधानिक यथार्थता का स्पष्टीकरण: ये आंतरिक सांगठनिक सहभागिता लक्ष्य पूर्णतः स्वैच्छिक लोकतांत्रिक शासन मानक हैं और पार्टी सार्वजनिक विधानमंडलों या निर्वाचन आयोग की किसी आरक्षित सीट का कोई काल्पनिक दावा नहीं करती; संसदीय/विधानसभा सीटें सदा भारत के संविधान एवं विधि द्वारा निर्धारित परिसीमन व आरक्षण व्यवस्था के अधीन रहेंगी।	Statutory Accuracy Proviso: These internal organisational inclusion benchmarks govern intra-party administration and candidate outreach efforts strictly under Indian law; the Party makes no unfounded assertion of statutory seats outside delimitation and constitutional reservations fixed under the Constitution of India.

अनुच्छेद ७७: कार्यस्थल व संगठन में यौन उत्पीड़न निवारण (POSH संहिता) एवं सुरक्षित वातावरण
Article 77: Zero-Tolerance Prevention of Sexual Harassment (POSH Committee) and Safe Organisational Culture

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी कार्यालयों, बैठकों, अभियानों एवं डिजिटल मंचों पर महिलाओं व सभी कार्यकर्ताओं की गरिमा की रक्षा हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, २०१३ (POSH Act) के सिद्धांतों के अनुरूप एक स्वतंत्र **आंतरिक परिवाद एवं महिला सुरक्षा समिति (ICC)** गठित की जाएगी (जिसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ महिला सदस्य करेंगी और कम से कम एक बाह्य विधिक/सामाजिक विशेषज्ञ शामिल होंगी)। प्रत्येक शिकायत की गोपनीय व समयबद्ध जांच ९० दिनों में पूर्ण की जाएगी।	Guided by the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH principles), the Party shall constitute an independent **Internal Complaints & Safety Committee** chaired by a senior woman member with an external legal/social sector expert to guarantee safe physical and digital Party spaces, ensuring confidential, trauma-informed inquiry within 90 days.

अनुच्छेद ७८: नेतृत्व प्रशिक्षण अकादमी एवं दिव्यांगजन सुगम्यता

Article 78: Civic Leadership Academy and Accessibility for Persons with Disabilities

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी नव-जुड़े युवाओं, महिलाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को संवैधानिक ज्ञान, आरटीआई, स्थानीय स्वशासन, बजट पठन एवं डिजिटल साक्षरता सिखाने हेतु नियमित प्रशिक्षण शिविर चलाएगी तथा अपने डिजिटल पोर्टल (WCAG मानक) व कार्यालय आयोजनों को दिव्यांगजनों हेतु सुगम बनाएगी।	The Party shall conduct periodic civic training workshops covering Constitutional literacy, Panchayat/Municipal governance, RTI, and fiscal literacy for emerging cadres, while maintaining WCAG-aligned digital accessibility and physical accommodation for Persons with Disabilities.

CONSTITUTIONAL CHAPTER XVI | संवैधानिक अध्याय XVI

अध्याय XVI — डिजिटल शासन, प्रौद्योगिकी, अभिलेख एवं डेटा संरक्षण (DPDP अधिनियम)

CHAPTER XVI — DIGITAL GOVERNANCE, TECHNOLOGY, RECORDS AND DATA PROTECTION

अनुच्छेद ७९: आधिकारिक डिजिटल अवसंरचना, केंद्रीकृत अभिलेख एवं डीपीडीपी अधिनियम २०२३ अनुपालन

Article 79: Official Digital Infrastructure, Record Governance and DPDP Act 2023 Compliance

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी अपनी आधिकारिक वेबसाइट (https://ajp.atalfoundation.ind.in), डिजिटल सदस्यता पंजीकरण पोर्टल, ई-वोटिंग मॉड्यूल और जनसंवाद प्रणालियों का संचालन डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३ (DPDP Act 2023) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २००० (संशोधित) के कठोर अनुपालन में करेगी।	The Party shall operate its official portal (https://ajp.atalfoundation.ind.in), digital membership registry, e-voting modules, and public dialogue systems strictly in compliance with the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act) and the Information Technology Act, 2000.
(2)	डेटा न्यासी सिद्धांत (Data Fiduciary Principles): (क) प्रत्येक आवेदक/नागरिक से स्पष्ट, संक्षिप्त व सूचित सहमति (Explicit Informed Consent) प्राप्त की जाएगी; (ख) उद्देश्य की सीमा व न्यूनतम डेटा संग्रहण (Data Minimization) लागू रहेगा; (ग) सदस्यता के अतिरिक्त किसी वाणिज्यिक विपणन या तृतीय-पक्ष ब्रोकिंग हेतु सदस्य डेटा साझा या विक्रय नहीं किया जाएगा; तथा (घ) सदस्य के सुधार, सहमति-वापसी एवं विलोपन (Erasure) अधिकारों की रक्षा (वैधानिक ईसीआई/आयकर अभिलेख-धारण बाध्यताओं के अधीन) डेटा संरक्षण अधिकारी (privacy@ataljanoday.org) द्वारा की जाएगी।	Data Fiduciary Standards: (a) Explicit, clear, bilingual informed consent prior to personal data capture; (b) Strict purpose limitation and data minimization; (c) Absolute prohibition on selling, renting, or commercially brokering member/volunteer PII; and (d) Enforceable member rights to data access, correction, consent withdrawal, and erasure (subject to statutory RPA/IT Act retention mandates) supervised by a designated Data Protection Officer (privacy@ataljanoday.org).

अनुच्छेद ८०: साइबर सुरक्षा, डेटा अलगाव (अनुभाग ५ तकनीकी दीवार) एवं डेटा उल्लंघन सूचना

Article 80: Cybersecurity, Role-Based Access, Section 5 Technical Isolation and Breach Notification

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	समस्त डिजिटल सदस्यता, दाता और प्रत्याशी डेटाबेस एन्क्रिप्शन-एट-रेस्ट व एन्क्रिप्शन-इन-ट्रांजिट, भूमिका-आधारित अभिगमन नियंत्रण (RBAC) एवं अपरिवर्तनीय ऑडिट लॉग द्वारा सुरक्षित होंगे।	All digital membership, donor, and candidate registries shall employ transport and storage encryption, strict Role-Based Access Controls (RBAC), two-factor admin authentication, and immutable audit logs.
(2)	अनुभाग ५ तकनीकी अलगाव (Technical PII Isolation): किसी धर्मार्थ न्यास (जैसे अटल फाउंडेशन) के लाभार्थी, रोगी, छात्र या परोपकारी डेटाबेस एवं पार्टी के राजनीतिक डेटाबेस के मध्य पूर्ण डेटाबेस व API अलगाव (HTTP 403/अवरुद्ध प्रवेश) लागू रहेगा। उल्लंघन या डेटा लीक की स्थिति में ७२ घंटों के भीतर वैधानिक प्राधिकारियों (CERT-In / डेटा संरक्षण बोर्ड) व प्रभावित सदस्यों को सूचित किया जाएगा।	Section 5 Technical PII Firewall: Strict logical and architectural segregation (HTTP 403 / access-blocked boundary) shall isolate Party databases from any charitable trust beneficiary, patient, or student records. Any confirmed security breach shall be notified to competent authorities and affected individuals within statutory timelines.

अनुच्छेद ८१: बहु-अभिरक्षक डिजिटल परिसंपत्ति उत्तराधिकार एवं एकल-व्यक्ति लॉकआउट पर निषेध *(महत्वपूर्ण संस्थागत सुरक्षा)*

Article 81: Multi-Custodian Digital Asset Escrow, Credential Succession and Anti-Lockout Rule

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी के समस्त डोमेन नाम (DNS), वेब होस्टिंग/क्लाउड कंसोल (जैसे Firebase प्रोजेक्ट स्वामित्व), सोर्स कोड रिपॉजिटरी, आधिकारिक ईमेल सर्वर, डिजिटल भुगतान गेटवे एवं सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल किसी एक व्यक्ति, तकनीकी ठेकेदार या अकेले पदाधिकारी के व्यक्तिगत नियंत्रण में नहीं रहेंगे।	All institutional digital assets — domain registrations (DNS), cloud hosting consoles, source repositories, official email workspaces, digital payment merchant accounts, and verified social media handles — shall stand vested strictly in institutional Party control and NEVER in a single individual's or external vendor's personal ownership.
(2)	बहु-अभिरक्षक उत्तराधिकार प्रोटोकॉल: प्रत्येक महत्वपूर्ण डिजिटल परिसंपत्ति हेतु कम से कम तीन (३) नामित संस्थागत अभिरक्षक (राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री एवं डिजिटल विंग/केंद्रीय सचिवालय के अधिकृत प्रमुख) दोहरे/बहु-कारक एस्क्रो अधिकार (Multi-Custodian Break-Glass Escrow) धारण करेंगे, जिससे किसी एक पदाधिकारी के त्यागपत्र, मृत्यु या हटाए जाने पर भी डिजिटल शासन में कोई व्यवधान या कब्जा (Hostile Lockout) न हो सके।	Multi-Custodian Break-Glass Escrow: Every mission-critical digital account and credential vault shall maintain multi-signature / multi-custodian administrative redundancy jointly held across at least three designated constitutional custodians (Apex Secretariat / General Secretary, President nominee, and Digital Wing Chair), safeguarding institutional continuity against single-point failure, resignation, incapacity, or hostile lockout.

अनुच्छेद ८२: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व स्वचालित निर्णय प्रक्रिया पर मानवीय निगरानी
Article 82: Human Oversight over Automated Systems and Ethical AI Rules

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी नीति विश्लेषण या डेटा वर्गीकरण में प्रयुक्त कोई भी डिजिटल टूल या एआई प्रणाली मानवीय निर्णय का विकल्प नहीं होगी। सदस्यता अस्वीकृति, अनुशासन या टिकट चयन जैसा कोई भी बाध्यकारी निर्णय केवल स्वचालित एल्गोरिथ्म से नहीं लिया जाएगा।	Digital tools or AI analytics used for policy compilation or civic issue clustering shall strictly remain advisory; no binding membership rejection, disciplinary sanction, or candidate elimination shall rely solely on automated profiling without documented human review.

CONSTITUTIONAL CHAPTER XVII | संवैधानिक अध्याय XVII

अध्याय XVII — संवाद, मीडिया एवं जनसंपर्क नीति

CHAPTER XVII — COMMUNICATION, MEDIA AND PUBLIC ENGAGEMENT

अनुच्छेद ८३: अधिकृत मीडिया प्रवक्तृत्व, प्रेस विज्ञप्तियाँ एवं तथ्य-सत्यापन

Article 83: Authorised Spokespersons, Press Releases and Fact-Verification Protocol

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी की ओर से राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय आधिकारिक नीतिगत वक्तव्य, विधिक बयान या चुनाव प्रतिक्रियाएँ केवल राष्ट्रीय/राज्य कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत प्रवक्ताओं (अनुच्छेद २५(५)), राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री अथवा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ही जारी की जाएंगी। प्रत्येक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति व डेटा दावे का प्रकाशन पूर्व स्रोत-सत्यापन अनिवार्य होगा।	Official national or state Party policy statements, press releases, and formal responses shall be issued solely by NEC/SEC-authorised Spokespersons (Article 25(5)), the National President, General Secretary, or respective State Presidents, grounded in documented source verification prior to release.

अनुच्छेद ८४: संवैधानिक रचनात्मक आंतरिक असहमति एवं नीतिगत बहस की स्वतंत्रता *(संरक्षित लोकतांत्रिक अधिकार)*

Article 84: Preservation of Constructive Internal Policy Debate and Dissent Rights

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	आंतरिक विचार-विमर्श के मंचों (बैठकों, महासमिति, परिषद व नीति पोर्टल) पर पार्टी नीतियों, संगठन कार्यप्रणाली या जनकार्यक्रमों पर सभ्य, साक्ष्य-आधारित एवं रचनात्मक आलोचना करना प्रत्येक सदस्य का संरक्षित लोकतांत्रिक अधिकार है और इसे कभी "दल-विरोधी गतिविधि" नहीं माना जाएगा। यह मर्यादा केवल व्यक्तिशः अपमान, घृणास्पद भाषण, गोपनीय निजी डेटा रिसाव अथवा घोषित चुनावी प्रत्याशी के विरुद्ध खुले विश्वासघात को ही नियंत्रित करती है।	Reasoned, respectful, evidence-based critique or policy dissent voiced within institutional Party organs, councils, or member forums constitutes a **protected constitutional democratic right** and shall NEVER be penalized as anti-party indiscipline. Media discipline restricts solely false official impersonation, hate speech, confidential PII leakage, and active public sabotage against duly selected Party candidates.

अनुच्छेद ८५: सोशल मीडिया आचार संहिता, डीपफेक निषेध एवं प्रतीक (Logo) सुरक्षा

Article 85: Digital Media Code, Prohibition of Deepfakes/Misinformation and Emblem Integrity

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	किसी भी सदस्य, डिजिटल प्रकोष्ठ या प्रचार इकाई द्वारा राजनीतिक विरोधियों या नागरिकों के विरुद्ध भ्रामक समाचार (Fake News), छेड़छाड़ किए गए वीडियो/डीपफेक (Deepfakes), अनैतिक ट्रोलिंग, धार्मिक-जातीय द्वेष अथवा अश्लील भाषा का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। किसी भी सिंथेटिक एआई चित्र या वीडियो का निर्माण बिना स्पष्ट लेबल के नहीं किया जाएगा।	All Party members and digital cells are strictly barred from fabricating or circulating misinformation, non-consensual deepfakes, coordinated abusive trolling, or religious/caste incitement. Any illustrative AI-assisted civic media shall carry transparent attribution and zero deceptive impersonation.
(2)	पार्टी के आधिकारिक नाम, लोगो एवं ध्वज का उपयोग अनधिकृत वाणिज्यिक विज्ञापन या व्यक्तिगत भ्रामक लाभ हेतु नहीं किया जाएगा।	The Party's official name, logo, emblem, and letterhead shall not be used for unauthorized commercial promotions or personal solicitation.

CONSTITUTIONAL CHAPTER XVIII | संवैधानिक अध्याय XVIII

अध्याय XVIII — पारदर्शिता एवं सार्वजनिक जवाबदेही

CHAPTER XVIII — TRANSPARENCY AND PUBLIC ACCOUNTABILITY

अनुच्छेद ८६: आधिकारिक वेबसाइट पर अनिवार्य स्वैच्छिक प्रकटीकरण (Proactive Public Disclosures)

Article 86: Mandatory Proactive Disclosures on Official Website

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आम नागरिकों हेतु निम्नांकित अद्यतन दस्तावेज सदैव निःशुल्क एवं सुगम रूप में उपलब्ध कराएगी: (क) पार्टी का अद्यतन द्विभाषी संविधान व अनुमोदित नियम; (ख) वर्तमान राष्ट्रीय एवं राज्य पदाधिकारियों, आंतरिक निर्वाचन आयुक्तों व अनुशासन आयोग के नाम व आधिकारिक संपर्क; (ग) चुनाव घोषणापत्र व नीतिगत श्वेत-पत्र; (घ) वार्षिक वैधानिक लेखा-परीक्षित आय-व्यय विवरणी, फॉर्म २४ए सारांश एवं ईसीआई फाइलिंग्स; (ङ) निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के वार्षिक रिपोर्ट कार्ड; तथा (च) सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशियों के आपराधिक पृष्ठभूमि विवरण (फॉर्म सी-७)।	The Party shall proactively publish and maintain free public access on its official website to: (a) the current bilingual Constitution and companion regulations; (b) verified rosters and official contacts of National/State office-bearers, Internal Election Commissioners, and Ethics Commissioners; (c) Election Manifestos and Policy White Papers; (d) Annual Audited Financial Statements, Form 24A reports, and ECI disclosures; (e) Annual Legislative Performance Report Cards; and (f) statutory candidate antecedent disclosures (Form C-7 norms).

अनुच्छेद ८७: संस्थागत पारदर्शिता बनाम नागरिक/सदस्य निजी डेटा गोपनीयता का संतुलन *(अपरिहार्य सीमा)*

Article 87: Balance Between Institutional Transparency and Protection of Individual PII and Confidential Records

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	सार्वजनिक पारदर्शिता के नाम पर निजी निजता का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। अतः निम्नलिखित अभिलेख सार्वजनिक वेबसाइट पर कभी अपलोड या प्रसारित नहीं किए जाएंगे: (क) साधारण व सक्रिय सदस्यों की निजी मतदाता सूची, व्यक्तिगत फोन नंबर, ईमेल, गृह पते या आधार/पैन क्रमांक; (ख) वैधानिक ₹२०,००० सीमा से नीचे के छोटे व्यक्तिगत दाताओं के गोपनीय निजी पहचान विवरण (जब तक विधि अथवा ईसीआई/न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अपेक्षित न हों); (ग) लंबित अनुशासनात्मक जांच की आरोप-पत्र फाइलें, गवाह व व्हिसलब्लोअर पहचान तथा मेडिकल/पीओएसएच (POSH) शिकायत अभिलेख; एवं (घ) किसी धर्मार्थ न्यास का लाभार्थी डेटा।	Institutional transparency shall never extinguish individual informational privacy. Accordingly, the Party shall strictly redact and withhold from general public upload: (a) individual member contact records, home addresses, mobile numbers, emails, and Aadhaar/PAN IDs outside secure statutory compliance filings; (b) small individual donor private identity details below statutory disclosure thresholds; (c) unverified pending disciplinary complaints, POSH records, whistleblower identities, and confidential medical/conciliatory notes prior to final adjudicated orders; and (d) any external charitable beneficiary records.

अनुच्छेद ८८: वार्षिक सुशासन एवं सामाजिक लेखा-परीक्षा (Governance Audit) तथा नागरिक लोकपाल संवाद

Article 88: Annual Governance Audit and Public Accountability Ombudsman Review

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	राष्ट्रीय महासमिति के प्रत्येक वार्षिक सत्र से पूर्व स्वतंत्र लेखा एवं संविधान आयोग द्वारा पार्टी की आंतरिक चुनाव समयबद्धता, १/३ नामांकन सीमा अनुपालन, शिकायत निस्तारण औसत समय एवं अनुभाग ५ अनुपालन पर एक **वार्षिक संवैधानिक सुशासन रिपोर्ट** प्रस्तुत कर वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।	Prior to each annual National General Body session, the Constitutional & Legal Commission and Audit Committee shall jointly publish an **Annual Constitutional Governance Audit Report** auditing compliance with the <=4-year election cycle, 1/3rd nomination limit, grievance disposal timeliness, and Section 5 Ethical Firewall compliance.

CONSTITUTIONAL CHAPTER XIX | संवैधानिक अध्याय XIX

अध्याय XIX — संविधान संशोधन प्रक्रिया

CHAPTER XIX — CONSTITUTIONAL AMENDMENTS

अनुच्छेद ८९: संशोधन प्रस्ताव का अधिकार एवं अग्रिम संवैधानिक-विधिक संवीक्षा

Article 89: Power to Propose Amendments and Mandatory Prior Legal Scrutiny

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	इस संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नांकित द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा: (क) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बहुमत प्रस्ताव द्वारा; (ख) राष्ट्रीय परिषद के कम से कम एक-चौथाई (१/४) निर्वाचित सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरित नोटिस द्वारा; (ग) कम से कम तीन मान्यताप्राप्त राज्य परिषदों के समरूप प्रस्ताव द्वारा; अथवा (घ) राष्ट्रीय महासमिति के कम से कम १०% सत्यापित प्रतिनिधियों के लिखित प्रस्ताव द्वारा।	An amendment to this Constitution may be initiated solely by: (a) formal NEC majority resolution; (b) signed requisition by at least one-fourth (1/4th) of elected National Council members; (c) concurring resolutions of at least three recognized State Councils; or (d) verified written petition of at least 10% of National General Body delegates.
(2)	प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव को मतदान से पूर्व **राष्ट्रीय संविधान एवं विधिक कार्य आयोग** के समक्ष भेजा जाएगा जो १५ दिनों के भीतर यह लिखित प्रमाणित करेगा कि प्रस्ताव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१, ईसीआई दिशानिर्देशों एवं अनुच्छेद ९१ के अपरिवर्तनीय मूल ढाँचे के अनुकूल है।	Every proposed amendment shall first be referred to the National Constitutional & Legal Affairs Commission, which shall certify in writing within 15 days whether it conforms to RPA 1951, ECI registration standards, and Article 91 basic structure safeguards.

अनुच्छेद ९०: ३०-दिवसीय पूर्व द्विभाषी परिचालन, विशेष बहुमत एवं अंगीकरण प्रक्रिया

Article 90: Mandatory 30-Day Bilingual Circulation, Supermajority Requirement and Passage

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	प्रस्तावित संशोधन का सटीक हिंदी एवं अंग्रेजी तुलनात्मक पाठ (वर्तमान बनाम प्रस्तावित अनुच्छेद) राष्ट्रीय महासमिति (अथवा विशेष रूप से आहूत संशोधन अधिवेशन) की बैठक से कम से कम **३० (तीस) दिन पूर्व** सभी पात्र प्रतिनिधियों को परिचालित किया जाएगा।	The exact comparative Hindi and English text (existing vs. proposed wording along with statement of objects) shall be circulated to all NGB delegates at least **thirty (30) days** prior to the scheduled General Body or Special Amendment Convention.
(2)	विशेष बहुमत (Special Majority): संविधान संशोधन तभी पारित माना जाएगा जब वह उपस्थित एवं मतदान करने वाले राष्ट्रीय महासमिति के सदस्यों के कम से कम **दो-तिहाई (२/३)** बहुमत से, जो कुल महासमिति सदस्यता के निरपेक्ष बहुमत (५०%+१) से कम न हो, पारित किया जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में अकेले संविधान में संशोधन नहीं कर सकेंगे।	Supermajority Vote: No amendment shall take effect unless adopted by a **two-thirds (2/3rd) majority** of NGB delegates present and voting, representing also an absolute majority (more than 50%) of total NGB strength. Neither the National President nor the NEC may unilaterally amend this Constitution.

अनुच्छेद ९१: संविधान का अपरिवर्तनीय मूल ढाँचा *(Basic Structure Safeguards)*

Article 91: Unalterable Basic Structure Safeguards

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	कोई भी संशोधन निम्नलिखित आधारभूत संवैधानिक प्रतिज्ञाओं को समाप्त, कमजोर या निरस्त नहीं कर सकेगा: (क) अनुच्छेद ६ के अंतर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा २९क(५) की अनिवार्य निष्ठा एवं धर्मनिरपेक्ष-लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रति निष्ठा; (ख) अनुच्छेद १० का अनुभाग ५ धर्मार्थ न्यास पृथक्करण (अटल फाउंडेशन आदि से शून्य वित्तीय विलय); (ग) अनुच्छेद ३० के अंतर्गत निर्वाचित संगठनात्मक निकायों का अधिकतम ४-वर्षीय कार्यकाल व आवधिक चुनाव नियम; तथा (घ) अनुच्छेद ३६ के अंतर्गत कार्यकारी व परिषदों में १/३ से अनधिक मनोनीत सदस्यों की सीमा।	No amendment shall abrogate, dilute, or contravene the fundamental constitutional identity of the Party comprising: (a) Mandatory Section 29A(5) allegiance to the Constitution of India, socialism, secularism, democracy, and national unity under Article 6; (b) Strict Section 5 Ethical & Financial Firewall separating Party and Charitable Trusts under Article 10; (c) Periodic internal elections at intervals not exceeding four (4) years under Article 30; and (d) The one-third (1/3rd) upper cap on nominated members under Article 36.

अनुच्छेद ९२: भारतीय निर्वाचन आयोग को ३० दिनों में अनिवार्य सूचना (धारा २९क(९)) एवं समेकित प्रकाशन
Article 92: Mandatory ECI Notification within 30 Days (Section 29A(9)) and Consolidated Publication

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पंजीकरण के पश्चात इस संविधान या मुख्य पदाधिकारियों/पते में किसी भी परिवर्तन के पारित होने की तिथि से **३० (तीस) दिनों के भीतर** राष्ट्रीय महामंत्री लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा २९क(९) के अंतर्गत प्रमाणित द्विभाषी पाठ व बैठक कार्यवृत्त सहित भारत निर्वाचन आयोग को अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे। संशोधन प्रभावी होने के १५ दिनों के भीतर समेकित अद्यतन संविधान वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।	Pursuant to Section 29A(9) of the Representation of the People Act, 1951, upon registration and following any valid constitutional amendment or change in Party name, head office, or chief office-bearers, the National General Secretary shall notify the Election Commission of India within **thirty (30) days** enclosing certified bilingual texts and adoption minutes. Consolidated updated bilingual editions shall be published on the Party website within 15 days.

CONSTITUTIONAL CHAPTER XX | संवैधानिक अध्याय XX

अध्याय XX — विलय, विभाजन, पुनर्गठन एवं विघटन

CHAPTER XX — MERGER, SPLIT, REORGANISATION AND DISSOLUTION

अनुच्छेद ९३: किसी अन्य पंजीकृत दल के साथ विलय (Merger) के कठोर संवैधानिक एवं ईसीआई मानदंड

Article 93: Stringent Constitutional & ECI Conditions for Merger with Another Registered Political Party

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	अटल जनोदय पार्टी का किसी अन्य पंजीकृत राजनीतिक दल में विलय अथवा किसी अन्य दल का AJP में विलय तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि: (क) दोनों दलों के मूल संवैधानिक आदर्श व धारा २९क(५) प्रतिज्ञा पूर्णतः संगत न हों; (ख) कम से कम ६० दिन पूर्व राष्ट्रीय महासमिति व राज्य परिषदों के समक्ष विस्तृत विलय प्रपत्र, लेखा-परीक्षित देनदारी आकलन एवं श्वेत-पत्र न रखा गया हो; (ग) राष्ट्रीय महासमिति द्वारा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के **तीन-चौथाई (३/४)** विशेष बहुमत (तथा कुल सदस्यता के २/३) से प्रस्ताव पारित न हो; और (घ) भारत निर्वाचन आयोग एवं चुनाव चिह्न आदेश, १९६८ के नियम १५/१६ की सभी वैधानिक प्रक्रियाएँ पूर्ण न कर ली जाएँ।	No merger of AJP into another registered political party, nor absorption of another party into AJP, shall be valid unless: (a) ideological and Section 29A(5) constitutional compatibility is verified; (b) detailed merger terms and audited balance-sheets are circulated at least 60 days prior to NGB and State Councils; (c) approval is carried by a **three-fourths (3/4th) majority** of NGB delegates present and voting representing at least two-thirds of total NGB strength; and (d) full statutory procedures under ECI guidelines and Paragraphs 15/16 of the Election Symbols Order, 1968 are satisfied.

अनुच्छेद ९४: आंतरिक विभाजन, गुटबाजी या दसवीं अनुसूची की स्थिति में संगठन एवं परिसंपत्ति सुरक्षा

Article 94: Protection of Institutional Continuity and Assets in Event of Split or Reorganisation

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	किसी आंतरिक मतभेद या विभाजन की स्थिति में, पार्टी की वैधानिक पहचान, नाम, कोष, बैंक खाते एवं चल-अचल परिसंपत्तियाँ उसी संवैधानिक संगठन के पास रहेंगी जिसे महासमिति व राष्ट्रीय परिषद के वैधानिक बहुमत का समर्थन प्राप्त हो (तथा जो चुनाव चिह्न आदेश के पैरा १५ के तहत ECI के निर्णय के अधीन हो)। कोई भी पृथक होने वाला गुट या व्यक्ति पार्टी की संपत्ति का व्यक्तिगत दावा या विभाजन नहीं कर सकेगा।	In any event of internal faction split or reorganisation, legal continuity, Party name, bank accounts, and real/digital assets shall vest strictly in the constitutional organisation retaining majority NGB/NC allegiance consistent with ECI adjudication under Paragraph 15 of the Election Symbols Order, 1968 and Tenth Schedule principles. Departing factions or individuals shall possess zero claim to partition Party funds or property.

अनुच्छेद ९५: विघटन (Dissolution) प्रक्रिया, लेनदारों के अधिकारों की सुरक्षा एवं परिसंपत्तियों का विधि-सम्मत निस्तारण *(अनिवार्य वित्तीय सुरक्षा)*

Article 95: Dissolution Procedure, Priority Protection of Creditor Rights and Lawful Asset Disposition

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	विघटन प्रस्ताव केवल ६० दिनों की अग्रिम सूचना, पूर्ण लेखा-परीक्षित परिसंपत्ति व देनदारी सूची तथा राष्ट्रीय महासमिति के विशेष रूप से आहूत अधिवेशन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले कम से कम **तीन-चौथाई (३/४)** सदस्यों (कुल सदस्यता के २/३) के अनुमोदन द्वारा ही पारित किया जा सकेगा।	Voluntary dissolution of the Party may be resolved solely by a specially convened National General Body session upon 60 days' prior bilingual notice enclosing audited asset/liability schedules, carried by a **three-fourths (3/4th)** supermajority of delegates present and voting (at least two-thirds of total NGB strength).
(2)	लेनदारों, कर्मचारियों एवं वैधानिक देनदारियों का प्रथम भुगतान *(अपरिवर्तनीय सुरक्षा)*: विघटन प्रभावी होने पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय लेखा-समिति व स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा समस्त वैध लेनदारों, कर्मचारियों/वेतन-भत्तों, विक्रेताओं, किराए, एवं वैधानिक कर/सरकारी देनदारियों का **पूर्ण एवं प्राथमिकता के आधार पर भुगतान** सुनिश्चित किया जाएगा; किसी भी देनदारी को बकाया रखकर परिसंपत्तियों का हस्तांतरण पूर्णतः अवैध होगा।	Strict Priority Protection of Creditors & Liabilities: Upon winding up resolution, an independent Liquidator/CA Panel supervised by the Audit Committee shall prepare certified winding-up accounts and **discharge ALL lawful obligations to employees, vendors, landlords, statutory tax authorities, and verified creditors in full priority** prior to any residual disposition.

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(3)	अवशेष परिसंपत्तियों का विधि-सम्मत लोक-हितकारी निस्तारण: समस्त देनदारियों के पूर्ण भुगतान के पश्चात शेष बची कोई भी शुद्ध निधि या चल-अचल संपत्ति **किसी भी दशा में किसी सदस्य, संस्थापक, पदाधिकारी, रिश्तेदार या निजी व्यक्ति के मध्य वितरित नहीं की जाएगी**, न ही किसी ऐसी संदिग्ध संस्था को दी जाएगी जो कर-अपवंचन करे। अवशेष शुद्ध संपत्ति को राष्ट्रीय महासमिति के विघटन प्रस्ताव, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा लागू भारतीय विधि (आयकर अधिनियम/समाज या न्यास विधि के संगत) के पूर्ण अनुपालन में किसी पंजीकृत निष्पक्ष लोक-कल्याण, संवैधानिक साक्षरता या गैर-लाभकारी सार्वजनिक प्रयोजन (अथवा विधि द्वारा विहित विलय/हस्तांतरण मार्ग) को पूर्णतः पारदर्शी अभिलेख सहित हस्तांतरित किया जाएगा तथा इसकी अंतिम विवरणी ECI व आयकर प्राधिकारियों को दाखिल की जाएगी।	Lawful Asset Disposition (Strict Ban on Private Distribution): Following complete discharge of all debts and liabilities, **NO residual cash balance or property shall EVER be distributed to or divided among any founding members, office-bearers, ordinary members, or private individuals.** Net surplus assets shall be transferred strictly in compliance with applicable Indian law, Income Tax rules, ECI winding-up directions, and the winding-up NGB resolution solely to bona fide non-profit public, civic, constitutional literacy, or lawful successor civic bodies with complete audited filings submitted to ECI and tax authorities.

CONSTITUTIONAL CHAPTER XXI | संवैधानिक अध्याय XXI

अध्याय XXI — संक्रमणकालीन एवं संस्थापन उपबंध
CHAPTER XXI — TRANSITIONAL AND FOUNDING PROVISIONS

अनुच्छेद ९६: मसौदा चरण, संस्थापक अधिवेशन अंगीकरण एवं ईसीआई धारा २९क पंजीकरण के मध्य स्पष्ट विधिक भेद
Article 96: Clear Distinction Between Draft Stage, Founding Convention Adoption and ECI Section 29A Registration

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	संस्थागत सत्यनिष्ठा हेतु तीन स्पष्ट चरण परिभाषित किए जाते हैं: (क) **चरण १ — पूर्व-अधिवेशन प्रारूप (Current Status)**: वर्तमान द्विभाषी दस्तावेज *"संस्थापक अधिवेशन के अनुमोदन हेतु प्रारूप — अभी अंगीकृत नहीं"* के रूप में समीक्षा व विचारार्थ प्रस्तुत है; (ख) **चरण २ — संस्थापक अधिवेशन द्वारा अंगीकरण**: यह संविधान केवल विधिवत आहूत संस्थापक अधिवेशन में कम से कम १०० पंजीकृत भारतीय मतदाता संस्थापक सदस्यों की उपस्थिति में औपचारिक अंगीकरण प्रस्ताव (Adoption Resolution) पारित होने तथा वास्तविक दिनांक व हस्ताक्षर अंकित होने पर ही प्रभावी होगा; एवं (ग) **चरण ३ — ईसीआई धारा २९क पंजीकरण**: स्थापना अंगीकरण की तिथि से **३० (तीस) दिनों के भीतर** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा २९क के अधीन निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क, १००+ मतदाताओं के शपथ-पत्र/मतदाता सूची उद्धरण, प्रस्ताव व प्रमाणित संविधान प्रति सहित भारत निर्वाचन आयोग को पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।	For unimpeachable legal accuracy, three distinct milestones are constitutionally demarcated: (a) **Stage 1 — Pre-Convention Draft (Present Document Status)**: Pending formal sitting, this Charter remains strictly a **"DRAFT FOR FOUNDING CONVENTION APPROVAL — NOT YET ADOPTED"**; (b) **Stage 2 — Founding Convention Enactment**: This Constitution enters into legal effect SOLELY upon adoption by a duly convened Founding Convention satisfying requisite quorum of eligible adult Indian citizen founders and execution of dated Adoption Resolutions; and (c) **Stage 3 — Statutory ECI Registration**: Within **thirty (30) days** of party formation/adoption, formal application under Section 29A(2) RPA 1951 accompanied by statutory processing fee, verified affidavits/electoral-roll extracts of at least 100 electors, adoption minutes, and bilingual certified Constitution shall be filed with the Election Commission of India.

अनुच्छेद ९७: प्रलेखित संस्थापक योगदानकर्ता, वर्तमान महामंत्री एवं रिक्त/अपुष्ट पदों की ईमानदार स्थिति
Article 97: Verified Founding Mission Contributors, Documented General Secretary and Unfilled/Pending Offices

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	पार्टी के आधिकारिक प्रलेखित अभिलेखों (`CONTENT_APPROVAL_REGISTER.md` व आधिकारिक पोर्टल) में दर्ज संवैधानिक एवं विचारधारात्मक निर्माण में योगदानकर्ता प्रमुख व्यक्तियों — जिनमें **डॉ. रिपु रंजन सिन्हा (विचारधारा एवं नीति निर्माण)**, **डॉ. आशुतोष मिश्र**, **अधिवक्ता रवींद्र कुमार राय (विधिक व संवैधानिक ढाँचा)**, **अधिवक्ता जीवक शाह (विधिक मार्गदर्शन)**, **श्री सतीश यादव**, तथा **डॉ. अक्षय यादव** — तथा प्रलेखित **राष्ट्रीय महामंत्री श्री राजेंद्र प्रसाद तिवारी** का संस्थापन सहयोग अभिलेखित किया जाता है।	Verified Repository Record: AJP's published institutional register documents ideological, legal, and organisational founding contributions of **Dr. Ripu Ranjan Sinha**, **Dr. Ashutosh Mishra**, **Adv. Ravindra Kumar Rai**, **Adv. Jiwak Shah**, **Shri Satish Yadav**, and **Dr. Akshay Yadav**, alongside documented **General Secretary Shri Rajendra Prasad Tiwari**.
(2)	कल्पना-निषेध एवं लंबित नियुक्तियाँ *(सख्त सत्यता नियम)*: संस्थापक अधिवेशन द्वारा औपचारिक निर्वाचन अथवा नियुक्ति किए जाने तक **राष्ट्रीय अध्यक्ष**, **राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष**, बैंक खाता विवरण, सटीक स्थायी डाक परिसर क्रमांक, ईसीआई पंजीकरण संख्या तथा आवंटित चुनाव चिह्न जैसे तथ्य इस प्रारूप में अपरिवर्तित रूप से **[संस्थापक अधिवेशन निर्वाचन/आयोग स्वीकृति लंबित — Pending Founding Election / Statutory Approval]** के रूप में छोड़े गए हैं और किसी भी अनिर्वाचित या काल्पनिक नाम का दावा नहीं किया जाएगा।	Zero-Fabrication Rule & Pending Offices: Until formally elected or confirmed at the Founding Convention or notified by competent authority, the offices of **National President**, **National Treasurer**, exact street house-number, bank account numbers, ICAI statutory auditor, ECI Registration Number, and Election Symbol stand expressly recorded as **[Pending Founding Convention Election / Statutory Approval]** without speculative substitution.

अनुच्छेद ९८: अंतरिम संस्थापक आयोजन समिति की शक्तियाँ, सीमाएँ एवं प्रथम निर्वाचित चक्र का समयबद्ध कार्यक्रम

Article 98: Provisional Organising Committee Powers, Term Cap and Mandatory First Organisational Elections

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	संस्थापक अधिवेशन में निर्वाचित प्रथम राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी का कार्यकाल ईसीआई पंजीकरण व प्रांतीय इकाइयों के क्रमिक विस्तार के अधीन **अधिकतम १२ से ३६ माह (और किसी भी दशा में ४ वर्ष की कुल संवैधानिक सीमा के भीतर)** सीमित रहेगा। पंजीकरण प्राप्त होने के पश्चात प्रथम संभव चक्र के भीतर अनुच्छेद ३०–३६ के अनुरूप पूर्ण लोकतांत्रिक निचले-से-ऊपरी संगठनात्मक चुनाव संपन्न कराकर राष्ट्रीय परिषद एवं कार्यकारिणी को विधिवत पुनर्गठित किया जाएगा।	Provisional founding office-bearers and the inaugural NEC elected at the Founding Convention shall exercise strictly transitional governance mandated to execute Section 29A registration, open audited Party bank accounts, build primary/active membership rolls, and conduct full multi-tier democratic organisational elections under Chapter VII **strictly within twelve (12) to thirty-six (36) months of formation/registration (and NEVER exceeding the 4-year ceiling)**.
(2)	वर्तमान आधिकारिक वेबसाइट (`https://ajp.atalfoundation.ind.in`), पूर्व नीति दस्तावेज और ड्राफ्ट प्रपत्र अंगीकरण के उपरांत स्वतः इस संविधान की अनुसूचियों व प्रावधानों के अधीन समायोजित माने जाएंगे; किसी भी विरोधाभास की स्थिति में यह संविधान अभिभावी होगा।	Continuity of Existing Verified Assets: Upon Founding Convention adoption, the official digital portal (`https://ajp.atalfoundation.ind.in`), verified policy drafts, and procedural codes shall stand harmonized under this Constitution; in any discrepancy, this Constitution shall prevail.

CONSTITUTIONAL CHAPTER XXII | संवैधानिक अध्याय XXII

अध्याय XXII — निर्वचन, भाषाएँ, प्रकीर्ण उपबंध एवं अप्रामाणिक हस्ताक्षर प्रारूप

CHAPTER XXII — INTERPRETATION, LANGUAGES, MISCELLANEOUS AND UNAUTHENTICATED EXECUTION BLOCK

अनुच्छेद ९९: संवैधानिक सर्वोच्चता, अनुसूचियाँ एवं विच्छेदनीयता (Severability)

Article 99: Constitutional Supremacy Over Schedules, Regulations and Doctrine of Severability

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	संविधान की सर्वोच्चता: इस संविधान के अंतर्गत बनाई जाने वाली कोई भी अनुसूची, विनियम, प्रकोष्ठ नियमावली, प्रदेश संहिता अथवा कार्यकारिणी परिपत्र मुख्य अनुच्छेदों के अधीन रहेगा। असंगति की स्थिति में मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद प्रभावी होंगे और असंगत उपनियम उस सीमा तक शून्य माने जाएंगे।	Constitutional Supremacy: All Schedules, Companion Regulations, Wing Bylaws, State Charters, and NEC circulars shall operate subordinate to the Articles of this Constitution; any inconsistent clause in subordinate regulations shall be void to the extent of repugnancy.
(2)	पृथक्करणीयता (Severability): यदि भारत के किसी सक्षम न्यायालय अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संविधान के किसी एक उपबंध या उप-खंड को विधि-विरुद्ध घोषित किया जाता है, तो शेष संपूर्ण संविधान पूर्णतः वैध व प्रवर्तनीय बना रहेगा।	Severability: If any specific clause or sub-clause hereof is held invalid or unenforceable by a competent Indian Court or Election Commission directive, the remaining provisions of this Constitution shall survive in full force and effect.

अनुच्छेद १००: सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों का संरक्षण, क्षतिपूर्ति, सामान्य मुहर एवं सूचनाओं की तामील

Article 100: Saving of Bona Fide Acts, Indemnity, Common Seal and Service of Notices

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	सद्भावना संरक्षण व क्षतिपूर्ति: इस संविधान के अधीन अपने पदीय कर्तव्यों का सद्भावपूर्वक, विधि-सम्मत और बिना किसी कपट/भ्रष्टाचार के निर्वहन करने वाले किसी पदाधिकारी या आयोग सदस्य को वैध विधिक रक्षा का समर्थन प्राप्त होगा (किंतु कपट, गबन, मानहानि या जानबूझकर विधि-उल्लंघन पर कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं होगी)। किसी निकाय की रिक्ति या प्रक्रियागत सूक्ष्म त्रुटि मात्र से कोई सद्भावपूर्ण सामूहिक निर्णय तब तक अमान्य नहीं होगा जब तक गणपूर्ति व मूल न्याय प्रभावित न हो।	Good Faith Savings & Limited Indemnity: No bona fide collective act complying with quorum and substantial justice shall fail solely due to a minor formal defect or temporary vacancy. Office-bearers and Commissioners acting honestly within authority without fraud, corruption, or gross negligence may receive institutional legal defence; willful illegality or embezzlement forfeits all indemnity.
(2)	सूचनाओं व दिनों की गणना: समस्त संवैधानिक नोटिस पंजीकृत डिजिटल पोर्टल/ईमेल व/या स्पीड-पोस्ट से भेजे जाएंगे; दिनों की गणना में सूचना प्रेषण का दिन छोड़कर स्पष्ट कैलेंडर दिन गिने जाएंगे। पार्टी की आधिकारिक मुहर (Common Seal) का उपयोग केवल राष्ट्रीय महामंत्री की अभिरक्षा एवं कार्यकारिणी प्रस्ताव के अधीन दो अधिकृत हस्ताक्षरों से होगा।	Service of Notices, Computation & Seal: Notices may validly issue via verified email/member portal and/or physical registered post; prescribed days signify clear calendar days excluding date of dispatch. The official Common Seal shall remain under Central Secretariat custody and affix solely under dual authority authorized by NEC resolution.

अनुच्छेद १०१: हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी पाठ की समान प्रामाणिकता एवं सामंजस्यपूर्ण निर्वचन नियम

Article 101: Equal Authority of Bilingual Texts and Harmonious Reconciliation Clause

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	अटल जनोदय पार्टी का यह संविधान देवनागरी **हिंदी** एवं **अंग्रेजी** दोनों भाषाओं में समानांतर रूप से विरचित एवं प्रस्तुत किया गया है और दोनों पाठ समान संवैधानिक प्राधिकार रखते हैं।	Both the **Hindi (Devanagari)** and **English** versions of this Constitution carry equal formal authority within Party governance.

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(2)	सामंजस्यपूर्ण व्याख्या एवं वैधानिक निर्वचन नियम: (क) अनुच्छेद ६ की धारा २९क(५) की वैधानिक घोषणा का अंग्रेजी मूल पाठ संसदीय अधिनियम में यथा-विहित शब्दशः प्रमाणिक माना जाएगा, जिसके साथ सटीक हिंदी अनुवाद समानांतर रहेगा; (ख) अन्य सभी अनुच्छेदों में, यदि हिंदी व अंग्रेजी अनुवाद में कोई शाब्दिक सूक्ष्म अंतर प्रतीत हो, तो सर्वप्रथम दोनों पाठों की **सामंजस्यपूर्ण उद्देश्यपरक व्याख्या** संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ तथा ईसीआई नियमों के प्रकाश में राष्ट्रीय संविधान एवं विधिक आयोग द्वारा की जाएगी; तथा (ग) न्यायालयों या निर्वाचन आयोग के समक्ष वैधानिक फाइलिंग में अंग्रेजी-हिंदी दोनों प्रमाणित पाठ संलग्न किए जाएंगे, और तकनीकी वैधानिक शब्दावली के स्पष्टीकरण हेतु विधि आयोग की संस्तुति व राष्ट्रीय परिषद की व्याख्या निर्णायक होगी।	Bilingual Reconciliation Rule: (a) The statutory declaration under Section 29A(5) RPA 1951 (Article 6) follows the verbatim English text enacted by Parliament alongside its faithful Hindi rendering; (b) across all other Articles, both texts shall first receive harmonious purposive construction in light of the Preamble, Constitution of India, RPA 1951, and ECI guidelines by the National Constitutional & Legal Commission; and (c) both bilingual texts shall accompany ECI submissions, with interpretive clarifications settled by Legal Commission opinion ratified by the National Council.

अनुच्छेद १०२: औपचारिक अंगीकरण अभिलेखन व अप्रामाणिक हस्ताक्षर प्रारूप खंड *(अभी हस्ताक्षरित नहीं)*

Article 102: Formal Adoption Authentication Block *(UNEXECUTED TEMPLATE — PENDING FOUNDING CONVENTION)*

खंड / Cl.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
(1)	अंतिम सत्यापन सूचना: यह पूर्ण द्विभाषी संवैधानिक प्रारूप वर्तमान में **संस्थापक अधिवेशन के अनुमोदन हेतु प्रारूप — अभी अंगीकृत नहीं** है। नीचे दिया गया हस्ताक्षर खंड केवल अधिवेशन द्वारा वास्तविक अंगीकरण के दिन पूर्ण दिनांक, स्थान एवं हस्ताक्षर सहित भरा जाएगा: [प्रमाणित किए जाने हेतु रिक्त स्थान — वास्तविक अंगीकरण पर भरा जाए] • अंगीकरण तिथि: [संस्थापक अधिवेशन की वास्तविक तिथि अंकित करें] • अधिवेशन स्थान: [लखनऊ / अधिवेशन स्थल अंकित करें] • सभापति, संस्थापक अधिवेशन — नाम व हस्ताक्षर: _____ • नव-निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष (निर्वाचन उपरांत) — नाम व हस्ताक्षर: _____ • राष्ट्रीय महामंत्री — नाम व हस्ताक्षर: _____ (अटल जनोदय पार्टी) • मुख्य विधिक एवं संवैधानिक प्रमाणक — नाम व हस्ताक्षर: _____	CRITICAL VERIFICATION NOTICE: This Constitution is presently a **DRAFT FOR FOUNDING CONVENTION APPROVAL — NOT YET ADOPTED**. No person is authorized to affix backdated dates or fabricated signatures. The execution block below remains strictly blank until actual Founding Convention ratification: [UNEXECUTED AUTHENTICATION BLOCK — TO BE FILLED SOLELY UPON ACTUAL ADOPTION] • Date of Adoption by Founding Convention: [To be filled on actual date of convention] • Venue of Founding Convention: [Lucknow, U.P. / Verified Venue] • Chairperson of Founding Convention (Name & Signature): _____ • Elected National President [Post-Election] (Name & Signature): _____ • National General Secretary (Name & Signature): _____ • Chairperson, Constitutional & Legal Commission (Name & Signature): _____

संवैधानिक अनुसूचियाँ एवं सहवर्ती विनियम (अनुसूची I–XIII)
CONSTITUTIONAL SCHEDULES & COMPANION REGULATIONS (SCHEDULES I–XIII)

[अंगीकरण-आवश्यक सहवर्ती विनियम / Companion Regulation Requiring NGB/NEC Adoption]

अनुसूची I — सदस्यता पंजीकरण, पहचान पत्र, स्थानांतरण एवं नाममात्र शुल्क नियमावली (अध्याय III के अधीन)
SCHEDULE I — MEMBERSHIP REGISTRATION, IDENTITY REGISTRY, TRANSFER AND NOMINAL FEE REGULATIONS

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
1.1	नाममात्र वार्षिक शुल्क एवं कोष-जमा नियम: संस्थापक अधिवेशन व राष्ट्रीय महासभा (NGB) के औपचारिक अनुमोदन हेतु प्रस्तावित वार्षिक सदस्यता शुल्क: (क) **साधारण / प्राथमिक सदस्य: ₹९९ प्रति वर्ष**; (ख) **सक्रिय काडर सदस्य: ₹४९९ प्रति वर्ष**; तथा (ग) अति-निर्धन अंत्योदय नागरिकों हेतु प्रमाणित शुल्क-छूट (Waiver) मानदंड। [सटीक लागू दरें संस्थापक अधिवेशन अनुमोदन के अधीन आरक्षित]। **शत-प्रतिशत नियम:** संपूर्ण सदस्यता राशि १००% सीधे पार्टी के अधिकृत केंद्रीय बैंक खाते (पार्टी कोष) में जमा होगी; किसी सदस्य या पदाधिकारी को शुल्क से कोई कमीशन या एमएलएम (MLM) हिस्सा नहीं दिया जाएगा।	Nominal Annual Membership Fee & 100% Central Fund Deposit: Proposed annual subscription schedule pending formal Founding Convention / NGB ratification: (a) **Ordinary Member: ₹99/year**; (b) **Active Cadre Member: ₹499/year**; and (c) transparent fee-waiver criteria for economically indigent Antyodaya citizens [Final rates subject to Convention Approval Resolution]. **100% Party Fund Rule:** All membership dues credit 100% to the consolidated Party Bank Account via traceable banking/digital modes; ZERO referral commissions, downline payouts, or MLM fee-splitting permitted.
1.2	अनिवार्य आवेदन विवरण व पहचान: आवेदक का पूर्ण नाम, जन्मतिथि (आयु >= १८ वर्ष सत्यापित), वर्तमान व स्थायी पता, मोबाइल/ईमेल, मतदाता पहचान संख्या (EPIC) व संबंधित विधानसभा/बूथ संख्या, अनुच्छेद ६ प्रतिज्ञा पर डिजिटल/हस्ताक्षरित सहमति, तथा डीपीडीपी अधिनियम २०२३ सहमति चेकबॉक्स।	Mandatory Application Particulars: Full legal name, verified date of birth (age >= 18), residential address, mobile/email contact, Voter ID (EPIC) / constituency-booth mapping, signed affirmation to the Article 6 statutory pledge, and explicit DPDP Act 2023 consent notice.
1.3	आवेदन निस्तारण व अपील समयसीमा: सत्यापन अधिकतम ३० दिनों में; अस्वीकृति की दशा में १५ दिनों में लिखित कारणयुक्त सूचना; तथा अस्वीकृति के ३० दिनों के भीतर उच्चतर सदस्यता/अनुशासन समिति में अपील अधिकार। अस्थायी व एकीकृत निवास स्थानांतरण अनुरोध ७ दिनों में पोर्टल पर अद्यतन किए जाएंगे।	Verification & Appeal SLAs: District/Central Membership Desk scrutiny within 30 days; reasoned rejection order served within 15 days; statutory right of appeal within 30 days. Relocation/transfer between territorial units processed within 7 working days without re-enrollment fees.

[संविधान की अभिन्न अनुसूची / Integral Schedule]

अनुसूची II — आधिकारिक ध्वज, सांगठनिक प्रतीक (लोगो), रंग-संहिता एवं चुनाव-चिह्न मर्यादा (अनुच्छेद ३ के अधीन)
SCHEDULE II — PARTY FLAG, ORGANISATIONAL EMBLEM (LOGO), COLOUR SPECIFICATIONS AND ELECTION SYMBOL PROVISO

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
2.1	रंग मानक (Hex/RGB Specs): गहरा केसरिया (#853610 एवं #FF9933), स्वर्णिम आभा (#b45309 एवं #FFD54F), हरित वर्ण (#15803d एवं #138808), गहरा संवैधानिक नीला (#0f172a एवं #0B2545), एवं शुद्ध श्वेत (#FFFFFF)।	Standardized Brand Palette: Deep Terracotta Saffron (#853610 / #FF9933), Gold Enlightenment Accent (#b45309 / #FFD54F), Forest Green (#15803d / #138808), Deep Constitutional Navy (#0f172a / #0B2545), and Pure White (#FFFFFF).
2.2	सांगठनिक प्रतीक विवरण (assets/ajp-emblem.svg): २४ किरणों वाला उदीयमान स्वर्णिम सूर्य (अखंड लोकचेतना), केंद्र में श्वेत-केसरिया लौ (सत्य व निस्वार्थ सेवा) तथा नीचे जनता की सहभागिता दर्शाते हस्त — "अटल जनोदय पार्टी" एवं "अंत्योदय से राष्ट्रोदय तक • जनभागीदारी • नीति • परिवर्तन" लेख सहित।	Organisational Emblem Specification (assets/ajp-emblem.svg): Rising golden sun radiating 24 civic rays above a white-and-saffron flame clasped by stylized golden hands within saffron and green perimeter arcs, carrying "अटल जनोदय पार्टी • अंत्योदय से राष्ट्रोदय तक".

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
2.3	वैधानिक चुनाव चिह्न चेतावनी: जब तक भारत निर्वाचन आयोग चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, १९६८ के अधीन विधिवत कोई मुक्त अथवा आरक्षित चुनाव चिह्न आवंटित नहीं कर देता, तब तक किसी भी चुनाव सामग्री पर किसी अनधिकृत चिह्न को आरक्षित या स्वीकृत के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। [वर्तमान स्थिति: ECI पंजीकरण एवं चिह्न आवंटन लंबित]।	Statutory Election Symbol Proviso: This Organisational Emblem is NOT claimed as an ECI-reserved election symbol. No election symbol shall be projected as approved or reserved pending formal ECI registration and allotment under the Election Symbols Order, 1968. [Status: Pending Registration & Allotment].

[संविधान की अभिन्न अनुसूची / Integral Schedule]

अनुसूची III — संवैधानिक निष्ठा, पदाधिकारी, प्रत्याशी एवं निर्वाचन अधिकारी शपथ प्रारूप (अनुच्छेद ६ व ५४)

SCHEDULE III — MANDATORY OATHS AND AFFIRMATIONS OF ALLEGIANCE, OFFICE AND CANDIDACY

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
3.1	सदस्यता व धारा २९क(५) शपथ (हिंदी): "मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं भारत के संविधान तथा विधि द्वारा स्थापित अटल जनोदय पार्टी के प्रति, एवं समाजवाद, पंथनिरपेक्षता व लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूँगा/रखूँगी तथा भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा/रखूँगी और बिना किसी नकद या अघोषित सौदे के लोकसेवा करूँगा/करूँगी।"	Member & Section 29A(5) Affirmation (English): "I do solemnly affirm that I bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and to the principles of socialism, secularism and democracy, and shall uphold the sovereignty, unity and integrity of India, while faithfully abiding by the Atal Janoday Party Constitution, zero-cash probity, and Section 5 Ethical Firewall."
3.2	पदाधिकारी व चुनाव प्रत्याशी अतिरिक्त शपथ: "मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने किसी पद या टिकट के लिए कोई राशि न ली है न दी है; चुनाव अभियान में नकद, शराब या किसी प्रलोभन का उपयोग नहीं करूँगा/करूँगी; अपने सभी वैध आय-व्यय व आपराधिक-संपत्ति विवरण सत्यपूर्वक दाखिल करूँगा/करूँगी; तथा किसी धर्मार्थ ट्रस्ट के संसाधन का दुरुपयोग नहीं करूँगा/करूँगी।"	Office-Bearer & Candidate Probity Oath: "I declare that I have neither paid nor solicited any ticket fee or illegal consideration; that I shall eschew cash, liquor, or inducement distribution and hate speech; that all disclosures submitted under RPA Section 33A & ECI norms are complete and truthful; and that I shall uphold zero mingling with any charitable trust."

[संविधान की अभिन्न अनुसूची / Integral Schedule]

अनुसूची IV — अनुभाग ५ नैतिक एवं वैधानिक दीवार प्रोटोकॉल (धर्मार्थ न्यासों से पूर्ण पृथक्करण)

SCHEDULE IV — SECTION 5 ETHICAL AND LEGAL FIREWALL PROTOCOL (CHARITABLE TRUST SEPARATION)

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
4.1	प्रशासनिक व वित्तीय पृथक्करण: भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ एवं आयकर अधिनियम धारा १२क/८०जी (एवं CSR) के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी धर्मार्थ संस्था (जैसे अटल फाउंडेशन) एवं अटल जनोदय पार्टी के मध्य शून्य वित्तीय अंतरण, शून्य बैंक साझा खाता, शून्य कर्मचारी पेरोल मिश्रण एवं शून्य परिसंपत्ति सह-उपयोग (चिकित्सालय, मोबाइल मेडिकल यूनिट, विद्यालय, एम्बुलेंस, छात्रवृत्ति आदि) अनिवार्य रूप से लागू रहेगा।	Financial, Payroll & Asset Firewall: Strict prohibition on any grants, loans, cost-sharing, joint bank accounts, shared paid staff rosters, or cross-use of ambulances, mobile medical units, hospitals, clinics, or educational premises between Atal Foundation (or any 12A/80G/CSR entity) and AJP.
4.2	तकनीकी PII विभाजन (HTTP 403 मानक): किसी भी डिजिटल पोर्टल, CRM या सर्वर पर धर्मार्थ लाभार्थी, रोगी या छात्र डेटाबेस से राजनीतिक सदस्यता/वोटर डेटाबेस तक कोई API एक्सपोर्ट, स्वचालित सिंक या प्रत्यक्ष प्रवेश सर्वथा अवरुद्ध (HTTP 403 Forbidden / पृथक डेटाबेस) रहेगा। प्रत्येक लेखा-परीक्षा में इस दीवार की स्वतंत्र पुष्टि अनिवार्य होगी।	Technical PII Isolation (HTTP 403 Firewall Standard): Separate authentication boundaries and zero automated API data synchronization between charitable beneficiary databases and political membership/volunteer databases, verified independently during quarterly and annual audits.

[अंगीकरण-आवश्यक सहवर्ती विनियम / Companion Regulation Requiring NGB/NEC Adoption]

अनुसूची V — आंतरिक संगठनात्मक निर्वाचन संचालन नियमावली (अधिकतम ४-वर्षीय चक्र एवं १/३ सीमा)

SCHEDULE V — INTERNAL ORGANISATIONAL ELECTION CONDUCT RULES (CHAPTER VII)

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
5.1	आदर्श चुनाव समय-सारिणी (९०-दिवसीय चक्र): दिन -९०: CRO द्वारा अधिसूचना; दिन -४५: प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन; दिन -४५ से -३१: दावा/आपत्ति खिड़की; दिन -२४: अंतिम मतदाता सूची; दिन -१८ से -१५: नामांकन; दिन -१२: संवीक्षा व नाम वापसी; दिन ००: गुप्त मतदान एवं मतगणना व परिणाम घोषणा; दिन +१५: चुनाव याचिका अवधि; दिन +३०: ECI को धारा २९क(९) के अंतर्गत प्रमाणित सूचना प्रेषण।	Standard 90-Day Election Calendar: Day -90: CRO Notification; Day -45: Draft Electoral Roll Publication; Days -45 to -31: Claims & Objections; Day -24: Final Roll; Days -18 to -15: Nominations; Day -12: Scrutiny & 48h Withdrawal; Day 0: Secret Ballot Polling & Counting; Day +15: Petition Cutoff; Day +30: Statutory ECI Intimation under Sec 29A(9).
5.2	अपरिवर्तनीय सीमाएँ: समस्त निर्वाचित निकायों का सामान्य कार्यकाल ३ वर्ष (अधिकतम ४ वर्ष की संवैधानिक छत) तथा किसी भी कार्यकारिणी/परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम १/३ (३३.३३%) से कभी अधिक नहीं होगी। तदर्थ समिति ६ माह से अधिक नहीं चलेगी।	Mandatory Compliance Caps: Base 3-year term (strict maximum 4-year ceiling; ZERO 5-year elected term), max 1/3rd nominated ceiling at all tiers, and max 6-month limit for transitional ad-hoc bodies.

[संविधान की अभिन्न अनुसूची / Integral Schedule]

अनुसूची VI — समस्त ३० संवैधानिक निकायों की संरचना, गणपूर्ति एवं बैठक सारणी (अध्याय V एवं VIII)

SCHEDULE VI — GOVERNANCE MATRIX: COMPOSITION, QUORUM AND MEETING CADENCE OF PARTY ORGANS (1–30)

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
6.1	शीर्ष व निगरानी निकाय (१–१५): (क) राष्ट्रीय सामान्य महासभा (NGB): वार्षिक, २१ दिन नोटिस, ३५% (संशोधन ५०%) गणपूर्ति; (ख) राष्ट्रीय परिषद (NC): छमाही, १५ दिन नोटिस, १/३ गणपूर्ति; (ग) राष्ट्रीय कार्यकारिणी (NEC — २१ से ५१ सदस्य, मनोनीत <= १/३): त्रैमासिक, ७ दिन नोटिस, १/३ गणपूर्ति; (घ) सभी ५ संवैधानिक आयोग (नीति, अनुशासन, आंतरिक चुनाव, लेखा-परीक्षा, विधिक): द्वि-मासिक/त्रैमासिक, १/३ (न्यूनतम ३ सदस्य) गणपूर्ति।	Apex & Oversight Organs (1–15): NGB (Annual, 21d notice, 35% / 50% amendment quorum); National Council (Bi-annual, 15d notice, 1/3 quorum); NEC (21–51 members, <=1/3 nominated, Quarterly, 7d notice, 1/3 quorum); Five Constitutional Commissions (Bi-monthly/Quarterly, 1/3 or min 3 quorum).
6.2	मोर्चे एवं प्रादेशिक इकाइयाँ (१६–३०): ८ राष्ट्रीय जनमोर्चे (११–२१ सदस्य, <= १/३ मनोनीत, त्रैमासिक/मासिक, १/३ गणपूर्ति); राज्य परिषद (वार्षिक, १/३); राज्य कार्यकारिणी (३१–६१ सदस्य, द्वि-मासिक, १/३); जिला समिति (२१–४१ सदस्य, मासिक, १/३); विधानसभा/ब्लॉक/नगर/ग्राम समिति (११–२१ सदस्य, मासिक, १/३); १०-सदस्यीय बूथ समिति (न्यूनतम ५/१० गणपूर्ति, पाक्षिक/मासिक)। समस्त का कार्यकाल ३ वर्ष (अधिकतम ४ वर्ष)।	Functional Wings & Territorial Units (16–30): 8 National Wings (11–21 members, <=1/3 nominated, 1/3 quorum); State Council (Annual, 1/3); State Executive (31–61 members, Bi-monthly, 1/3); District Committee (21–41 members, Monthly, 1/3); Assembly/Block/Municipal/Gram Committees (11–21, Monthly, 1/3); 10-Member Booth Committees (5/10 quorum). All strictly bounded to 3-year base / 4-year max cycle.

[अंगीकरण-आवश्यक सहवर्ती विनियम / Companion Regulation Requiring Adoption]

अनुसूची VII — १०-सदस्यीय "बूथ विजय अभियान" कार्य-संरचना एवं स्थानीय संवाद नियमावली (अनुच्छेद ४१)

SCHEDULE VII — TEN-MEMBER "BOOTH VIJAY ABHIYAN" ROLE CHARTER AND CIVIC ENGAGEMENT SOP

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
7.1	प्रत्येक मतदान केंद्र की १० निर्धारित भूमिकाएँ: (१) बूथ अध्यक्ष; (२) बूथ मंत्री/अभिलेख प्रमुख; (३) डिजिटल संवाद प्रमुख; (४) महिला संवाद प्रमुख; (५) युवा प्रमुख; (६) पन्ना/परिवार संपर्क प्रमुख; (७) सरकारी योजना एवं नागरिक अधिकार सहायिका (अनुभाग ५ से पूर्णतः पृथक); (८) किसान/श्रमिक समन्वयक; (९) वरिष्ठजन सम्मान एवं संवाद प्रतिनिधि; (१०) स्वच्छता/जल व पर्यावरण समन्वयक।	Standardized 10 Booth Positions: (1) Booth President; (2) Booth Secretary; (3) Digital Outreach Lead; (4) Women Engagement Lead; (5) Youth Coordinator; (6) Household Contact Coordinator (Panna Lead); (7) Public Schemes Literacy Volunteer (strictly non-trust); (8) Kisan/Worker Liaison; (9) Elder Dialogue Coordinator; and (10) Water/Sanitation & Ecology Coordinator.

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
7.2	मासिक बूथ संवाद व रजिस्टर: प्रत्येक बूथ समिति प्रतिमाह नागरिक समस्या चौपाल आयोजित कर जल, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य व रोजगार संबंधी सत्यापित मुद्दे जिला एवं विधानसभा इकाई को प्रेषित करेगी।	Monthly Civic Register Cadence: Monthly Booth Chaupal recording factual local service deficits (water, schools, roads, health access, livelihoods) escalated systematically to Block and Assembly units.

[अंगीकरण-आवश्यक सहवर्ती विनियम / Companion Regulation Requiring Adoption]

अनुसूची VIII — प्रत्याशी मूल्यांकन स्कोरकार्ड ("CONTEST WITH PURPOSE") एवं शून्य टिकट शुल्क जांच नियमावली

SCHEDULE VIII — CANDIDATE SCREENING SCORECARD ("CONTEST WITH PURPOSE") AND ZERO-TICKET-FEE PROTOCOL

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
8.1	१००-अंक पारदर्शी मूल्यांकन ढाँचा: (१) सत्यनिष्ठा, वित्तीय शुचिता एवं आपराधिक पृष्ठभूमि स्वच्छता [३० अंक]; (२) कम से कम २ वर्ष की जमीनी जनसेवा एवं स्थानीय समस्या-समाधान रिकॉर्ड (बिना अनुभाग ५ दुरुपयोग के) [२५ अंक]; (३) संवैधानिक, विधायी एवं नीतिगत समझ तथा निर्वाचन क्षेत्र दृष्टि-पत्र [२० अंक]; (४) बूथ, ब्लॉक व स्थानीय नागरिकों से गुप्त फीडबैक एवं जनविश्वास [१५ अंक]; तथा (५) सांगठनिक अनुशासन व समावेशी टीम निर्माण क्षमता [१० अंक]।	Auditable 100-Point Screening Rubric: Integrity & clean legal/financial track record (30 pts); documented grassroots civic service free of trust-asset abuse (25 pts); constitutional/legislative policy competence & constituency vision paper (20 pts); verified Booth/Block/civic stakeholder feedback (15 pts); and team discipline & inclusive outreach (10 pts).
8.2	अनिवार्य घोषणा व अयोग्यता जांच: आवेदन में कोई मौद्रिक "टिकट शुल्क" नहीं लगेगा। झूठा शपथ-पत्र, लंबित गंभीर अपराध छिपाना अथवा परिवारवाद आधारित बिना-प्रक्रिया अनुशंसा आवेदन को स्वतः अयोग्य कर देगी।	Mandatory Zero-Ticket-Fee Audit & Verification: Application carries ZERO processing or ticket fee. Suppression of criminal history (RPA Sec 33A) or violation of nepotism recusal triggers automatic disqualification.

[संविधान की अभिन्न अनुसूची / Integral Schedule]

अनुसूची IX — वित्तीय लेखा संहिता, शून्य-नकद नीति, दोहरे हस्ताक्षर मानक एवं ईसीआई फॉर्म २४ए प्रपत्र अनुपालन

SCHEDULE IX — FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS, ZERO-CASH CODE, DUAL-SIGNATORY MATRIX AND FORM 24A COMPLIANCE

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
9.1	कठोर शून्य-नकद एवं बैंकिंग सीमाएँ: आयकर अधिनियम की धारा १३क की ₹२,००० नकद सीमा से भी आगे बढ़कर AJP की आंतरिक नीति स्वैच्छिक दान में **शून्य नकद (₹0 Cash)** अनिवार्य करती है (केवल ग्रामीण डिजिटल-विहीन क्षेत्रों में क्रमबद्ध भौतिक रसीद से सूक्ष्म सदस्यता शुल्क को छोड़कर, जो ₹२,००० से कम व ७२ घंटों में बैंक-जमा के अधीन है)। सभी दान UPI/NEFT/RTGS/चेक द्वारा PAN व केवाईसी सहित होंगे।	Financial Probity Benchmarks: While Section 13A Income Tax Act statutory threshold is ₹2,000, AJP's internal Code enforces ₹0 Cash for donations (100% digital/banking mode with KYC receipting; micro rural membership books capped strictly below ₹2,000 with mandatory 72-hour banking deposit).
9.2	दोहरा-हस्ताक्षर एवं वैधानिक समयबद्ध फाइलिंग: कोई भी बैंक आहरण दो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के बिना मान्य नहीं होगा। ३१ अक्टूबर (या ECI/आयकर विस्तारित तिथि) तक प्रतिवर्ष स्वतंत्र ICAI चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा ऑडिटेड वार्षिक खाते, आयकर विवरणी (ITR-7) एवं फॉर्म २४ए (धारा २९ग के अधीन ₹२०,००० से अधिक दान सूची) ECI में दाखिल कर वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। [वर्तमान स्थिति: पार्टी बैंक खाता एवं ICAI ऑडिटर की नियुक्ति औपचारिक पंजीकरण के पश्चात की जाएगी]।	Dual Signatures & Statutory Deadlines: Every bank disbursement requires dual signatory approval; independent ICAI-registered CA firm annual audit, Form 24A filing (>₹20,000 contributions), and ITR-7 return filed timely with ECI & Income Tax Department. [Account numbers and CA firm appointments strictly pending post-registration establishment].

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
9.3	नामित पूर्णकालिक पदाधिकारी भत्ता/मानदेय संहिता (अनुच्छेद ६४(४)): (क) **पात्रता सीमा:** केवल वे ही पूर्णकालिक जिला/लोकसभा, राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर के नामित पदाधिकारी पात्र होंगे जिनके पास लिखित सेवा-दायित्व पत्र हो व जो अन्य लाभकारी रोजगार में न हों (सामान्य/प्राथमिक सदस्यों या भर्ती-आधारित डाउनलाइन को कोई भुगतान नहीं); (ख) **बजटीय मानक:** आधार जिला/लोकसभा स्तर स्लैब [स्थापना उपरांत NEC बजट से तय: ₹____/माह], राज्य पूर्णकालिक पोर्टफोलियो स्लैब (आधार का १.५×–२.०×), व राष्ट्रीय पूर्णकालिक पोर्टफोलियो स्लैब (राज्य का १.५×–२.०×), जो केवल स्वीकृत वार्षिक कोष की उपलब्धता पर निर्भर होगा और किसी अवास्तविक गारंटी के बिना होगा; (ग) **कर व ऑडिट:** १००% बैंकिंग अंतरण (NEFT/RTGS), धारा १९२/१९४ज टीडीएस कटौती, मासिक कार्य-प्रगति वाउचर व स्वतंत्र सीए ऑडिट अनिवार्य। प्राइज चिट्स अधिनियम १९७८ के अधीन किसी भी MLM/मैट्रिक्स योजना पर पूर्ण प्रतिबंध।	Designated Full-Time Office-Bearer Allowance Code (Article 64(4)): (a) **Strict Eligibility:** Available exclusively to formally designated full-time District/Lok Sabha, State, or National office-bearers holding written appointment letters and devoting verified full-time public-service hours (zero payments to general members or recruitment downlines); (b) **Budgeted Scales:** District/Lok Sabha Base Tier [exact rupee cap set in post-registration NEC budget: ₹____/month], State Full-Time Tier (1.5x–2.0x base scale), National Full-Time Tier (1.5x–2.0x State scale), wholly conditional on audited Party Fund solvency without commercial return guarantees; (c) **Statutory Controls:** 100% banking transfer (zero cash), PAN/TDS deduction (IT Act Sec. 192/194J), signed monthly activity vouchers, ECI campaign-cost segregation, ICAI CA audit, and zero PCMCS Act 1978 MLM/pyramid linkage.

[अंगीकरण-आवश्यक सहवर्ती विनियम / Companion Regulation Requiring Adoption]

अनुसूची X — अनुशासनात्मक जांच प्रक्रिया, १५-दिवसीय नोटिस, अपील समयसीमा एवं POSH महिला सुरक्षा संहिता

SCHEDULE X — DISCIPLINARY PROCEDURAL CODE, TIMELINES, APPELLATE MATRIX AND POSH SAFETY CHARTER

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
10.1	सम्यक प्रक्रिया की चरणबद्ध समयसीमा (अनुच्छेद ६७–७१): शिकायत प्राप्ति व प्रारंभिक तथ्य-परीक्षण (७ दिन; अनाम या असत्यापित अफवाह खारिज) -> लिखित कारण बताओ नोटिस एवं १४-दिवसीय उत्तर अवधि -> मौखिक/डिजिटल सुनवाई (१५ दिनों में) -> तर्कयुक्त लिखित आदेश -> ३० दिनों में अपील एवं ४५ दिनों में अंतिम अपीलीय निपटारा। अधिकतम अंतरिम निलंबन ३० दिन तक सीमित।	Disciplinary Procedural Timeline: Complaint & prima facie threshold screening (7 days; unverified rumours dismissed) -> Written Show Cause Notice granting >=14 days defence -> Hearing with evidence access (within 15 days) -> Reasoned Speaking Order -> Right of Appeal within 30 days decided within 45 days. Emergency interim suspension capped strictly at 30 days.
10.2	POSH आतंरिक परिवाद समिति (ICC): यौन उत्पीड़न व कार्यस्थल दुर्व्यवहार की गोपनीय शिकायतें वरिष्ठ महिला अध्यक्ष व बाह्य विधिक विशेषज्ञ युक्त समिति के समक्ष ९० दिनों में निस्तारित होंगी, और प्रतिशोध करने वाले का स्वतः निष्कासन होगा।	POSH Internal Complaints Committee: Senior woman chair + independent external legal/NGO expert handling sexual harassment complaints strictly within 90 days with anti-retaliation enforcement.

[संविधान की अभिन्न अनुसूची / Integral Schedule]

अनुसूची XI — डिजिटल डेटा संरक्षण (DPDP Act 2023), साइबर सुरक्षा एवं बहु-अभिरक्षक डिजिटल एस्क्रो प्रोटोकॉल

SCHEDULE XI — DPDP ACT 2023 PRIVACY POLICY, CYBERSECURITY CONTROLS AND MULTI-CUSTODIAN DIGITAL ESCROW

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
11.1	डेटा संग्रहण व सुरक्षा मानक: केवल न्यूनतम आवश्यक सदस्यता/संवाद विवरण (नाम, आयु सत्यापन, EPIC/संपर्क/बूथ) स्पष्ट सहमति सहित संग्रहीत होंगे। TLS 1.3 एन्क्रिप्शन, एन्क्रिप्टेड बैकअप, RBAC लॉगिन व अनुभाग ५ तकनीकी अलगाव लागू रहेगा।	Data Governance Controls: Minimum necessary PII collected under bilingual notice & explicit consent; TLS 1.3 / encryption-at-rest; RBAC access logging; Section 5 HTTP 403 database isolation from trust beneficiary data; Data Protection Officer contact at privacy@ataljanoday.org.

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
11.2	संस्थागत डिजिटल उत्तराधिकार (Multi-Custodian Break-Glass Vault): डोमेन (ajp.atalfoundation.ind.in / आधिकारिक DNS), Firebase/क्लाउड कंसोल, कोड रिपॉजिटरी, एवं आधिकारिक ईमेल एडमिन क्रेडेंशियल किसी एक व्यक्ति के बजाय कम से कम तीन संवैधानिक अभिरक्षकों (अध्यक्ष, महामंत्री एवं डिजिटल प्रमुख) के संयुक्त एस्क्रो नियंत्रण में रहेंगे।	Anti-Lockout Digital Custody: Domain DNS, cloud hosting consoles, codebase repositories, and official email administration shall maintain 3-custodian shared administrative escrow across General Secretary, President nominee, and Digital Chair, logged quarterly.

[अंगीकरण-आवश्यक सहवर्ती विनियम / Companion Regulation Requiring Adoption]

अनुसूची XII — नीति शोध, राजकोषीय व्यवहार्यता मानक एवं ५-वर्षीय गैर-निर्वाचित नीति चक्र कार्यप्रणाली

SCHEDULE XII — POLICY RESEARCH STANDARDS, FISCAL SCREENING AND NON-ELECTED FIVE-YEAR MANIFESTO CYCLE

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
12.1	घोषणापत्र श्वेत-पत्र जांच सूची: प्रत्येक प्रस्तावित नीति पर (१) संवैधानिक अनुच्छेद संगति, (२) ५-वर्षीय राजकोषीय लागत व राजस्व स्रोत गणना, (३) राज्य-केंद्र शक्ति विभाजन (सातवीं अनुसूची), एवं (४) बूथ-स्तरीय फीडबैक सत्यापन अनिवार्य होगा।	Policy White-Paper Gate: Every major manifesto commitment undergoes (1) Constitutional & Seventh Schedule competence check; (2) 5-year fiscal cost & revenue source note; (3) Empirical data citation; and (4) Grassroots consultation vetting.
12.2	गैर-निर्वाचित नीति चक्र स्पष्टीकरण: यह अनुसूची स्पष्ट करती है कि ५-वर्षीय नीति नियोजन क्षितिज केवल सार्वजनिक नीति व संसदीय अवधि मूल्यांकन हेतु है और इसका प्रयोग किसी भी निर्वाचित संगठन इकाई का कार्यकाल ४ वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए कदापि नहीं किया जा सकता।	Mandatory Election Distinction Rule: Confirms Schedule XII governs strictly non-elected manifesto research cycles and can never expand elected internal organisational terms beyond the 4-year ceiling under Chapter VII.

[संविधान की अभिन्न अनुसूची / Integral Schedule]

अनुसूची XIII — अपुष्ट/लंबित संस्थागत विवरण पंजी एवं ईसीआई धारा २९क पंजीकरण चेकलिस्ट

SCHEDULE XIII — REGISTER OF UNFILLED PLACEHOLDERS AND PRE-FILING ECI SECTION 29A VERIFICATION CHECKLIST

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
13.1	सत्यापन लंबित विवरण (कोई काल्पनिक प्रविष्टि नहीं): (क) **स्थायी सड़क डाक पता (लखनऊ मुख्यालय)** — परिसर विलेख उपरांत अंकित किया जाएगा; (ख) **संस्थापक अधिवेशन अंगीकरण तिथि एवं स्थान** — वास्तविक अधिवेशन पर अंकित होगी; (ग) **राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं केंद्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों की अंतिम निर्वाचित सूची** — केवल प्रलेखित महामंत्री श्री राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी व मिशन योगदानकर्ताओं के अतिरिक्त शेष पद अधिवेशन निर्वाचन उपरांत भरे जाएंगे; (घ) **प्रस्तावित वार्षिक सदस्यता शुल्क (₹९९ साधारण / ₹४९९ सक्रिय काडर) एवं नामित पूर्णकालिक पदाधिकारी आधार मानदेय स्लैब** — अधिवेशन अनुमोदन एवं पंजीकरण-पश्चात स्वीकृत वार्षिक बजट के अधीन अंतिम होंगे; (ङ) **पार्टी बैंक खाता क्रमांक, PAN व स्वतंत्र ICAI सीए फर्म** — स्थापना/पंजीकरण उपरांत खोले व नियुक्त किए जाएंगे; तथा (च) **ECI पंजीकरण संख्या एवं आवंटित चुनाव चिह्न** — भारत निर्वाचन आयोग से आदेश प्राप्त होने पर ही अंकित होंगे।	Audited Placeholder & Gap Register (Zero Fabrication Policy): (a) **Complete Street Postal Address (Lucknow HQ)** — pending formal premises lease/ownership deed; (b) **Founding Convention Date & Signatures** — executed solely on adoption day; (c) **National President, National Treasurer & Full NEC Slate** — open for Founding Convention election alongside documented General Secretary Shri Rajendra Prasad Tiwari and documented mission contributors; (d) **Proposed Annual Membership Dues (₹99 Ordinary / ₹499 Active Cadre) & Base Monthly Allowance Slab for Designated Full-Time Office-Bearers** — finalized respectively upon Convention confirmation and audited post-registration NEC budget resolution; (e) **Dedicated Bank Account, Party PAN & ICAI Statutory CA Auditor** — established strictly post-adoption; and (f) **ECI Section 29A Registration Number & Official Election Symbol** — pending ECI adjudication.

नियम / Ref.	हिंदी पाठ (Devanagari Hindi)	अंग्रेजी पाठ (English Text)
13.2	ECI धारा २९क आवेदन चेकलिस्ट (निर्माण के ३० दिनों के भीतर दाखिल करने हेतु): (१) विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित अंगीकरण प्रस्ताव व इस संविधान की प्रमाणित द्विभाषी प्रति (अंग्रेजी + हिंदी); (२) कम से कम १०० पंजीकृत भारतीय मतदाताओं (Founding Members) के नाम, मतदाता सूची के प्रमाणित उद्धरण (EPIC/Electoral Roll Extracts) एवं व्यक्तिगत नोटरीकृत शपथ-पत्र कि वे किसी अन्य दल के सदस्य नहीं हैं; (३) अध्यक्ष/महामंत्री का समेकित शपथ-पत्र व मुख्य पदाधिकारियों के पैन/पहचान विवरण; (४) मुख्यालय परिसर का किरायानामा/स्वामित्व पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र; (५) ₹१०,००० प्रसंस्करण शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट; (६) दो राष्ट्रीय एवं दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निर्धारित आपत्ति-आमंत्रण सार्वजनिक सूचना प्रकाशन प्रक्रिया हेतु तैयारी।	Mandatory ECI Section 29A Filing Checklist (Within 30 Days of Formation/Adoption): (1) Certified Bilingual Constitution & dated Founding Convention Adoption Resolution; (2) Verified roster, certified Electoral Roll extracts, and individual notarized Non-Membership Affidavits of at least 100 registered Indian electors; (3) Prescribed Principal Executive Declaration & Head Office premises legal proof/NOC; (4) Statutory Processing Fee (₹10,000 Demand Draft per current ECI rules); and (5) Readiness for ECI-directed Public Notice publication in 2 national + 2 local daily newspapers calling objections within 30 days.

LEXICON | द्विभाषी विधिक शब्दावली

द्विभाषी विधिक एवं संवैधानिक शब्दावली

BILINGUAL LEGAL AND CONSTITUTIONAL GLOSSARY

क्र.	हिंदी शब्द एवं अर्थ (Hindi Term & Definition)	English Term & Constitutional Meaning
1	**अंत्योदय से राष्ट्रोदय तक:** समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े सबसे वंचित नागरिक के उत्थान से सशक्त राष्ट्र के निर्माण का मूल दर्शन।	**Antyodaya to Rashtrodaya:** Foundational motto signifying national resurgence rooted in uplifting the last, most vulnerable citizen.
2	**धारा २९क(५) प्रतिज्ञा:** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ द्वारा प्रत्येक पंजीकृत राजनीतिक दल हेतु भारत के संविधान, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र एवं राष्ट्रीय अखंडता के प्रति अनिवार्य निष्ठा-घोषणा।	**Section 29A(5) Declaration:** Mandatory statutory pledge under the Representation of the People Act, 1951 affirming allegiance to the Constitution of India, socialism, secularism, democracy, and sovereignty.
3	**अधिकतम ४-वर्षीय निर्वाचन सीमा:** ईसीआई मानदंडों के अनुरूप समस्त निर्वाचित संगठनात्मक निकायों (३ वर्ष सामान्य, अधिकतम ४ वर्ष की अटल सीमा) हेतु बाध्यकारी नियम; ५-वर्षीय नीति चक्र से पूर्णतः पृथक।	**Four-Year Elected Term Ceiling:** Binding ECI-compliant governance rule capping elected Party office terms at a 3-year base / absolute 4-year ceiling (strictly distinguished from non-elected 5-year policy cycles).
4	**१/३ मनोनीत सदस्य सीमा:** किसी भी कार्यकारिणी, परिषद या समिति में अनिर्वाचित/मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल शक्ति के ३३.३३% से कम रखने का लोकतांत्रिक नियम।	**Max 1/3rd Nominated Ceiling:** Structural democracy rule prohibiting non-elected/nominated members from exceeding one-third (33.33%) of any Party executive or council.
5	**अनुभाग ५ नैतिक दीवार:** अटल जनोदय पार्टी तथा अटल फाउंडेशन या किसी भी १२क/८०जी/CSR धर्मार्थ न्यास के मध्य कोष, परिसंपत्ति, कार्मिक एवं लाभार्थी PII डेटा के पूर्ण अलगाव का अपरिवर्तनीय नियम।	**Section 5 Ethical Firewall:** Inviolable covenant isolating political Party funds, operations, physical assets, and member databases from any charitable trust or NGO (including Atal Foundation).
6	**शून्य-नकद अंशदान नीति:** आयकर अधिनियम धारा १३क की ₹२,००० नकद सीमा से भी अधिक कठोर नीति जिसके तहत सभी दान केवल UPI/बैंक/चेक से स्वीकार्य हैं।	**AJP Zero-Cash Policy:** Stricter internal financial probity code exceeding IT Act Sec 13A (₹2,000 limit) by mandating traceable banking/UPI/cheque receipts for donations.
7	**फॉर्म २४ए (Form 24A):** धारा २९ग आरपीए १९५१ के तहत ₹२०,००० से अधिक के वार्षिक योगदानों की ईसीआई को अनिवार्य वैधानिक विवरणी।	**Contribution Report (Form 24A):** Annual statutory ECI disclosure required under Section 29C RPA 1951 for contributions exceeding ₹20,000.
8	**शून्य टिकट शुल्क:** चुनावी टिकट आवेदन या नामांकन में किसी भी शुल्क, अवैध दान या सौदेबाजी का पूर्ण संवैधानिक निषेध।	**Zero Ticket Fee:** Absolute ban on soliciting capitation fees, mandatory contributions, or monetary consideration for public election tickets.
9	**आंतरिक निर्वाचन प्राधिकरण (CRO):** कार्यकारी नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्र ३-सदस्यीय प्राधिकरण जो मतदाता सूची व आंतरिक चुनावों का संचालन करता है।	**Internal Election Authority (CRO):** Autonomous three-member electoral authority led by the Chief Returning Officer conducting periodic Party polls.
10	**दसवीं अनुसूची मर्यादा:** भारत के संविधान की दल-बदल निरोधक अनुसूची व सदन अध्यक्ष के संवैधानिक अधिकारों की मर्यादा, जिसका उल्लंघन कोई पार्टी नियम नहीं करेगा।	**Tenth Schedule Boundary:** Constitutional anti-defection framework preserving Speaker/House privileges without unlawful internal override.
11	**असत्यापित आरोप सुरक्षा:** अनुच्छेद ७० का सिद्धांत कि केवल अफवाह या असत्यापित शिकायत पर बिना कारण बताओ नोटिस व सुनवाई के किसी को दंडित नहीं किया जा सकता।	**Unverified Allegations Safeguard:** Natural justice safeguard under Article 70 barring expulsion or penalty on unverified accusations without inquiry.

क्र.	हिंदी शब्द एवं अर्थ (Hindi Term & Definition)	English Term & Constitutional Meaning
12	**डीपीडीपी डेटा न्यासी दायित्व:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम २०२३ के तहत सूचित सहमति, न्यूनतम डेटा एवं विक्रय-निषेध का विधिक पालन।	**DPDP Act Data Fiduciary Duty:** Statutory privacy compliance under India's DPDP Act 2023 governing consent, data minimization, and erasure rights.
13	**बहु-अभिरक्षक डिजिटल एस्क्रो:** वेबसाइट, डोमेन, होस्टिंग व ईमेल क्रेडेंशियल को किसी एक व्यक्ति के लॉकआउट से बचाने हेतु ३ संस्थागत पदाधिकारियों में साझा नियंत्रण।	**Multi-Custodian Break-Glass Escrow:** Three-custodian continuity protocol protecting Party domains, cloud hosting, and repositories against single-person lockout.
14	**बूथ विजय अभियान:** प्रत्येक मतदान केंद्र पर १० विशिष्ट नागरिक व संगठनात्मक भूमिकाओं वाली निर्वाचित जमीनी समिति का लोकतांत्रिक मॉडल।	**Booth Vijay Abhiyan:** Grassroots democracy architecture establishing elected 10-role committees at every polling booth.